अध्याय–21
स्वास्थ्य
Health

21.1 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति:—कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नही था। किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहें लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है।

21.1.2 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड़ राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट निरन्तर बढ़ाती जा रही हैं वर्ष 2021–22 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान रू0 3019.59 लाख था, जो कि 2022–23 में रू0 3992.51 लाख एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 5052.4 लाख हो गया हैं। उक्त बढ़ते हुये परिव्यय को राज्य के कुल बजट व कुल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

ग्राफ 21.1

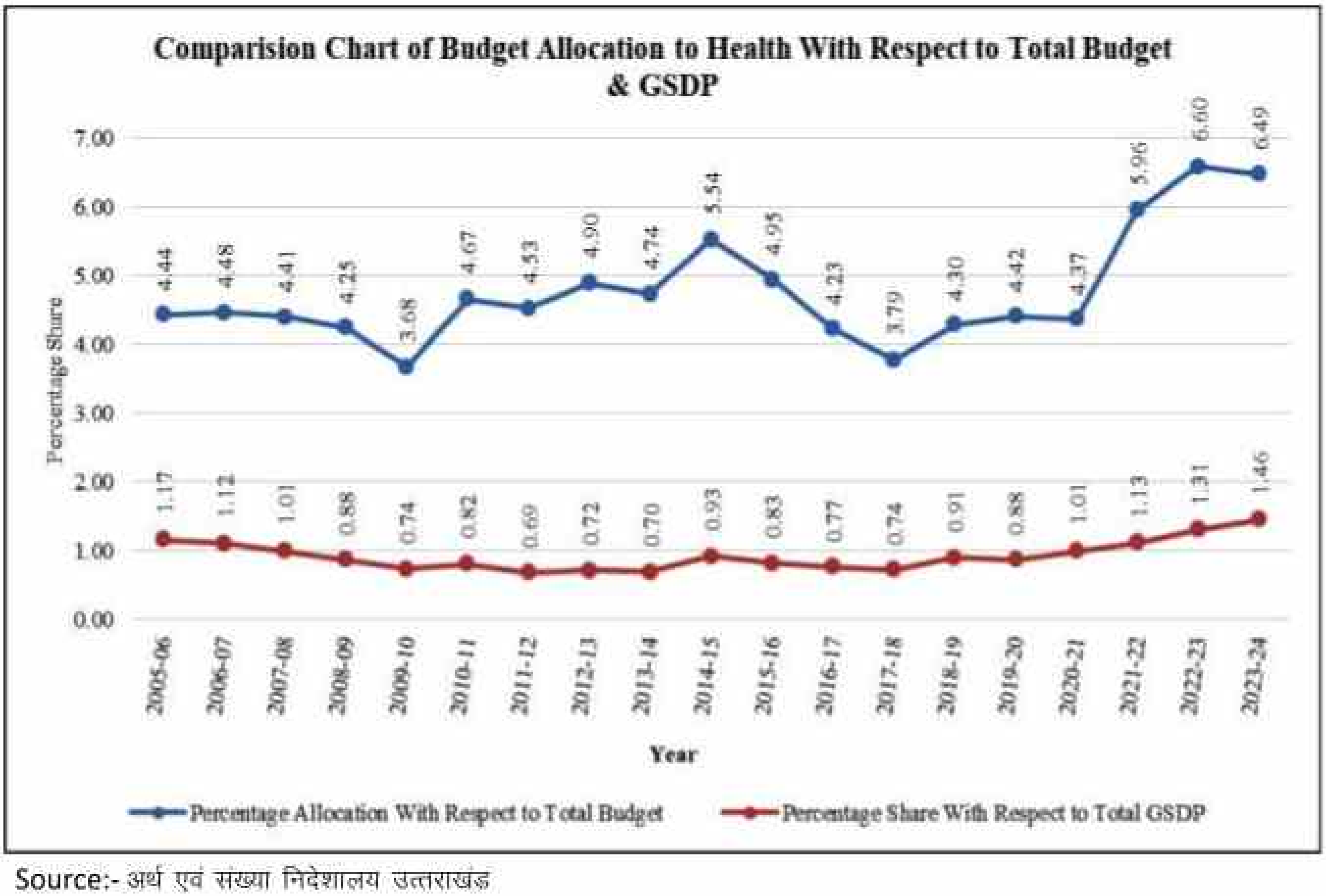

Source:- अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड़

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड

21.2 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितिः—कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नही था किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहें लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है। कतिपय मुख्य संकेतांको के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 21.1
स्वास्थ क्षेत्र के मुख्य संकेतांक

Sl. No.	Indicators	2016 -17	2020 -21	अधुनान्त स्थिति
1	IMR	38 per 1000 Live births	27 per 1000 Live births	24 per 1000 Live births (SRS -2020)
2	MMR	201 per 1,00,000 Live births	103 per 1,00,000 Live births	103 per 1,00,000 Live births (SRS -2018 -20)
3	Institutional Delivery	69% NFHS -4	83.20% NFHS-5 (2019 -21)	82% (HMIS Data, April to Nov 2024)
4	Children (12 -23 Month) fully vaccinated	71%	88.60%	88.6% NFHS -5 (2019 -21)
5	4 ANC Visits	30.90% NFHS -4	61.80%	84% (HMIS Data, April to Nov, 2024)
6	All women age 15 -49 Years anemic	46.40% NFHS -4	40.90% NFHS -5 (2019 -21)	40.90% NFHS -5 (2019 -21)
7	Child Sex Ratio	888 NFHS-4 (2015-16)	984 NFHS -5 (2019 -20)	984 NF HS-5 (2019 -20)

Source:- Sample Registration System (SRS) Bulletin 2021.

21.2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM):– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड का मुख्य उददेश्य ग्रामीण तथा नगरीय जनता, महिलाओं, बच्चों, किशोरों व वृद्धजनों के लिये बेहतर स्तर की स्वास्थ्य देखभाल और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इस मिशन के अन्तर्गत पेयजल, सफाई, स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना है। वर्ष 2024–25 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

21.2.2राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम:–वर्ष 2024–25 में 20 दिसंबर 2024 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 623408 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस वर्ष मलेरिया के 30 केस रिपोर्ट हुये हैं।

21.2.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:–राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर नवम्बर, 2024 में 0.24 प्रति दस हजार रह गई है। वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक कुल 226 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 194 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 279 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

21.2.4 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम:–कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र, 95 टी0बी0यूनिट, 154 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र और 131 NAAT Machine कार्यरत हैं। वर्ष 2024 में माह नवम्बर तक 27018 क्षःय रोगियों को नोटिफाई किया गया है। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2024 (माह नवम्बर तक) में अधिसूचना लक्ष्य दर 214 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष 225 प्रति लाख प्राप्त हुई है।

21.2.5 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:–यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर 2024 तक 2892 बन्ध्याकरण, 17081 लूपनिवेशन, 5215 अन्तरा, 12491 ओ.सी.पी तथा 25677 सी.सी. प्रयोगकर्ता हैं।

21.2.6 टीकाकरण कार्यक्रम:–वर्ष 2024–25 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

तालिका 21.2

वर्ष 2024–2025

क.सं.	मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह नवंबर, 2024 तक	प्रतिशत
1	टी0टी0 (गर्भवती मातायें)	**143688**	125421	87
2	पोलियो (O.P.V.)	**126174**	106170	86
3	पेटावेलेंट	**126174**	106431	84
4	बी0सी0जी0	**126174**	107340	85

5	हैपटाइटिस–बी	**91610**	67929	74
6	मीजिल्स रूबेला	**126174**	118490	94

Source: HMIS माह नवंबर, 2024 तक 95: प्रतिषत पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्राप्त किया गया है।

21.2.7 रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः–प्रदेश में 64 रक्तकोश (ब्लड बैंक) और 20 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। नवम्बर 2024 तक राज्य में स्थापित रक्तकोशों द्वारा कुल 142170 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 72.91 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 1530 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

21.2.8 राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी–एन0सी0डी0). राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सवाईकल कैंसर की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य एनसीडी के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को स्क्रीन करना जिससे गैर संचारी रोगों की समय से पहचान की जा सके तथा प्रारम्भिक अवस्था में उपचार प्रदान किया जा सकें।

जनपदों में समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात उन्हें स्कीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Ayushman Arogya Mandir) पर लाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21 दिसम्बर तक आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा 2228979 व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये हैं जिनकी CHO द्वारा गैर संचारी रोगों की स्कीनिंग की गयी । आतिथि तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के कुल 20.50 लाख व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सवाईकल कैंसर आदि की जांच की गई तथा जांच में पाये गये रोगियों को उपचार हेतु उच्च चिकित्सा ईकाई पर संदर्भित किया गया।

21.2.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल से सितम्बर 2024 तक त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जिरिएटिक क्लीनिक में 136419 वृद्ध नागरिकों को ओ0पी0डी0 तथा 11932 वृद्ध नागरिकों को आई0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गई।

21.2.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– मुख स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम राज्य के समस्त 13 जनपदों में संचालित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुख स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करना, मुख स्वास्थ्य से सम्बन्धित रोगों से होने वाली रूग्णता को कम करना, मुख स्वास्थ्य सम्वर्धन और निवारक सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत करना तथा बेहतर मुख स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) मॉडल को बढावा देना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 101748 मरीजों

के मुख से सम्बन्धित रोगों की जांच की गई।

21.2.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)- राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन में Gap को दूर करने के लिए समस्त 13 जनपदों से कुल 33 चिकित्सकों को NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जनपद में एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत कुल–100 कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को AIIMS Rishikesh में NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2018–23 में 30 नये चिकित्सकों को AIIMS Rishikesh एवं NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चिकित्सकों द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में AIIMS Rishikesh के सहयोग से समस्त 13 जनपदों से कुल 68 ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को Addiction Disorder Training Program हेतु प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स (प्रशिक्षित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को प्रशिक्षित करेंगे ताकि मानसिक रोगों हेतु रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार में योगदान दे सके और देखभाल की निरंतरता में सुधार कर सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21 दिसम्बर तक 11186 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, उत्तराखंड राज्य में टेलीपरामर्श के माध्यम से 24x7 मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में टेली मानस पहल शुरू की गई जिसके अन्तर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में राज्य टेली मानस सेल की स्थापना की गई।

21.2.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):–वित्तीय वर्ष 2024–25 में द्वितीय त्रैमास तक कुल 1736 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 1736 व्यक्तियों के बधिरता हेतु सर्जरी की गयी।

21.2.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):–वर्ष 2024–25 में नवम्बर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की समस्त चिकित्सा ईकाईयों तथा अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से कुल 39498 मोतियाबिन्द आपरेशन किये गये। निःशुल्क चश्में वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 3860 व वृद्ध नागीरकों को 3770 चश्में वितरित किये गये हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):– वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार COTPA 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 24769 व्यक्तियों का चालान किया गया, जिसमें धनराशि रू0 9,30,995.00 अर्थदण्ड के रूप में वसूली गयी। कुल 16327 व्यक्तियों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुश्प्रभावों के प्रति परामर्श प्रदान किया गया, जिसमें से 1545 व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया। कुल 799 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा 40465 छात्र–छात्राओं को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

21.2.15 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2015–16 से राज्य के 06 जनपदों –देहरादून हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर तथा नैनीताल में तथा

द्वितीय चरण में तीन जनपदों – अल्मोडा, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग , कुल 09 जनपदों में कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य के 17 लाख किशोर /किशोरियों को लाभावन्तित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एवं हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों के संचालन हेतु 74 किशोर स्वास्थ्य काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों में नवम्बर 2024 तक कुल 84005 किशोर–किशोरियों को परामर्श एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

21.2.16 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम:–राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 में दून चिकित्सालय, देहरादून, कोरोनेषन चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, ट्रामा सेंटर, कर्णप्रयाग, संयुक्त चिकित्सालय, रुडकी, जी0बी0पंत चिकित्सालय, नैनीताल, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, जिला चिकित्सालय, चंपावत, जिला चिकित्सालय, पौडी गढवाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ में कुल 19 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर एवं उप जिला चिकित्सालय, धारचुला में भी कुल 02 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना का कार्य गतिमान है। कार्यकम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कुल 976 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 64,366 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

21.2.17 आयुष्मान आरोग्य मंदिर:- भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 1939 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1607 में से 1488 उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में वर्ष 2024–25 में उच्चीकृत किया गया है। षेश उपकेन्द्रों में इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में उच्चीकृत कर लिया जायेगा। माह 21 दिसम्बर, 2024 तक कुल 1465 Community Health Officer कार्यरत हैं तथा शेष 142 रिक्त पदों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में भर लिया जायेगा। वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 12 सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं।

21.2.18 आशा कार्यकम :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 11996 कार्यरत है। वर्तमान में 11688 आशा कार्यकत्रियों के द्वारा नेशनल इन्स्टीटूयट आफ ओपन स्कूल के द्वारा आयोजित करायी गयी आशा सर्टिफिकेशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। आशा सर्पोट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यो में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है। आशा कार्यकम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आशा कार्यकत्रियों व आशा फैसिलिटेटरों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गये हैं जिससे कि आशाओं के द्वारा समुदाय को लोगों को ई–संजीवनी के द्वारा घर पर

ही ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आशाओं के द्वारा नवजात शिशु की घरों में देखभाल किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एच0बी0एन0सी0 किट एवं एच0बी0वाई0सी0 ई0सी0 किट उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष आशा कार्यकत्रियों को यूनिफार्म व आशा डायरी उपलब्ध करायी जाती है साथ ही आशा कार्यकत्रियों को प्रत्येक माह उनके फोन नम्बर पर Internet के Recharge हेतु धनराशि उनके बैक खाते में निर्गत की जाती है।

21.2.19 वी0एच0एस0एन0सी0:—राज्य के अन्तर्गत 14915 वी0एच0एस0एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं तथा समुदाय एवं जरूरत मंद लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है। समिति का मुख्य उददेश्य समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण पर जानकारी प्रदान करना व कार्यवाही करना होता है।

21.2.20 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)- नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– आयुष्मान आरोग्य मंदिर (26 यू0पी0एच0सी0 पी0पी0पी0 मोड, एवं 11 गवर्नमेंट मोड) दिनांक 01 जून 2019 से संचालित किए जा रहें है तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन दिनांक 25 फरवरी 2024 से किया जा रहा है ।

तालिका 21.3
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन केन्द्र

क्र0स0	शहर	संचालित 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण :—
1	देहरादून	1.अधोईवाला 2. बकरालवाला 3. भगत सिंह कॉलोनी 4 .चूना भट्टा 5. दीपनगर 6. गॉधीग्राम 7. जाखन 8.कारगी 9.खुड़बुड़ा 10.माजरा 11.रीठा मंण्डी 12. सीमाद्वार।
2	ऋशिकेश	1. चंद्रेश्वर नगर 2. शान्ति नगर।
3.	हरिद्वार	1.ज्वालापुर–1, 2.ज्वालापुर–2, 3.टिबडी 4.कनखल 5.रामधाम कालोनी 1. भूपतवाला (यू0सी0एच0सी0)
4.	रूडकी	1.आदर्शनगर 2.चन्द्रपुरी 3.गणेशपुर 4.माहीग्राम 5.पुरानी तहसील 6.सलेमपुर।
5.	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3. शनि बाजार 4.वनभुलपुरा।
6.	रामनगर	1.रामनगर
7.	रूद्रपुर	1.ट्रांजिट कैम्प 2. रामपुरा 3. खेरा
8.	काशीपुर	1.महेशपुरा 2. अली खान

9.	जसपुर	1.नई बस्ती
10	कोटद्वार	1.कोटद्वार

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 अप्रैल, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक कुल यू0पी0एच0सी0 की संख्या 37, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 572153, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 की संख्या 19370, यू0पी0एच0सी0 में कुल 93954 लैब टेस्ट, जबकि आउटसोर्स के माध्यम से कुल 128967 लैब टेस्ट किए गए है तथा कुल 5967 यू0एच0एन0डी0 हैं।

21.2.21 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः—राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेष, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली, दून चिकित्सालय, देहरादून, मेडिटरीना चिकित्सालय, देहरादून, श्री सत्य सांई संजीवनी चिकित्सालय पलवल, हरियाणा, ग्राफिक एरा चिकित्सालय देहरादून, मिशन स्माइल एवं स्माइल ट्रेन देहरादून, क्योर इंडिया देहरादून/हल्द्वानी में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह नवम्बर तक 88 बच्चों के दिल का आपरेशन, 24 बच्चों का न्यूरल टयूब डिफेक्ट, 39 बच्चों को कानों की मशीन, 17 बच्चें को आंखों में मोतियाबिंद, 78 बच्चों को कटे होठ एवं तालु, 48 टेढ़े पैर वाले बच्चों को Special Shoes देकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

तालिका 21.4

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाडियों में पंजीकृत बच्चों की स्क्रीनिंग (अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024)

संस्था	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1027867	624639	61%
आंगनबाड़ी	1256572	676480	54%

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.2.22 — आपातकालीन 108 सेवा/ खुशियों की सवारीः—राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 एम्बुलैन्स (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01बोट एम्बुलैन्स) का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह नवम्बर 2024 तक कुल 96028 लाभार्थियों द्वारा एम्बुलैन्स सेवा प्राप्त की गई जिसमें 26794 गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 461 बच्चों का जन्म इन एम्बुलेन्सों में हुआ। सडक दुर्घटना के 7978 केस हुए है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 के नवम्बर 2024 तक 32772 गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात नवजात शिशु सहित खुशियों की सवारी सेवा के 128 के माध्यम से चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क पहुँचाया गया है। 13387 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड सेवाओं का लाभ प्रदान करवाये जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

21.2.23 कोविड—19 वैक्सीनेशन कवरेजः—भारत सरकार के दिशा—निर्देशानुसार वर्तमान में 12 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र लाभार्थियों का कोविड—19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य द्वारा दिनांक 31—01—2023 तक 20143372 वैक्सीन डोज़ लगायी जा चुकी है।

जिसमें 102.0 प्रतिशत प्रथम डोज, 95.8 प्रतिशत द्वितीय डोज़ एवं 26.2 प्रतिशत प्रीकाशन डोज लगायी जा चुकी है।

कोविड–19 वैक्सीन हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट का विवरणः–राज्य में कोविड–19 वैक्सीन हेतु कुल 319 कोल्ड चेन प्वाइंट उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित संरचना के अनुसार हैं:–

1. SVS (स्टेट वैक्सीन स्योर) 1

2. RVS (रीजनल वैक्सीन स्योर) 3

3. DVS (जनपद वैक्सीन स्टोर) 13

4. BVS (ब्लॉक वैक्सीन स्टोर) 26

5. Peripheral CCPs (कोल्ड चेन प्वाइंट) 327

समस्त जनपदों में कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु जनपद स्तर पर कोविड 19 वैक्सीन के भण्डारण एंव वितरण हेतु अतिरिक्त स्थान पहचान की जा चुकी है ।

राज्य में वर्तमान में ILR (Ice Line Refrigerators), Deep Freezers, Walk in Cooler and Walk in Freezers की निम्नवत उपलब्धता है–

- ILR (Ice Line Refrigerators) 678
- Deep Freezers 619
- Walk in Cooler 07
- Walk in Freezers 04

21.2.24 उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19: एक दृष्टि में

- प्रदेश में वर्तमान समय तक (20.12.2024 तक) कुल 452788 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 445010 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 98.28 है।

- वर्तमान में 20.12.2024 तक कोविड–19 संक्रमण के शून्य सकिय मरीज है। आतिथि तक कोविड मृत्यु मामलों की संख्या 7778 है।

21.2.25 क्वालटी एश्यूरैन्स कार्यक्रम– भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य में क्वालिटी एश्यूरैन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत NQAS, LaQshya एवं Kayakalp कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

अब तक उत्तराखण्ड राज्य में 13 NQAS National Certification एवं 20 LaQshya National Certification प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक उत्तराखण्ड राज्य को भारत सरकार से 5 NQAS National Certification प्राप्त हुए हैं एवं 2 LaQshya National Certification प्राप्त हुए हैं। 22 चिकित्सा इकाईयों की NQAS National Assessment कराने हेतु रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इसके साथ ही 15 अन्य चिकित्सा इकाईयाँ NQAS National Certification हेतु प्रकिया में हैं।

कायाकल्प विजेता चिकित्सा इकाईयों में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 144 चिकित्सा इकाईयों को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 174 चिकित्सा इकाईयों को कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में कायाकल्प Peer Assessment सभी जनपदों में पूर्ण करा लिया गया है एवं कायाकल्प External Assessment होने की प्रकिया में है।

21.2.26 टेलीमेडिसिन

इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत रूपयें 19.29 करोंड की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (हब) एवं 400 चिन्हित PHC (स्पोक) की माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर विषेशज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐजेन्सी द्वारा 400 स्पोक्स का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज में इसका हब विकसित किया जा चुका है। उक्त 400 पीएचसी तथा 4 मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण (टेबलेट, प्रिन्टर तथा इन्टरनेट व्यवस्था) एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त 400 पी0एच0सी0 तथा 4 मेडिकल कॉलेज हब के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त से आतिथि तक 26000 कन्सलटेशन सफलता पूर्वक किये जा चुके है।

इसी क्रम उपरोक्त के अतिरिक्त 185 PHC (स्पोक) तक टेलीमेडिसिन सुविधा को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सेवाओं के अर्न्तगत संचालित सभी 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आच्छादित कर समस्त उत्राखण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर टेलीमेडिसिन सुविधाए दी जा सकती है।

21.2.27 प्राईवेट लैब द्वारा कोविड–19 जांच की प्रतिपूर्ति –

उक्त के क्रम में DGHS द्वारा चयनित / ईम्पैनल्ड पाँच लैब के साथ अनुबन्ध कर प्राईवेट लैब में RT PCR टेस्टिंग प्रतिपूर्ति का कार्य जारी है। इस क्रम में फेज़ 01 में 05 प्राईवेट लैबों के साथ अनुबन्ध के सापेक्ष 68856 टेस्ट कर लगभग 10,90,32,630 / – का भुगतान किया जा चुका है।

विश्व बैंक तथा प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित रू0 20.24 करोड़ के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार की अनुशंसा पर 2 निजी प्रयोगशालाओं के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 जांच किये जाने के सापेक्ष रू0 11 करोड़ मूल्य के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। उक्त के सापेक्ष लगभग रू0 4.74 करोड़ के बिल प्राप्त हुये हैं जिनका भुगतान कर दिया गया हैं।

21.2.28 गहन चिकित्सा इकाई (ICU) की स्थापना –

विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मैडिकल कॉलेजों में कुल 60 करोंड रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोंपरान्त HLL द्वारा कुल 10 चिकित्सालयों / मेडिकल कॉलेजों कुल 169 शैयायें ICU को विकसित किया जा चुका है एवं हस्तानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

21.3 लोक निजी सहभागिता (PPP) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरणः–

डायलिसिस यूनिट :–

21.3.1 लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP):– राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित हैं–

उत्तराखण्ड राज्य में नैफो डायलिसिस यूनिट क्रमशः जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं एच0आई0वी0 रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है।

21.3.2 जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून :–

नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20 / 02 / 2021

को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार पुनः संस्था को 19/02/2024 से अगामी 02 वर्ष हेतु सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस रू0 1290/– (All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 23 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.5

मार्च 2017 से 30 नवम्बर 2024 तक		
कुल डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या (मार्च 2019 से)
113617	77791	33508
01 मार्च 2021 से 30 नवम्बर 2024 तक		
63655	35632	28010

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.3.3 बेस चिकित्सालय हल्द्वानी :–

21.3.4 नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मैं0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस रू0 1290/–(All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 25 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.6

मार्च 2017 से 30 नवम्बर 2024 तक		
कुल डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियो की संख्या	कुल आयुश्मान लाभार्थियों की संख्या (अप्रैल 2019 से)
195439	84324	98723
01 मार्च 2021 से 30 नवम्बर 2024 तक		
89330	84403	77928

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

कार्डियक केयर यूनिटः–

21.3.4 पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :– इनवेजिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नवीन संस्था M/S Meditrina Hospital Pvt. Ltd,Kerala का चयन किया गया है एवं विभाग एवं चयनित संस्था के मध्य दिनांक 16/03/2022 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबन्ध के तहत नवीन चयनीत संस्था द्वारा राज्य के बी0पी0एल0 जनमानस को सी0जी0एस0एस0 की दर पर 12 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाना है।

तालिका 21.7

दिनांक 08 मार्च 2022 से दिनांक 30 नवम्बर2024 तक				
ओ0पी0डी0	ई0सी0जी0	ई0को0	टी0एम0टी0	सर्जरी (10 अक्टूबर 2022 से)
50615	20789	9122	1335	366

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.3.5 108 आपातकालीन सेवा :–

कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के द्वारा दिनांक 01 मई 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। पुनः संस्था को अगामी 01 वर्ष हेतु सेवा–विस्तार प्रदान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुर्घटना, प्रसव से पीडित महिला, बीमार बच्चे एवं नवजात शिशुओं तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि एवं पुलिस व अग्नि शमन सेवायें उपलब्ध करायी जाती है। आपात स्थिति में 108 आपातकालीन सेवायें टॉल फ्री न0–108 पर कॉल(24X7) करके निशुल्कः प्रदान की जाती है। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 272 एम्बुलेंन्स (01 बोट, 217 बी0एल0एस0, 54 ए0एल0एस0 एम्बुलेंन्स) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संस्था द्वारा 651 ई0एम0टी0, 645 वाहन चालक एवं 84 अन्य स्टॉफ नियुक्त किये गये है।

तालिका 21.8
संस्था द्वारा संचालित 272 एम्बुलेंन्सों की जनपदवार सूचनाः–

क्र0स0	जनपद	बी0एल0एस0	ए0एल0एस0	कुल एम्बुलेंन्स
1.	देहरादून	25	07	32
2.	हरिद्वार	23	06	29
3.	चमोली	18	04	22
4.	टिहरी गढ़वाल	18	04	22
5.	पौड़ी गढ़वाल	23	05	28
6.	उत्तरकाशी	14	05	19
7.	रूद्रप्रयाग	09	03	12
8.	नैनीताल	19	04	23
9.	अल्मोड़ा	19	03	22
10.	चम्पावत	07	03	10
11.	बागेश्वर	07	03	10
12.	ऊधमसिंह नगर	22	03	25
13.	पिथौरागढ़	14	04	18
कुल योग		218	54	272

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 21.9

108 Emergency Services Monthly Progress Report

S.No.	Category	2019-2020	2020-2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024-2025 (Nov 2024)
1.	Pregnancy Cases	40799	40530	46063	48656	43684	26333
a.	Birth In Ambulance	465	559	714	765	718	461
2.	Sick Infants (0-1 year)	1977	2308	3748	3782	3315	1925
3.	Injury						
a.	Road Traffic Accidents	7199	8306	11490	13628	12096	7978
b.	Other Injuries	5916	7351	8766	10444	9491	5957
4.	Acute Abdomen	5931	7232	11615	14536	12949	9080
5.	Respiratory	6095	5370	10700	12467	11048	7436
6.	Cardiac	4044	3800	5935	6629	6510	4332
7.	Stroke	924	1063	1548	1602	1603	876
8.	Others	32663	30249	57492	49786	49862	31650
	Total	**106013**	**106768**	**158071**	**162295**	**151276**	**96028**

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

चिकित्सा उपचार अनुभाग

राज्य व्याधि सहायता निधि

- राज्य व्याधि सहायता निधि राज्य में वित्तीय वर्ष 2005–2006 से प्रारम्भ हुयी है।
- उक्त योजना के तहत बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के उपचार हेतु प्रति रोगी धनराशि रू0–1,50,000.00(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने का प्राविधान है।
- वित्तीय वर्ष 2005–2006 से वर्तमान तक राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या–1044 एवं रू012,85,41,175.00 की कुल धनराशि आवंटित की गयी है।

- उत्तराखण्ड से नई दिल्ली रैफर होने वाले रोगियों एवं उनके परिजनों के ठहरने की व्यवस्था हेतु अतिथिगृह में ठहरने वाले तीमारदारों की सूचनाः–
- यह योजना दिनांक–01.12.2007 से प्रारम्भ की गई ।
- योजना प्रारम्भ होने आतिथि तक कुल तीमारदारों की संख्या–10490 है।

तालिका 21.10

Details Of Kidney Transplant In Uttarakhand

SL. No.	Name of Hospital	Date of NOC & Renewal	Year of Transplant	No. of Kidney Transplant
1-	**Himalyan Hospital**	01-05-2004	2005	01
			2006	03
		08-06-2009 (Renewal)	2007	04
			2008	04
			2009	01
	Total =76	25-05-2015 (Renewal)	2014	01
			2015	01
			2016	02
			2017	11
			2018	03
		11-01-2021 (Renewal)	2019	05
			2020	03
			2021	17
			2022	17
			2023	03
			Till Nov, 2024	00
2-	**Shri Mahant Indresh Hospital, Patel Nagar Dehradun**	02-11-2015	2016	02
			2017	05
			2019	03
			2020	00
			2021	
	Total =14		2022	04
		15-02-2021 (Renewal)	**2023**	08
			Till Nov, 2024	02

3-	**Max Super Speciality Hospital Dehradun**	02-01-2018 (Renewal)	2018	01
			2019	02
			2020	00
			2021	00
	Total =3		2022	00
			2023	00
		31-03-2023 (Renewal)	**Till Nov, 2024**	00
4-	**AIIMS, Rishikesh**		2022	00
		08-01-2021 (NOC)	2023	01
	Total =1		**Till Nov, 2024**	00
5-	**Arihant Hospital**	31-03-2023 (NOC)	NIL	00
			Till Nov, 2024	
			TOTAL	**104**

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.4 उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स् डेवलपमेंट परियोजना

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड रू0) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है। उक्त क्रम में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया, सितम्बर 2023 में अनुबंधावधि समाप्त होने से पूर्व विश्व बैंक एवं उच्च स्तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरान्त परियोजना का 15 माह का विस्तार किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 होगी।

भौतिक प्रगति

घटक–1

प्रदेश के पर्वतीय तथा असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना– इस उपघटक में चिन्हित जनपदों में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत जनपद के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय को एक समूह के रूप में संचालित किया जायेगा जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों को संदर्भण हेतु मोबाईल हैल्थ वैन भी समूह का एक हिस्सा होगी।

21.4.1 टिहरी क्लस्टर– जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय एवं 03 सचल चिकित्सा वाहन के संचालन हेतु निविदा के आधार पर चयनित हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रान्ट के सहयोग से मार्च 2019 से 07 जून 2023 तक संचालित किया गया। अनुबंधावधि पूर्ण होने के उपरान्त जिला चिकित्सालय बौराड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर तथा 03 सचल चिकित्सा वाहन का संचालन दिनांक 08.06.2023 से महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जा रहा है।

21.4.2 रामनगर क्लस्टर– रामनगर क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में शुभम सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 को चयनित किया गया।

1. उक्त क्लस्टर के अन्तर्गत राजकीय संयुक्त

चिकित्सालय रामनगर को माह जुलाई 2020 से क्रियाशील किया जा चुका है। इस क्रम में आर0डी0 जोशी, संयुक्त चिकित्सालय के पी0पी0पी0 मोड में आने से पूर्व की अवधि में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 311 शल्य चिकित्सा के सापेक्ष जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक 1663 सामान्य शल्य चिकित्सा एवं माह जुलाई 2021 से जून 2022 में कुल 2150, जुलाई 2022 से जून 2023 में कुल 2368, जुलाई 2023 से जून 2024 तक 2999, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 1256 शल्य चिकित्सा तथा संस्थागत प्रसव में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 758 सामान्य प्रसव के सापेक्ष जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक 946 सामान्य प्रसव एवं माह जुलाई 2021 से जून 2022 तक कुल 907, जुलाई 2022 से जून 2023 में 874, जुलाई 2023 से जून 2024 तक 876, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 413 सामान्य प्रसव, पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक कुल 313 सीजेरियन प्रसव तथा जुलाई 2021 से जून 2022 तक 355, जुलाई 2022 से जून 2023 में 318 जुलाई 2023 से जून 2024 तक 354, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 123 सीजेरियन प्रसव किये गये हैं।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंन का लोक निजी सहभागिता के आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2021 से क्रियाशील किया जा चुका हैं। जनवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 92111 ओ0पी0डी0, 2196 आई0पी0डी0, 276 मेजर तथा 624 माइनर सर्जरी, 426 सामान्य प्रसव, 97 सीजेरियन प्रसव, 10321 एक्स–रे तथा 138726 लैब जांच एवं प्रथम बार जनवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 2371 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल का संचालन दिनांक 29 मार्च 2021 से किया जा रहा है। 29 मार्च 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 50468 ओ0पी0डी0, 1232 आई0पी0डी0, 5118 एक्स–रे एवं 85424 लैब जांच एवं प्रथम बार मार्च 2021 से नवम्बर 2024 तक 1690 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

21.4.3 पौड़ी क्लस्टर– पौड़ी क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में श्री गुरू राम राय चिकित्सा संस्थान को चयनित कर दिनांक 17/06/2020 अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया गया। उक्त क्लस्टर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र पाबौ का संचालन लोक निजी सहभागिता के आधार पर 01 फरवरी 2021 से तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र घण्डियाल का संचालन दिनांक 05 फरवरी 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

1 जिला चिकित्सालय पौड़ी में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 365666 ओ0पी0डी0, 11654 आई0पी0डी0, 1681 मेजर तथा 3494 माईनर सर्जरी, 1824 सामान्य प्रसव, 308 सीजेरियन प्रसव, 53670 एक्स–रे तथा 626405 लैब जांच, 28469 अल्ट्रासाउन्ड तथा 1592 सी0टी0 स्कैन किये जा चुके है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबौ में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 71722 ओ0पी0डी0, 2584 आई0पी0डी0, 952 सामान्य प्रसव, एवं नवम्बर 2024 तक 15 सिजेरियन प्रसव, 11985 एक्स–रे तथा 46124 लैब जांच एवं पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 2104 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घण्डियाल में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 38691

ओ0पी0डी0, 878 आई0पी0डी0, 28772 लैब जांच तथा 1301 ई0सी0जी0 एवं 9508 एक्स–रे एवं पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 934 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

घटक–

21.4.4 स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण– इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की परिचारक क्षमता बढ़ाने हेतु शासकीय संस्थागत ढांचों में एन0ए0बी0एच0 गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा राज्य के मानव संसाधन की क्षमता के विकास को बढ़ाने पर केन्द्रित होगा ताकि आवश्यक कौशल क्षमताओं की राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धता हो सकें। इसके अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन तंत्र, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा अन्य सहायक शोध, साक्ष्य उत्पत्ति तथा तद्नुसार रणनीतिक नियोजन हेतु साक्ष्य के उपयोग, डाटा जनरेशन और आवश्यक प्रबन्धन आदि भी उक्त उपघटक का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

1. जिला चिकित्सालयों में गुणवत्ता सम्वर्धन (NABH Entry Level Certification) –

इस घटक के अन्तर्गत चयनित पाँच जनपदीय स्तर चिकित्सालयों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये उपरोक्त चिकित्सालयों को NABH स्तरीय मानकों तक लाने के लिये Gap Assessmentds आधार पर डी0पी0आर0 का अनुमोदन शासन द्वारा प्राप्त कर प्रोक्योरमेंट हेतु प्रक्रिया गतिमान है। उक्त NABH प्रमाणन एवं चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 89.98 करोड़ रूपये की लागत से सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

- चिकित्सालयों की Gap Assessment
- NABH Accreditationdh कार्य योजना।
- विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डी0पी0आर0)
- Project Interim Report
- Project Draft Report

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation तक पहुँचाने के लिये Turn Key Basis पर चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। इस कम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 स्टाफ नर्स, 2 लैब टैक्नीशियन, 1 एक्स–रे टैक्नीषियन एवं 1 मात्रिका (मैट्रन) तैनात किये जाने का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक तैनात किए जा चुके मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ का विवरण निम्नवत है।

जिला चिकित्सालय–अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय–बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय–गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय–रूद्रप्रयाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 20 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत है। इसी प्रकार मैट्रन 05/05 एवं एक्स–रे टेक्नीशियन के स्वीकृत सभी 05/05 पदों के सापेक्ष कार्मिकों की पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। स्टाफ नर्स के स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। लैब टेक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पदो पर पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। इन समस्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही भौतिक सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सालय गुणवत्ता के उच्चतम मानक NABH प्रमाणन को प्राप्त कर सके। उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों का एन0ए0बी0एच0 मानकानुसार विभिन्न

विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, तथा एन0ए0बी0एच0 एसेसर्स द्वारा जिला चिकित्सालय–अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय –बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय– पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय –गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय–रूद्रप्रयाग का पुनः प्री एसेसमेंट प्रक्रिया गतिमान है, एवं जिला चिकित्सालय बागेश्वर एवं जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का एन0ए0बी0एच0 इण्ट्री लेवल प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा चुका है, शेष चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा, गोपेश्वर एवं रूद्रप्रयाग की NABH CAPA का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा एन0ए0बी0एच0 को समस्त वांछित अभिलेखो/सूचनाओं सहित प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

स्वास्थ्य गुणवत्ता संर्वधन के क्रम में एन0ए0बी0एच0 मानकों की पहुंच हेतु चयनित चिकित्सालयों का में लघु सिविल कार्य एवं उपकरण संर्वधन यथा सी0टी0 स्कैन, माडयूलर ओ0टी0, एस0टी0पी0, सी0एस0एस0डी0, एच0वी0ए0सी0, मॉरचरी कैबिनेट, फायर फाईटिंग उपकरण इत्यादि का स्थापन कार्य चयनित एजेन्सी द्वारा Turn Key Basis पर 90% पूर्ण किया जा चुका है शेष अन्तिम चरण में गतिमान है।

- राज्य के 05 एन0ए0बी0एच0 आच्छादित चिकित्सालयों में Informative LED Display Boards का कार्य पूर्ण।
- राज्य के 05 एन0ए0बी0एच0 आच्छादित चिकित्सालयों में 08 Anesthesia Work Station की स्थापना हेतु निर्मित डी0पी0आर0 को टी0ए0सी0 एवं अनुमोदन प्रक्रियाधीन।

2. प्रशिक्षण–

- राज्य के 13 जिलों के सभी कैडर के चिकित्साकर्मियों (चिकित्सक, स्टॉफनर्स, पैरामेडिकल एवं सहायक स्टॉफ) की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में चयनित संस्था द्वारा 10212 चिकित्साकर्मियों का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट विषय पर वर्ष 2022 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- ट्रेनिंग आवश्यकता आकलन के आधार पर स्वास्थ्य तन्त्र के सभी कैडर की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में ट्रेनिंग एजेन्सी का चयन पूर्ण कर लिया गया है, उक्त प्रशिक्षण लगभग 19 करोड रूपये की लागत से 2024 तक पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2022 से आतिथि राज्य के 10 जनपदों के विभिन्न कैडर के हैल्थ केयर स्टाफ (25099) को 7 प्रकार की श्रेणी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन है।
- **शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण –**

स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पदों (CMO, CMS, ACMO आदि) के प्रबंधन कौशल संवर्धन हेतु शीर्श प्रशिक्षण संस्थान IIHMR Jaipur तथा ASCI Hyderabad के माध्यम से 52 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कम्यूनिकेशन कार्य योजनादृ कम्यूनिकेशन कार्य योजना चयनित संस्था के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान– डिजास्टर प्रिपेयड्नेस प्लान चयनित एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

3. कोविड–19 पैकेज – इस पैकेज के अन्तर्गत कोविड–19 प्रबंधन में सहायता हेतु विश्व बैंक के स्तर से निम्नलिखित पैकेज में सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 02/06/2020 को प्राप्त हुई। इस पैकेज में कुल अनुमोदन 14850 लाख रूपये का प्राविधान हैं।

21.5 उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में Estimated Adult HIV Prevalence (15–49 Year) संक्रमण दर 0.13 (Source- Technical Report-2022, NACO) प्रतिशत (नाको) है। कार्यक्रम का उद्देश्य एच0आई0वी0/एड्स के प्रति शत–प्रतिशत जागरूकता स्तर प्राप्त करना, एच0आई0वी0 संक्रमण दर को स्थिर एवं ऋणात्मक दिशा प्रदान करना तथा एच.आई.वी. /एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा–उपचार की व्यवस्था करना इत्यादि है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति आख्या :–

1 **एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द्रः**–एच. आईवी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 49 केन्द्र स्थापित हैं एवं एक मोबाईल आई0सी0टी0सी0 मोबाईल वैन भी संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त केन्द्रों में कुल 3,39,486 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सुविधा प्रदान की गयी जिसमें से 1051 व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित पाये गये।

2 **यौन रोग नियंत्रण क्लीनिकः**–प्रदेश में एस. टी.आई./आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संक्रमण/प्रजनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 29 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है, जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। 2024–25 में उक्त केन्द्रों में कुल 34,921 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

3 **रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः**– उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकोषों का सुदृढ़ीकरण एवं स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है, जिस हेतु राज्य के समस्त जिलों में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में 60 रक्तकोष (ब्लड बैंक) स्थापित एवं कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य में स्थापित रक्तकोषों में कुल 1,51,822 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 65% प्रतिशत से अधिक यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किये गये तथा कुल 1143 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

4 **एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः**–प्रदेश में वर्तमान में 12 ए.आर.टी. केन्द्रों (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है, जहां एच.आई.वी. सक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में केन्द्रों में 7,574 एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति दवा प्राप्त कर रहे है।

5 **लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रमः**–उत्तराखण्ड में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 37 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रहा है। इसके अन्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सशक्त रूप से संघर्षरत है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत उच्च जोखिम समूहों के मध्य कार्य किया जा रहा है जहां संक्रमण की अधिक संवेदनशीलता है, जिसके अन्तर्गत महिला यौनकर्मी, इन्जेक्टिंग ड्रग यूजर्स, समलिंगी (एम.एस.एम.) एवं ब्रिज पापुलेशन के अन्तर्गत ट्रक ड्राईवर एवं माइग्रेंट्स के मध्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

6 **प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमः**–उत्तराखण्ड में एच0आई0वी/एड्स के नियन्त्रण, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) की अहम भूमिका है। एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, फोक मीडिया एवं आई0 ई0सी0 कैम्पेन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है। राज्य में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रेड रिबन क्लबों का गठन किया गया है। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

तालिका 21.11
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष : 2024–25

क्र. स.	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यक्रम	49 निःशुल्क एच.आई.वी परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित एवं कार्य शील		
	(क) एच .आई.वी. जांच किये गये व्यक्ति	49	5,82,077	3,39,486
	(ख) एच .आई.वी. अनुकूल पाये गये व्यक्ति	49	—	1051
2.	यौन रोग नियंत्रण (सुरक्षा क्लीनिक)	29	70,725	34,921
3.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	63	1,00,000	1,51,822
4.	एंटी रेट्रोवायरल दवा एवं उपचार कार्यक्रम	12	6,900	7,574
5.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाए	37	1,86,780	1,34,931

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.6 होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित हैं। जनपद स्तर पर 13 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं :–

1 सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में कुल 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं।

2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

3 केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार,

उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित 05 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सालय (आर0 सी0 एच0 विंग) संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2024–25 में आतिथि तक कुल 36174 रोगियों का उपचार किया गया।

4 केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित कुल 04 त्वचा विज्ञान केन्द्र संचालित हैं जिसमें कई चर्म रोग जैसे–एक्जिमा, वार्टस,कार्न, स्केबीज, आर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस एवं अन्य चर्म रोगों के कुल 19657 रोगियों को लाभान्वित किया गया।

5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में आतिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सामान्य बीमारियों, तीव्रगति से फैलने वाले रोग, असाध्य, गम्भीर बीमारियों, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कारगर है, में मुख्यतः निम्नलिखित बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गयाः

तालिका 21.12

क्र0सं0	रोग का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	**स्वास रोग संक्रमण**	**46951**
2	**पेट से सम्बन्धित बीमारियां**	**41569**
3	**गुर्दे की पथरी एवं रोग**	**21584**
4	**महिलाओं से सम्बन्धित बीमारियां (गाईनोक्लोजिकल डिजीजेस)**	**43658**

स्रोतः होमोपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

1 **राष्ट्रीय आयुष मिशनः–** राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं वर्तमान में संचालित कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

2 वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है, उक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विभिन्न प्रकार के साथ–साथ सामान्य जांचों की सुविधा हेतु लैबोरेटरी की स्थापना भी की जा चुकी है जिसमें सामान्य जांचों की सुविधा जैसे–उच्च रक्त चाप, शुगर, मलेरिया, हैपेटाइटिस, हिमोग्लोबिन, टाइफाईड, ओरल एवं सर्विक्स कैंसर सम्बन्धी स्क्रीनिंग के साथ–साथ योगा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही आमजनमानस हेतु हर्बल गार्डन भी विकसित किया जा चुका है जिसके माध्यम से उन्हें होम्योपैथिक औषधि पादपों की जानकारी प्राप्त होगी।

3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों में डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 943 आउटरीच शिविर लगाये गये जिसमें लगभग 68,368 आमजनमानस का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं रोगों से बचाव हेतु परामर्श के साथ–साथ निशु:ल्क होम्योपैथिक औषधि वितरित की गयी।

4 कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर भारत सरकार की गाईड लाईन तथा मा0 मंत्रीमण्डल के निर्णयों के अनुपालन में कोविड–19 की प्रथम चरण में 13,34,181 (तेरह लाख चौतीस हजार एक सौ इक्कासी), द्वितीय लहर में 11,78,912 तथा तृतीय लहर में 3,98,338 व्यक्तियों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30 का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोविड–19 से आमजनमानस की सुरक्षा हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30 वितरण का कार्य किया गया है।

5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से 12,52,447 रोगियों का उपचार किया गया।

6 Super Specialist Clinic– आगामी वित्तीय वर्ष हेतु केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

7 जनपद हरिद्वार में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रोशनाबाद को उच्चीकृत किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश भर में आर्युविद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 461 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 27,530 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

8 राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना– उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

तालिका 21.13
होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, शेषजिकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण:–

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्साधिकारी	111	81	30
02	शेषजिक	111	110	01
03	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	132	90	42

स्रोतः होमोपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 21.14

होम्योपैथिक विभाग में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों, भेषजिकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का विवरणः–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	28	26	02
02	भेषजिक	28	27	1

स्रोतः होमोपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

1 दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर, 2023 को जनपद देहरादून के एफ0आर0आई0 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में होम्योपैथिक विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें होम्योपैथिक के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के दृष्टिगत चार निवेशकों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये।

2 सी0सी0आर0एच0 की सी0आर0 आई0 इकाई जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में प्रस्तावित है,

21.7 आयुर्वेदिक चिकित्सा :–

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, (542 आयुर्वेदिक, जनपद नैनीताल में 01– 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय तथा 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 05 यूनानी चिकित्सालय एवं26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुष विंग तथा 29– सी0 एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0 ओ0सी0एच0) में सेवा प्रदान की जा रही है।

21.7.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापना :– सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं)आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.7.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापना :– जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग पर संचालित है।

21.7.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापना :– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 60 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 213 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें से आतिथि तक 273 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों संचालित हो रहे हैं

शेष सेन्टरों को क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त के अतिरिक्त 100 अन्य राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पैथेलॉजी रैपिड किट के माध्यम से जाँच की सुविधा प्रदान की जा रही है।

21.7.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन :– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, (542 आयुर्वेदिक 01– 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय तथा 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 26–जिला चिकित्सालय, 180– आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0ओ0सी0एच0) औषधियों के क्रय हेतु धनराषि प्राप्त होती है।

21.7.5 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत ए0एच0डब्ल्यू0सी0 की स्थापना :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में 273 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को आयुष हैल्थ वैलनेस सेन्टरों के रूप में स्थापित किया जा चुका है।

21.7.6 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय :– 150 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को NABH प्रत्यायित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें 66 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को प्रत्यायित किया जा चुका है।

जनपद–टिहरी के ग्राम–जलेम, पट्टी जाखणीधार, में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को रू0 490.00 लाख की धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद–चम्पावत के टनकपुर में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना नवीन कार्यदायी निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, लोहाघाट चम्पावत द्वारा किया जा रहा है जिसको स्वीकृत लागत रू0 1503.91 लाख के सापेक्ष रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास, पौड़ी को स्वीकृत लागत रू0 1758.01 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, तथा भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद हरिद्वार के पथरी में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश को स्वीकृत लागत रू0 692.50 लाख के सापेक्ष रू0 392.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान में 85: निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है

जनपद नैनीताल के भीमताल में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी को स्वीकृत लागत रू0 635.14 लाख के सापेक्ष रू0 207.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

21.7.7 यूनानी चिकित्सा पद्धति :– राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद–हरिद्वार में 50 शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय एवं कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण

निगम के द्वारा रू0 2400.00 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेशित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

21.7.8 राज्य में राजकीय आयुर्वेदिक/ यूनानी औशधि निर्माणशालाओं की स्थिति :– राज्य में कुल 240 आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालायें स्थापित हैं। हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के द्वारा राज्य बजट से जनपदों की माँग एवं प्राप्त बजट के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है एवं राज्य के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं आयुष विंगों के रोगियों को रोगानुसार मुफ्त औषधि वितरण किया जाता है।

21.7.9 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला :– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

21.7.10 आयुष नीति–2023 का प्रख्यापन :– उत्तराखण्ड सरकार के आयुष एंव आयुष शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1938/XL-1/2023-39/ 2018 दिनांक–25 अक्टूबर 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड आयुष नीति 2023 प्रख्यापित की है। यह नीति 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। यह राज्य में आयुष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति है, आयुष नीति 2023 औषधीय पौधों की खेती, आयुष विनिर्माण, स्वास्थ्य, वैलनेस तथा आयुष शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देगी। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आयुष वैलनेस हब के रूप में स्थापित करना है।

21.7.11 आयुष क्षेत्र में विशिष्ट गतिविधियाँ एवं नवाचार :– आयुष क्षेत्र की विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत स्कूली छात्रों को आयुर्वेद की जानकारी दिये जाने हेतु स्कूलों में आयुर्विद्या कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है तथा आयुर्वेद के माध्यम से गर्भिणी परिचर्या प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 5065 शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें 233289 स्कूली छात्र लाभान्वित हुये है। साथ ही नवाचार के अन्तर्गत देश की प्रथम योग नीति के आलेखन का कार्य प्रचलन में है।

21.7.12 आयुष क्षेत्र में चिकित्सालय भवनों का निर्माण :– आयुष क्षेत्र को और अधिक व्यापक व समृद्व करने की दृष्टि से राज्य योजना अन्तर्गत वर्तमान में 06 आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन (02 नैनीताल, 02 रूद्रप्रयाग, 02 पौड़ी) निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2024–25 में पाँच राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है

तालिका 21.15

आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0स0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	निदेशक	01	01	0
2	अपर निदेशक	02	00	02
3	संयुक्त निदेशक	05	03	02

4	संयुक्त निदेशक फार्मेसी	01	01	00
5	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	13	04	09
6	अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	08	08	00
7	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	40	36	04
8	चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक	766	676 (656 नियमित, 20 संविदा)	90
9	चिकित्साधिकारी यूनानी	05	04	01
10	चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य MOCH	90	75 (16 नियमित 59 संविदा)	15
11	चिकित्साधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	01	01	00
12	प्रभारी अधिकारी फार्मेसी	10	02	08
13	चीफ फार्मेसिस्ट	77	67	10
14	फार्मेसिस्ट (आयुर्वेदिक)	692	670	22
15	फार्मेसिस्ट (यूनानी)	05	04	01
16	सिस्टर	01	0	01
17	स्टाफ नर्स/सिस्टर	33	19	14
18	पंचकर्म सहायक	314	76	238
19	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक	29	13	16

स्रोतः आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

अध्याय–22
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
Women Empowerment & Child Development

22.1 सामान्य विवरणः– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गई थी। वर्ष 1978–79 में उत्तराखण्ड के तीन विकासखण्ड चकराता, कीर्तिनगर एवं धारचूला में बाल विकास परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें से 20069 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। विभाग का उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना,उनकी कुपोषण, मृत्यु दर और ड्रॉपआउट दर को कम करना और माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है।

महिलाओं, बालक व बालिकाओं को सुरक्षित समाज तथा आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में कई योजनायें संचालित की गयी है। महिला उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए भी प्रदेश द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के **विजन 2030** के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे है।

22.1.1 अवस्थापना सुविधायें:–

वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1250 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18819 केन्द्र संचालित है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

तालिका–22.1 के अनुसार राज्य में 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 33085 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण हेतु सर्व प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है। तद्पश्चात 3–4 माह की गर्भवती महिला का Mother & Child Protection Card (MCP) तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराया जाता है।

तालिका 22.1

क्र०सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	आंगनबाड़ी कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1860	1794	1141
2	बागेश्वर	9	834	806	511
3	चमोली	9	1078	1052	682
4	चंपावत	7	681	646	364
5	देहरादून	15	1907	1450	262

6	हरिद्वार	3	3179	3020	2434
7	नैनीताल	11	1416	1360	934
8	पौड़ी	11	1853	1750	961
9	पिथौरागढ़	3	1112	1050	574
10	रुद्रप्रयाग	9	692	568	505
11	टिहरी	10	2017	1945	1262
12	ऊ0सि0नगर	8	2388	2267	1863
13	उत्तरकाशी	4	1052	1007	601
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**20069**	**18715**	**12094**

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2
राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2018–19	83943	90730
2019–20	80919	93341
2020–21	88989	93149
2021–22	73155	83570
2022–23	68456	67447
2023–24	59517	56210
2024–25	55732	56069

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2 के अनुसार दिसम्बर, 2024 तक कुल 55,732 गर्भवती व 56069 धात्री महिलायें को लाभान्वित की गयी है।

22.1.2 कुपोषण की स्थिति– तालिका 20.3 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2024–25 में 2983 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2024–25 में प्राविधानित 1351.10 करोड के सापेक्ष 488.87 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 430.00 करोड व्यय किया गया है, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–22.3
राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
कुपोषित बच्चे	8856	7658	6499	4233	8374
अतिकुपोषित बच्चे	1129	1119	952	992	2983

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.1.3 केन्द्र पोषित योजनायें

1. अनुपूरक पोषाहार–योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. कुक्ड फूडः–इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) प्रदान किया जा रहा है।

तालिका–22.4
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चो का वर्षवार विवरणः–

वर्ष	लाभान्वित	
	06 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2020–21	444690	238925
2021–22	392264	213527
2022–23	248062	145597
2023–24	388850	234670
2024–25	362415	239551

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

3. टेक होम राशनः– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह मे कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित–Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है।

4. स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरणः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु 1500/– एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु 750/– का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है।

5. वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलैट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध है।

6. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है।

7. स्कूल पूर्व शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष में एक बार ₹ 3000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्र एवं ₹ 1000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिवर्ष प्री–स्कूल किट/एक्अीविटी बुक दिये जाने का भारत सरकार द्वारा प्राविधान निर्धारित किया गया है।

8. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90% के0 सहा0) PMMVY:– मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने और द्वितीय बालिका के जन्म पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वंय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा। योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में (प्रथम किश्त ₹ 1000, द्वितीय किश्त ₹ 2000, तृतीय किश्त ₹ 2000) कुल ₹ 5000/– की

धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर तक कुल 64297 लाभार्थियों को 20.80 करोड रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

9. राष्ट्रीय पोषण मिशन 'पोषण अभियानः– यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है।इस योजना के संचालन हेतु Poshan Tracker के अन्तर्गत 20067 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये है। पोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, युवा कल्याण, स्वच्छता एवं पेयजल, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना अन्तर्गत माह दिसम्बर,2024 तक 19.54 करोड व्यय किया गया है।

10. स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स– भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ जनवरी 2019 को किया गया। इस योजना का राज्य के आकांक्षी जनपद–हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालन किया जाना है। योजना अन्तर्गत किशोरियों को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर तक 72437 लाभार्थियों को लाभांवित किया जा चुका है।

11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओः– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास तथा बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है। समस्त जनपदों द्वारा वृहत स्तर पर जागरूता एंव क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जा रहें हैं।

12. वन स्टॉप सेन्टरः– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहें है। वित्तीय 2024–25 में योजना अन्तर्गत तालिका 22.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2024–25 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुव्यर्वहार/अपराध के पंजीकृत मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में वृदि हुई है।

तालिका–22.5

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्पलाईन (181)	
	पंजीकृत	निस्तारित	पंजीकृत	निस्तारित
2020–21	1545	1563	1396	1396
2021–22	1473	1395	1247	1247
2022–23	1154	846	744	744
2023–24	572	281	997	997
2024–25	1053	766	423	423

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एनं बाल विकास विभाग

13. आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण–इस योजना के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन व्यवस्था हेतु वर्ष 2024–25 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु युगपतिकरण के माध्यम से ₹ 8.00 लाख मनरेगा एवं केन्द्रीय योजना से ₹ 2.00 लाख एवं राज्य योजना से ₹ 2.00 लाख कुल ₹ 12.00 करोड का प्राविधान है। वर्ष 2024–25 में 3940 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है है।

22.1.4 राज्य सेक्टर की योजनायें–

1. उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनाः– उत्तराखण्ड राज्य में सशक्त महिलाओं का निर्माण करना है जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजीनैतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित कर सकें। योजना के अन्तर्गत महिला विकास परक अभिनव परियोजना गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को सम्पोषित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:–

तालिका–22.6

क्र	वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह	महिला लाभार्थी
1	2020–21	–	–
2	2021–22	18	253
3	2022–23	30	590
4	2023–24	03	66
5	2024–25	07	661

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

2. राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनाः– उत्ततराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है। योजनान्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षणोपरान्त ₹ 50,000/–तक सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण अवधि में ₹ 1000/– की छात्रवृत्ति का प्राविधान।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 08 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसमें कुल **1500** महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड यथाः–डेरी मैनेजमैन्ट, मधमुक्खी पालन, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कताई बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जड़ी बूटी उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान तक 4159 किशोरी/महिलाऐ लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 6.14 करोड रूपये का व्यय किया गया।

3. कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्यवस्थाः– इस योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

4. नन्दा गौरा योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किश्त में 11000 की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 51000 की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 195.00 करोड रूपए का प्राविधान किया गया है के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक शासन द्वारा कोई भी धनराशि जारी नहीं की है योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

तालिका–22.7

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2020–21	32210
2021–22	15669
2022–23	82601
2023–24	79518
2024–25	38400

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना– विभाग के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं जुडवा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत **"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना"** अन्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 12.34 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 12.34 करोड रूपये का व्यय किया गया।

तालिका–22.8

वर्ष	लाभार्थियों	लाभान्वित
2021–22	75000	75000
2022–23	24171	10035
2022–23	64405	41451
2023–24	49247	40839

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

6. किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था– किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में धनराशि ₹ 6/– की सब्सडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्तमान मे कुल 41.14 लाख सेनेटरी नैपकीन पैकेट समस्त जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये हैं। योजनान्तर्गत अभी तक ₹ 26.8 करोड रूपये का व्यय किया गया।

7. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण): राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम' के तहत् बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोडेड टेबलेट/स्मार्ट फोन पुरूस्कार स्वरूप वितरित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक 1703 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से मलिन बस्तियों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 210 किशोर एवं किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹ 1.00 करोड कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है। जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

8. "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना"– "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 2,08,037 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 10.00 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह

दिसम्बर तक ₹ 9.64 करोड रूपये का व्यय किया गया।

9. "मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना"– योजनान्तर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला/खजूर दिया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 1,24,613 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 16.2 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 12.2 करोड रूपये का व्यय किया गया।

10. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान– बाल पालाश–योजना के अर्न्तगत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों मे पंजीकृत 03–06 आयु के बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केला/केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है, योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 2,26,452 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 25.25 करोड रूपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 17.90 करोड रूपये का व्यय किया गया।

11. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना – एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एक महिला, अविवाहित, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो, को समझा जायेगा।

योजना का उद्देश्यः

योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/परित्यकता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना हैं।

12. आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष–

योजनान्तर्गत मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीस हजार अधिकतम चौवन हजार रुपये तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1764 लाभार्थीयों को लाभन्वित किया गया है।

विभागीय प्रयास

- **तीलू रौतेली पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत 13 किशोरी / महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- **आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- **पोषण अभियान**–पोषण माह दौरान आंगनवाडी केन्द्रों मे जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु जागरुक किया गया। 1665 आंगनवाडी केन्द्रों में लाभार्थियों हेतु पोषण वाटिका स्थापित की गई। पोषण माह 2024 दौरान आमजन को पोषण के प्रति जागरुक करने हेतू पोषण रैली, पोषण मेला, नुक्कड नाटक, स्वास्थ्य शिविर एवं अन्य गतिविधियों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। प्रतिमाह आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रतिमाह सी0बी0ई0 एवं वी0एच0एस0एन0डी0 गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पोषण सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन कर लाभार्थीयों को पोषण के प्रति एवं स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जाता है। राज्य के समस्त 20067 आंगनवाडी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर के माध्यम से समस्त लाभार्थीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

- **डिजिटल पैरेंटस मार्गदर्शिका प्रोग्राम** – कोरोना महामारी के दौरान आंगनवाडी केन्द्र के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया से जुडे रहने के दृष्टिगत नई पहल के रुप में इस कार्यक्रम को लागू किया गया इस कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक मांनसिक विकास एवं अभिभावकों को उनके देखभाल से सम्बन्धित सूक्ष्म वीडियो क्लिप के माध्यम से जोडते हुए प्रतिदिन के आधार पर उनको गतिविधिया दी जाती है। इस कार्यक्रम में भेजे गये वीडियों क्लिप की दर्शक संख्या के आधार पर इस कार्यक्रम का फीडबैक प्राप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम में विभाग के सहयोगी के रुप में मिराकी फाउन्डेशन कार्यरत है।

- **पोषण वाटिका** – राज्य के 350 आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है।

- वर्तमान में निदेशालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है

- आंगनवाडी केन्द्र हेतु कुल–32773 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाईस का क्रय किया गया है।

- 10013 वेन्डिंग मशीन को आंगनवाडी केन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है।

प्रस्तावित कार्य योजना

- **सोलर पैनल** – राज्य के समस्त विभागीय निर्मित भवनो जैसे – जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्रों में सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगें।
- 20069 आगंनबाड़ी कार्यकत्री के लिये स्मार्ट फोन क्रय किये जायेगें।
- प्रत्येक आगंनबाड़ी कार्यकत्री को 1 सेट (साड़ी, सूट) पोशाक क्रय किया जायेगा।
- प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र के लिए प्री–स्कूल किट का क्रय किया जायेगा।
- प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र के लिए मेडिसन किट का क्रय किया जायेगा।
- एकल महिला स्वरोजगार योजना

अध्याय–23
सतत् विकास लक्ष्य

उत्तराखण्डः सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा

सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। सतत विकास लक्ष्य एक ऐसे विश्व की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य धरती एवं प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचायें समावेशी एवं संवहनीय आर्थिक प्रगति को प्राप्त करना है। सतत् विकास लक्ष्यों के द्वारा एक ऐसे विश्व की संकल्पना की गयी है जिसमें गरीबी, भूखमरी, असमानता तथा पर्यावरणीय क्षति से निपटने के साथ–साथ समृद्धि, शान्ति के साथ समग्र विकास किया जा सके। उत्तराखण्ड ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है फिर भी यह राज्य में अनेक चुनौतियाँ है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा एसडीजी संतुलित विकास प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सतत् विकास लक्ष्य के प्रति भारतीय प्रतिबद्धतायें

भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से एक है। भारत ने अपने देश के सामाजिक और भौगोलिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों तथा इनसे सम्बन्धित 169 उपलक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक की समय–सीमा निश्चित कर रखी है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्सः

भारत में एसडीजी के लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक 2018 से तैयार किया जा रहा है। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त सूचकांक वर्ष 2018 में 13 लक्ष्य तथा 39 उपलक्ष्यों तथा 62 संकेतांको पर आधारित थे, इसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 16 लक्ष्यों, 54 उपलक्ष्यों तथा 100 संकेतकों पर आधाति किया गया। वर्ष 2020 मे इसे पुनः बढ़ाकर 16 लक्ष्यों, 70 उपलक्ष्यों तथा 115 संकेतको पर आधारित किया गया। नीति आयोग ने वर्ष 2021 तथा 2022 में सूचकांक जारी नहीं किया और दो साल बाद वर्ष 2023 में एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स जारी किया है। उपरोक्त सभी सूचकांको में उतराखण्ड ने उतरोतर उल्लेखनीय प्रगति की है। **उतराखण्ड वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर दसवें स्थान पर, 2019 में नौवे स्थान पर, 2020 में चौथे स्थान पर और वर्ष 2023 में केरल के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है।** उतराखण्ड के 2018 से 2023 के मध्य एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स के एस.डी.जी. वार स्कोर एवं रैंक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

उत्तराखण्ड में एस0डी0जी0 अनु श्रवण एवं मूल्यांकनः

तालिका–23.1

Uttarakhand SDG Scores and Ranks in SDG India Index								
Overall and SDG wise	**Uttarakhand 2018**		**Uttarakhand 2019**		**Uttarakhand 2020**		**Uttarakhand 2023**	
	Score	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**
Overall	60	10	64	9	72	4	79	1
SDG 1: No Poverty	65	6	64	7	74	7	83	5

SDG 2: Zero Hunger	53	11	45	10	61	8	66	11
SDG 3: Good Health and Wellbeing	36	20	58	13	77	6	84	2
SDG 4: Quality Education	68	9	66	7	70	4	73	6
SDG 5: Gender Equality	41	6	38	11	46	13	56	8
SDG 6: Clean Water and Sanitation	78	6	90	5	85	11	94	6
SDG 7: Affordable and Clean Energy	55	12	78	9	100	1	100	1
SDG 8: Decent Work and Economic Growth	67	8	73	6	63	8	80	7
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure	33	16	55	11	56	10	62	7
SDG 10: Reduced Inequality	62	16	59	17	77	4	69	13
SDG 11: Sustainable Cities and Communities	41	9	51	9	76	9	89	4
SDG 12: Sustainable Consumption and Production	Was not included in Index		50	14	82	6	86	8
SDG 13: Climate Action	Was not included in Index		59	8	60	9	71	10
SDG 15: Life on Land	100	1	95	5	64	13	94	3
SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions	86	4	85	2	86	1	81	8

स्रोतः सी.पी.पी.जी.जी. उत्तराखण्ड

उतराखंड में एस.डी.जी. के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गर्वनेंस (सी.पी.पी.जी.जी.), नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सी.पी.पी.जी.जी. ने एस.डी.जी का अनुश्रवण 2019 से शुरू किया जबकि राज्य का एस.डी.जी. डी.आई.एफ. तैयार किया। वर्ष 2021 में सी.पी.पी.जी.जी. द्वारा उतराखण्ड एस.डी.जी. इंडेक्स कंपेडियम प्रकाशित किया गया, जिसमें वर्ष 2015–16 से लेकर वर्ष 2023–24 तक के 9 एस.डी.जी.इंडायसेज प्रकाशित किये गये। इन 9 एस0डी0जी0 इंडायसेज में शामिल किये गये लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है–

- एस0डी0जी0 के प्रारम्भिक एस.डी.जी. इंडेक्स कंपेंडियम जो कि 2015–16 से 2020–21 के लिए तैयार किये गया, उसमें 12 एस0डी0जी0 तथा 36 एस0डी0जी0 उपलक्ष्यों की मूलभूत प्रगति लक्षित हुई।
- वर्ष 2021–22 में इन उपलक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर 42 कर दी गयी थी।
- वर्ष 2022–23 से एस0डी0जी0 में 2 नये लक्ष्य (असमानता को कम करना तथा उत्तरदायित्व सहित उत्पादन तथा उपभोग) को शामिल किया गया। इसी प्रकार 4 नये उपलक्ष्यों को शामिल कर इंडेक्स का विस्तार किया गया।
- वर्ष 2023–24 का इंडेक्स 14 एस0डी0जी0, 46 उपलक्ष्यों तथा 127 संकेतकों पर आधारित है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक एस.डी.जी. इंडेक्स में शामिल लक्ष्यवार एवं कुल संकेतकों की संख्या दी गई है।

तालिका–23.2

SDG Index Indicators Summary						
Goals	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Goal 1	14	14	15	16	17	16
Goal 2	15	15	15	16	16	15
Goal 3	7	7	7	9	9	8
Goal 4	28	28	31	30	27	27
Goal 5	11	11	11	11	12	11
Goal 6	5	5	5	8	7	7
Goal 7	2	2	2	3	2	2
Goal 8	10	10	10	9	6	7
Goal 9	3	3	3	3	3	3
Goal 10	-	-	-	-	3	3
Goal 11	4	4	4	4	8	8
Goal 12	-	-	-	-	3	3
Goal 15	2	2	2	2	2	2
Goal 16	8	8	8	9	11	11
Total	109	109	113	120	126	123

स्रोत: सी.पी.पी.जी.जी. उत्तराखण्ड

इंडेक्स में लक्ष्यों, उपलक्ष्यों एवं संकेतकों का प्रगतिशील विस्तार वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने तथा उन्हें अपने विशिष्ट सामाजार्थिक और भौगोलिक सन्दर्भ के अनुरूप ढालने की उत्तराखण्ड राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

उतराखण्ड SDG इंडेक्स के उद्देश्य

उत्तराखण्ड एस0डी0जी0 इंडेक्स के निम्नलिखित लक्ष्य हैं–

1– सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा उनकी उपलब्धियों की तुलना पिछले वर्षों एवं परस्पर करना।

2– जनपदों को ऐसे लक्ष्यों एवं संकेतकों की

पहचान करने में मदद करना जिनमें उनकी उपलब्धियां पिछले वर्षों की तुलना में अथवा लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है।

3– रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा:– प्रत्येक एस0डी0जी0 में उनके प्रदर्शन के आधार पर जनपदों को रैंक करना और जनपदों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढावा देना।

5– जवाबदेही को प्रोत्साहित करना:– सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनपदों को जवाबदेही बढ़ाने के लिए रैंकिंग और मूल्यांकन का उपयोग करना।

एस0डी0जी0 इंडेक्स, इन उदेश्यों के माध्यम से उत्तराखण्ड में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की आकांक्षा रखता है। निम्नलिखित तालिका में उत्तराखण्ड एस0डी0जी0 इंडेक्स के अन्तर्गत जनपदों के 2015–16 से लेकर 2023–24 तक की प्रगति (स्कोर एवं रैंक) दर्शाये गये है।

तालिका–23.3

Uttarakhand Composite Index: District Scores and Ranks Across the Years 2015 -16 to 2020-21

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank
Uttarakhand	64		66		64		61		64		65		69		73		72	
Almora	64	**4**	68	**4**	64	**4**	62	**3**	64	**5**	66	**3**	67	**8**	68	**10**	63	**11**
Bageshwar	64	**4**	67	**5**	62	**6**	61	**4**	67	**3**	69	**1**	68	**7**	75	**2**	72	**4**
Champawat	64	**4**	60	**8**	59	**8**	56	**7**	63	**6**	67	**2**	71	**3**	73	**6**	72	**4**
Chamoli	62	**5**	69	**3**	65	**3**	60	**5**	66	**4**	66	**3**	69	**6**	74	**4**	67	**9**
Dehradun	71	**1**	70	**2**	69	**1**	71	**1**	70	**1**	67	**2**	73	**2**	75	**2**	76	**2**
Haridwar	55	**9**	54	**10**	59	**8**	59	**6**	62	**7**	53	**9**	59	**12**	64	**12**	62	**12**
Nainital	67	**2**	67	**5**	63	**5**	62	**3**	68	**2**	65	**4**	74	**1**	77	**1**	80	**1**
Pauri Garhwal	67	**2**	60	**8**	64	**4**	59	**6**	61	**8**	67	**2**	64	**10**	73	**6**	72	**4**
Pithoragarh	57	**8**	61	**7**	56	**9**	63	**2**	58	**9**	63	**6**	66	**9**	67	**11**	64	**10**
Rudraprayag	60	**7**	71	**1**	66	**2**	61	**4**	63	**6**	65	**4**	71	**3**	72	**8**	69	**8**
Tehri Garhwal	62	**5**	65	**6**	62	**6**	63	**2**	58	**9**	59	**7**	64	**10**	72	**8**	71	**7**
Udham Singh Nagar	61	**6**	59	**9**	60	**7**	53	**8**	54	**10**	58	**8**	54	**13**	60	**13**	62	**12**
Uttarkashi	65	**3**	69	**3**	65	**3**	61	**4**	63	**6**	64	**5**	70	**5**	74	**4**	74	**3**

स्रोत: सी.पी.पी.जी.जी. उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड भविष्य में भी राज्य का एस0डी0जी0 इंडेक्स का Computation एवं प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जारी रखेगा, ताकि राज्य 2023 के राष्ट्रीय एस0डी0जी0 इंडेक्स की तरह आने वाले वर्षों में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर सके व राज्य की नीतियां जहां एक ओर एस0डी0जी0 को प्राप्त करने में मददगार हों, वहीं ये नीतियां एवं कार्यक्रम साक्ष्य आधारित हों।

गेम चेंजर योजना

संशक्त उत्तराखण्ड @25 के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग को 02 गेम चेन्जर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये है। 24 विभागों द्वारा गेम चेंजर योजनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। गेम चेन्जर योजनाओं के अन्तर्गत जहां एक ओर नए अभिनव विचार लिए गए है वहीं विभागों की पूर्व से गतिमान योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से आगामी दो वर्षों में विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न विभागों द्वारा गेम चेंजर योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है:–

1. कृषि विभाग – ई– रूपी को गेंम चेंजर योजना के रूप में दिया गया है। यह कैश का डिजिटल फार्म है। इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचें का निर्माण जैसेदृ डिजिटल पेमैन्ट सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली विकसित किया जायेगा। जिसके द्वारा लेनदेन की गति तेज होगी, सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि, वित्तीय समावेश बढेगा जिससे अधिक लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा ई–रूपी के साथ दुरस्थ क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवायें उपलब्ध होगीं। आर्थिक लाभ के अन्तर्गत ई–रूपी के साथ कर राजस्व में वृद्धि होगी, पर्यावरणीय लाभ के अन्तर्गत ई–रूपी के साथ कार्बन फूटप्रिंट कम होगा तथा साथ ही कागज और धातु का उपयोग कम होगा जिसके लिए योजना में 25 करोड रु0 का बजट प्रस्तावित है।

2. बद्रीनाथ केदारनाथ समिति – "शीतकालीन चार धाम यात्रा" को गेंम चेंजर योजनाओं के रुप में चयनित किया गया हैं। चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों की यात्रा को बढ़ावा दिये जाने के क्रम में मन्दिर समिति द्वारा श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा स्थलों एवं अधीनस्थ मन्दिरों की यात्रा हेतु प्रोत्साहित किया जाना है, जिस हेतु फिल्मी हस्तियों, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महानुभावों से सम्पर्क स्थापित कर शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर इनकी सेवायें भी ली जा सकती है।

3. पशुपालन विभाग – वाइब्रेंट विलेज योजना को प्रथम गेंम चेंजर के रुप में चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये संगठित किसानों को प्रत्येक वर्ष रू0 20 करोड़ का व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त होगें। वर्तमान में चल रही ग्राम्य गोसवक योजना को द्वितीय गेंम चेंजर के रुप में लिया गया है। इसके अन्तर्गत 06 जनपदों में 54 ग्राम्य गोसेवकों का चयन करते हुए मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये, जिनके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विचरण कर रहे निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं की संख्या में कमी हेतु कार्य किया जायेगा। जिसके फलस्वरुप प्रतिदिन फसलों एवं जनमानस को हो रहे नुकसान एवं कठिनाईयों में कमी के साथ–साथ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा।

4. सगंध पौधा केंद्र (कैप)

सगंध पौधा केंद्र (कैप) की 'गेम चेंजर' योजना 'महक क्रांति' (2025–2035) सुगंधित पौधों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना 2035 तक चलेगी और इसका मुख्य लक्ष्य सात 'एरोमा वैली' की स्थापना करना है। ₹118 करोड़ के बजट वाली इस परियोजना का उद्देश्य सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सुगंधित तेलों और उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना, और राज्य को सुगंधित पौधों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

5. मत्स्य विभाग –

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए योजनाएँ इस प्रकार हैं: प्लॉट फार्मिंग योजना, राज्य स्तरीय एकीकृत एक्वा पार्क, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत मत्स्य हैचरी का पीपीपी मोड पर संचालन ।

6. उद्यान विभाग –

उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनायें राज्य में बागवानी के विकास को नई दिशा दे रही हैं। इनमें से दो गेम चेंजर योजनाएँ इस प्रकार हैं: एप्पल मिशन, नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत क्लस्टर पॉलीहाउस की स्थापना ।

7. वन विभाग –

उत्तराखंड का वन विभाग राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से 'गेम चेंजर' योजनाएँ इस प्रकार हैं: उत्तराखंड में इको–टूरिज्म तथा ''गैर–प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) का विकास तथा हर्बल एवं इको–टूरिज्म परियोजना'' जिसे दो चरणों में 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जनपदों को कवर किया जाएगा,

8. ग्राम विकास –

ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित 'गेम चेंजर' योजनाएँ इस प्रकार हैं: हाउस ऑफ हिमालयाजः इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजनाः इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

9. शहरी विकास –

पूरे राज्य में 100 नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा (प्रस्तावित बजट ₹100 करोड़), AI के माध्यम से स्ट्रीट लाइट का मैनेजमेंट (प्रस्तावित बजट ₹ 275 करोड़)।

10. स्टाम्प एवं निबंधन विभाग – पेपरलेस रजिस्ट्रेशन ।

11. पंचायती राज विभाग – ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधा, एवं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स आधारित थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण।

12. श्रम विभाग –मदृश्रम पोर्टल तैयार करना तथा राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में चार मैदानी जिलों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर को 'शून्य बाल श्रम क्षेत्र' बनाया जाना।

13. पर्यटन विभाग – उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024। इस योजना से प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सैक्टर गतिविधियों में 01 करोड से 05 करोड़ तक पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

14. परिवहन विभाग – पीएम ई–बस सेवा, इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपये है। एवं द्वितीय गेम चेंजर योजना

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन रू इस योजना के पहले चरण में चार धाम मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन 856 किलोमीटर के मार्ग को कवर करेंगे, जिससे चार धाम यात्रा पर जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सुविधा होगी। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 7.75 करोड़ रुपये है। द्वितीय चरण में 41 चार्जिंग स्टेशन एवं तृतीय चरण में 70 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

15. माध्यमिक शिक्षा विभाग – प्रोजेक्ट प्रज्ञा एवं वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी एंड कलिनरी क्षेत्र में छात्रों हेतु प्रशिक्षण ।

16. तकनीकी शिक्षा विभाग–ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं रोजगार योजनाएँ ।

17. उच्च शिक्षा विभाग – समर्थ ई–गवर्नमेंट पोर्टल फॉर डिजिटलाइजेशन एवं देवभूमि उद्यमिता योजना।

18. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग – मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्किल सेंसस इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों के लिए एकीकृत पोर्टलः इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सेवायोजन कार्यालयों का पुनर्गठनः इस परियोजना की अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपये है। टारगेटेड ग्रुप के लिए नौकरीः इसके लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

19.नियोजन विभाग– सेतु आयोग का गठन, UIIDB का गठन, सर्विस सैक्टर नीति का गठन एवं परिवार पहचान पत्र को गेम चेंजर योजना के रुप में लिया गया है।

20. उर्जा विभाग– मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को गेम चेंजर योजना के रुप में लिया गया है।

21. चाय बोर्ड– पूर्व में चली आ रही टी टूरिज्म योजना (प्रस्तावित बजट रु0 15 करोड) एवं टी हट, होम स्टे योजना (प्रस्तावित बजट रु0 12 करोड) को गेंम चेंजर योजना के रुप में चयनित किया गया है।

22. सिंचाई विभाग –

बांध / बैराज निर्माणः इस परियोजना के लिए 4058 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

स्लोप स्टेबिलाइजेशनः इस परियोजना के लिए 177 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज कार्यः इस परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

23. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा –

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेमाज्ञ परामर्श, द्वार पर निदान सहायता, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मेडिसिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) एवं नर्सिंग छात्रों के कौशल विकास ।

24. लोक निर्माण विभाग –

देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर चार लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून–मसूरी संयोजकता, देहरादून रिंग रोड, यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी

अध्याय–24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports & Youth Welfare

"सभी के लिये खेल,
सभी के लिए स्वास्थ्य"

सभी वर्गों को स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर करने, युवाओं की मानसिक व शारीरिक तंदुरस्ती बढ़ाये जाने, खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल संघों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, खेल अवस्थापना विकास, खेल छात्रावासों, उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना एवं खेल विद्यालय के संचालन के कार्य खेल विभाग में प्रमुख रूप से किये जाते हैं। खेलों के प्रदर्शन में राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतायें हासिल की है। इस राज्य ने ओलम्पियन तक के खिलाड़ी दिये हैं। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिभागिता कराये जाने एवं उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा खेल नीति 2021 प्रख्यापित की गयी। राज्य में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुये स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	स्टेडियम	26
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	17
4	इंडोर क्रीड़ा हॉल	27
5	तरणताल	05
6	आईस स्केटिंग रिंक	01

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.2 जिला सेक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– योजनान्तर्गत माह मार्च, 2024 तक 25977 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 217.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 137.00 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर, 2024 तक 11992 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः–माह मार्च, 2024 तक लगभग 7851 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 526.24 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 358.93 लाख की धनराशि व्यय कर 5480 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः— खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 395.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 285.46 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत हैः—

तालिका—24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट	कुल रिक्त सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	13	07
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	19	06
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	17	03
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	22	03
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	20	05
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	19	1
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	17	03
8.	रूद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25	00
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	25	00
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	00	00
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	17	03
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	11	09
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	20	20
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	13	12
		कुल योग		**310**	**238**	**72**

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.3 राज्य सैक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः— इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति—2021 के प्राविधानों के आधार पर वर्तमान वर्ष 2024 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 1050.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 533.00 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 229 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है। अन्य खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिन्हें पुरस्कार दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

24.3.2 खेल किट योजनाः—राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ₹ 5000.00 तक के ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 मे ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः— इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 14.50 लाख की धनराशि व्यय कर प्रतियोगिता के आयोजन एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः— इस योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार एवं प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024—25 में इस योजना हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः— उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2024—25 में 953 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु ₹ 931.13 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 950 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। इस हेतु ₹ 796.83 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः— जनपद देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ—साथ 413 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 875.28 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 736.60 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः— इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु ₹ 1018.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा कुल 279 स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों की स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में कुल 228 स्थानीय प्रशिक्षण संचालित है। जिस हेतु प्रशिक्षकों को मानदेय में माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 369.68 लाख का उपयोग किया गया।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः— पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु ₹ 66.32 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 1.02 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। माह जनवरी/फरवरी, 2024 तक बेसिक स्कींग कोर्स का आयोजन किया

जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 प्रशिक्षु लाभान्वित होगें।

24.3.9 राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना— विभाग द्वारा राज्य के 08 से 14 वर्ष के 3900 उदीयमान खिलाडियों को प्रतिमाह ₹ 1500/— एवं इसके साथ ही 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों हेतु भी प्रतिमाह ₹ 2000/— छात्रवृत्ति के साथ ही वर्ष में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु ₹ 10000/— की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु ₹ 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 304.77 लाख का व्यय किया गया है।

24.3.10 खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता— राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है—

(1) मृत्यु होने की दशा में— ₹ 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता —

(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता— ₹ 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता — ₹ 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार—₹ 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1.00 लाख।

(4) बीमारी/साधारण चोट— ₹ 50 हजार अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।

24.3.11 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजना:— वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 26 स्टेडियम, 17 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल, 27 इंडोर क्रीड़ाहॉल, 05 तरणताल तथा 01 आईस स्केटिंग रिंक स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 15000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 9807.55 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 9260.40 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.12 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना:— राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियां व अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इंडोर क्रीड़ाहॉल का निर्माण कार्य।
2. रोशनाबाद हरिद्वार के हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य।
3. जनपद देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।
4. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण
5. रोशनाबाद, हरिद्वार में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण
6. राष्ट्रीय खेलों हेतु भारत सरकार के अनुदान के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्रावास (200 बैडेड) निर्माण
7. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक पवेलियन भवन के उच्चीकरण का कार्य।
8. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बॉक्सिंग हॉल के उच्चीकरण का कार्य।
9. जनपद—हरिद्वार के रोशनाबाद में दर्शकदीर्घा, पार्किंग, बाह्य जल निकासी प्रबन्धन का कार्य।

10. पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण।

11. जनपद देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में एथलेटिक्स पवेलियन भवन में स्टील ट्रस कैनोपी एव दर्शक हेतु सीट का कार्य।

12. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में बाउड्रीवॉल का निर्माण कार्य।

13. नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स क निर्माण।

14. जनपद देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में मल्टीपरपज हॉल का अतिरिक्त कार्य।

15. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, गोलापार, हल्द्वानी में दर्शकदीर्घा टाइलेट ब्लाक एवं ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य।

16. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग एवं ड्राइविंग पुल के विविध कार्यो के सम्बन्ध में।

17. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में dmx light।

18. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत शूटिंग रेज का निर्माण कार्य।

19. जनपद उधमसिंह नगर के रूद्रपुर में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य।

20. जनपद उधमसिंह नगर के रूद्रपुर में वेलोड्रोम का निर्माण कार्य।

21. स्पोटर्स स्टेडियम, रोशनाबाद हरिद्वार में स्वीमिंग पूल निर्माण कार्य।

22. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, हल्द्वानी के पुराने तरणताल को ऑल वेदर किये जाने हेतु।

23. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी के क्रिकेट ग्राउण्ड को फुटबाल ग्राउण्ड में परिवर्तित किया गया है।

24. रोशनाबाद हरिद्वार में फुटबॉल ग्राउण्ड का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं–

1. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग एवं ड्राइविंग पुल के विविध कार्य।

2. जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनि में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

3. जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश के मौंजा खड़कमाफ में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्यो हेतु।

4. जनपद उधमसिंह नगर के रूद्रपुर में इंडोर बैडमिन्टन हॉल के अनुरक्षण के कार्य।

5. जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में इंडोर बैडमिन्टन हॉल के अनुरक्षण के कार्य।

6. जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में एक्सरसाईज हॉल के निर्माण कार्य।

7. मा0 मुख्यमंत्री जी की घो0सं0 285/2022 "चम्पावत में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जायेगा" सबंधी कार्य।

8. श्री पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल में स्टेडियम का निर्माण कार्य।

9. मा0 मुख्यमंत्री घोसं0–305/2023 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम, अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के रात्रि अभ्यास व रात्रि खेल आयोजन किये जाने हेतु 'रात्रि स्टेडियम' के रूप में विकसित किया जायेगा"।

10. श्रीकोट गंगोली स्टेडियम, श्रीनगर में 400 मी0 08 लेन एथलेटिक सिन्थेटिक ट्रैकएथलेटिक्स सिंथैटिक ट्रेक निर्माण कार्य।

11. हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू 08 लेन 400 मी0 एथलेटिक सिन्थेटिक ट्रैक निर्माण कार्य।

12. जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में वी0आई0पी0 सीटिंग एवं मल्टीपरपज हॉल का अतिरिक्त निर्माण कार्य।

13. जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में वी0आई0पी0 सिटिंग एवं दर्शक दीर्घा क अतिरिक्त निर्माण कार्य।

14. जनपद–देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी मैदान के दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य।

15. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत इंडोर बैडमिन्टन हॉल का निर्माण कार्य।

16. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, फुटबॉल ग्राउण्ड लेलू में 25 फीट ऊंची चैनलिंग फेन्सिंग का निर्माण कार्य।

17. जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में फुटबॉल मैदान का निर्माण कार्य।

18. CONSTRUCTION OF FOOTBALL FIELD IN EXISTING CRICKETFIELD AT IGISC GOLAPAR, HALDWANI.

19. RENOVATION WORK OF RGICS AT RAIPUR, DEHRADUN.

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 खेलों इंडिया योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 02–02 खेल हेतु 'खेलों इण्डिया' सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद	खेलों इण्डिया सेन्टर का स्थान	प्रस्तावित खेल
1	अल्मोड़ा	एच0एन0बी0 स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा।	हॉकी
		एच0एन0बी0 स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा।	ताईक्वांडो
2	बागेश्वर	स्पोर्टस स्टेडियम, बागेश्वर।	बॉक्सिग
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, कठैत बाड़ा, बागेश्वर।	ताईक्वांडो
3	चमोली	स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर, चमोली।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर।	टेबल टेनिस
4	चम्पावत	स्पोर्टस स्टेडियम, टनकपुर, चम्पावत।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, लोहाघाट।	एथलेटिक्स
5	देहरादून	स्पोर्टस स्टेडियम, परेड ग्राउण्ड, देहरादून।	जूडो
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, देहरादून।	फुटबॉल

6	हरिद्वार	स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार।	कुश्ती
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद।	हॉकी
7	नैनीताल	इन्दिरा गॉधी इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स गोलापार, हल्द्वानी, नैनिताल।	हॉकी
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी।	बालीवॉल
8	पौड़ी गढ़वाल	शशीधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार।	फुटबॉल
		शशीधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार।	तीरदाजी
9	पिथौरागढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़।	एथलेटिक्स
		श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़।	फुटबॉल
10	टिहरी गढ़वाल	पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनीकीरेति, ढालवाला, टिहरी गढवाल।	फुटबॉल
		पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, टिहरी।	खो–खो
11	रूद्रप्रयाग	स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनी।	हैण्डबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनि।	फुटबॉल
12	उधमसिंहनगर	श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	बॉलीवाल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर।	फुटबॉल
13	उत्तरकाशी	स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा, उत्तरकाशी।	एथलेटिक्स
		स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा, उत्तराकाशी।	फुटबॉल

मुख्य उपलब्धियां / नवाचार
(Major Achievements)

- **मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना / प्रोत्साहन योजना–** विभाग द्वारा 08 से 14 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500/– छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000/– छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही 10000/– प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है जो भविष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवन्वित करेंगें।
- **खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता प्रदान करना –** खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के दौरान एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के दौरान चोटिल अथवा मृत्यु होने पर खिलाड़ी को कम से कम ₹ 50 हजार एवं अधिकतम ₹ 05.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- **मुख्यमंत्री खेल विकास निधि–** जिसके अनुसार परिवार, गांव, ब्लॉक, तहसील जहां से प्रतिभागी और युवा वर्ग के पास योगिताओं का प्रचुर मात्रा में भण्डार है, उसका सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन व विकास की आवश्यकता एवं प्रतिस्पर्धा, जानकारी, प्रचार–प्रसार की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन होने के बाद गांव स्तर से लेकर प्रदेश तक श्रृंखलाबद्व ढंग से एकरूपता देखने को मिलेगी। खिलाड़ियों को योजनाओं की पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एवं गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हांन कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्वि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिये ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' का गठन किया गया।
- **आउट आफ टर्न सेवायोजन–** शासनादेश सख्या 728 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है के अन्तर्गत चिन्हित विभागों में विभिन्न पदों पर कुल 27 खिलाड़ियों को सेवायोजित किये जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी किये गये है।
- **खिलाड़ियों के दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता में वृद्वि–** खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिता मे प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ीयों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता ₹ 175.00/– से बढ़ाकर ₹ 250.00/– प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्वि –** खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय मे 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक वृद्वि की गयी है। जिन कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को पूर्व में ₹ 5,000, ₹ 7,000, ₹ 10,000, ₹ 14,000, ₹ 17,000 एवं ₹ 20,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, उनको वर्तमान में क्रमशः ₹ 12,000, ₹ 15,000, ₹ 20,000, ₹ 25,000, ₹ 35,000 एवं ₹ 45,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।
- **विधानसभा सत्र गैरसेंण खेल विश्वविद्यालय का विधेयक पास किया गया।**
- **राज्य के खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण–** इससे खिलाड़ी खेल कोटे के आधार पर राज्याधीन सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकता है।
- **38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन –** उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 में जनपद के छः जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़) में किया जायेगा।

भावी योजनाएं वर्ष 2024–25

राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।	खिलाड़ियों को उनके खेलों में उच्च स्तर का शोध कार्य किये जाने हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण।
राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोलना।	महिला खिलाड़ियों को उनके खेलों में और अधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण एवं साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों को भी बनाये रखने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	केन्द्र की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।
राज्य के खिलाड़ियों को राज्य परिवहन बसों में प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के दौरान निःशुल्क यात्रा	राज्य के खिलाड़ी एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता राज्य की परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगें।
महाविद्यालयों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किये जाने की योजना	इस योजना से राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु खेल कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर पायेगें।

तालिका–24.3
खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदान किये गये अन्तराष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी / प्रशिक्षक का नाम	देय धनराशि (रू0 में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	VISHAL THAPA	30000/-
2.		NIKITA CHAND	100000/-
3.		HEM CHANDRA	75000/-
4.		SALONI	33333/-
5.		VANSH UPADHYAY	375000/-
6.		PHAIREMBAM SONIYA DEVI	750000/-

7.	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	RAVI PAL	375000/-
8.		KAVITA DEVI	20000/-
9.		NAVYA PANDEY	1050000/-
10.		ADARSH SHARMA	150000/-
11.		YUVRAJ SINGH KHATI	100000/-
12.		NIRMALA DEVI	375000/-
13.		AMEESHA CHAUHAN	5000000/-
14.		JAI PRAKASH	150000/-
15.		KAMAL SINGH	750000/-
16.		CHIRAG BARETHA	1312500/-
17.		SAGAR THAYAT	187500/-
18.		MANDEEP KAUR	1125000/-
19.		MANOJ SARKAR	750000/-
20.		BRIJESH TAMTA	243750/-
21.		PRIYANSHU	100000/-
22.		LAKSHYA SEN	5000000/-
23.		KAJAL	75000/-
24.		HARDIK	50000/-
25.		ANKITA	5000000/-
26.		BABENDRA SINGH	75000/-
27.		SURAJ PANWAR	5000000/-
कुल योग			**28252083/-**

Note : 24.4 (केन्द्र पोषित योजनायें)

24.5 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल

Youth Welfare & PRD

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा युवाओं के कल्याणार्थ, स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। इसी के तहत जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जिला सेक्टर योजनायें :-

24.5.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का

आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता खिलाडियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 167.45 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष ₹ 117.27 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 612 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

24.5.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 23.66 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 10.93 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 328 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग किया गया है।

24.5.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते है। इस हेतु योजना में सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 2040.30 लाख की धनराशि अवमुक्त करायी गयी, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों में शासकीय कार्यों सम्पादनार्थ तैनात कर ₹ 1267.77 लाख का उपयोग करते हुए 2,15,212 मानव दिवस सृजित किये गये।

24.5.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड योजनान्तर्गत– युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 5.24 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 2.12 लाख की धनराशि व्यय करते लगभग 102 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किये गये।

24.5.5 युवा केन्द्र की स्थापना/ रख–रखाव– युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्‌देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसके सापेक्ष ₹ 30.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 05 युवा केन्द्रों में अनुरक्षण आदि का कार्य किया जाना है।

24.5.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 13.74 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 8.10 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 11 व्यायामशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 43.36 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 20.78 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 535 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.5.8 युवा महोत्सव– योजनान्र्तग वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 58.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष ₹ 51.51 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 119 दलों को योजना से लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया गया।

24.6 राज्य / केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.6.1 युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुम्भ का आयोजन– राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने हेतु विभाग द्वारा "खेल महाकुम्भ" का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर लगभग 2.70 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है। योजनान्तर्गत ₹ 2700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 854.87 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इससे युवाओं को खेल कोटे के अंतर्गत सेवा में भी लाभ प्राप्त हो रहा है। युवा कल्याण विभाग में खेल कोटे के तहत 04 खिलाड़ियों को तैनाती दी गयी है।

24.6.2 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य में खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 100.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। योजना में जनपद पिथौरागढ़ के चैसर में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य गतिमान है। वर्तमान में विभाग के पास कुल 06 मल्टीपरज हॉल हैं।

मिनी स्टेडियम / खेल मैदान के निर्माण हेतु रू0 1500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। विभाग के पास कुल 85 खेल अवस्थापनायें निर्मित हैं तथा 25 मिनी स्टेडियम / खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 248.11 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 07 खेल अवस्थापनाओं हेतु धनराशि जारी की गयी है।

24.6.3 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करवाया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें राज्य के लगभग 580 कलाकारों एवं सांस्कतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

24.6.4 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में निर्मित खेल मैदानों, मिनी स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल के रख–रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 02 खेल प्रशिक्षक तैनात किये जाने की योजना स्वीकृत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल 101 खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की गयी है। इस हेतु ₹ 223.77 लाख की धनराशि जनपदों को आबंटित की गयी है, जिसमें से ₹ 127.72 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.6.5 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को पी0आर0डी0 नियमावली के तहत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष लगभग 310 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

24.6.7 निर्वाचन, चारधाम, कुम्भ मेला व आपदा आदि में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती– राज्य में इस वर्ष हुए चारधाम यात्रा/पर्यटन सीजन ड्यूटी में 2000 तथा निर्वाचन ड्यूटी में 5858 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न चैकपोस्टों तथा निर्वाचन के दौरान पोलिंग बूथों में अपनी ड्यूटी दी गयी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना मद से कुल ₹ 3400.00 लाख के सापेक्ष समस्त जनपदों द्वारा ₹ 2545.24 लाख की धनराशि मानदेय तथा विभिन्न व्ययों पर व्यय की गयी।

24.6.8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– खेल महाकुम्भ में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने प्रति जनपद 216 खिलाड़ियों के सापेक्ष कुल 2808 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि ₹ 150.00 लाख के सापेक्ष जनपदों को प्रशिक्षण हेतु ₹ 149.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

24.6.9 युवा मंगल दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 35.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.10 मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना– राज्य के सभी मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की गयी। विगत वर्ष योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 13531 युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के क्रियान्वयन हेतु उनके बैंक खातों में ₹ 14,268 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में मंगल दलों के क्रियान्वयन हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित करायी गयी है।

24.6.11 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम– योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 600.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष ₹ 492.24 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके सापेक्ष 3145 युवाओं को असिस्टेन्ट ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, मल्टी कुजिन कुक, फूड एण्ड ब्रेवरेज सर्विस, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, आर्गेनिक ग्रोवर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

24.6.12 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद उधमसिंहनगर के बिरिया सितारगंज में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

24.6.13 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं विभिन्न युवा दिवसों का आयोजन– स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन जनपद नैनीताल में प्रस्तावित है। इस अवसर पर युवाओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु ₹ 60.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

24.6.14 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 60600 छात्र संख्या

आवंटित है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन किये जाते हैं, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है।

भविष्य की योजनाएं

- राज्य में युवाओं तथा आमजन हेतु यू0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत राज्य के 116 स्थानों पर नाबार्ड के माध्यम से ओपन जिम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
- ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक लेवल पर युवाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने एवं मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) की आवश्यकता महसूस की जा रही है अतः विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष आने वाली आपदाओं के मध्येनजर पी0आर0डी0 के युवाओं का एक आपदाराहत दल स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तक प्रथम राहतकर्ता का कार्य करेंगे तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं राहत उपकरणों से परिपूर्ण होंगें। प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक जनपद में इनकी 20–25 युवाओं की यूनिट गठित की जाएगी।
- युवाओं के सर्वागींण विकास हेतु नयी युवा नीति का निर्माण किया जाना प्रस्तावित।
- दृष्टिपत्र के अनुसार भविष्य में युवा मंगलदल आयोग के गठन हेतु कार्य किया जायेगा।

11 दिसम्बर को आयोजित प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस

''प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस'' कार्यक्रम के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 320 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा भव्य रैतिक परेड़ का आयोजन किया गया।

1– प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस के अवसर पर घायल/मृत कुल 15 पी0आर0डी0 स्वंय सेवकों के आश्रितों को ₹ 14.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

2– सेवानिवृत्त हुए 12 पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों (प्रति स्वयं सेवकों ₹ 1.00 लाख) को एकमुश्त ₹ 12.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

3– पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों के बच्चों को हाईस्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर 10 मेधावी छात्रों को कुल ₹ 15000.00 (प्रति छात्र ₹ 1500.00 छः माह हेतु) तथा इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एवं स्नातक कक्षा में अध्यनरत मेधावी 08 छात्रों को कुल ₹ 48000.00 (प्रति छात्र ₹ 6000.00 छः माह हेतु) प्रदान किये गये। इसके साथ ही तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 10 छात्रों को कुल ₹ 120000.00 (प्रति छात्र ₹ 12000.00 छः माह हेतु) प्रदान किये गये।

अध्याय–25
समाज कल्याण
Social Welfare

उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 10086292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1892516 व अनुसूचित जाति की जनसंख्या 291903 हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 19 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 03 प्रतिशत है।

25.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं:–

विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन एवं दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना संचालित की जा रही हैं, जिनकी दिसम्बर, 2024 तक की प्रगति चार्ट 25.1 एवं 25.2 में निम्न प्रकार है:–

चार्ट 25.1

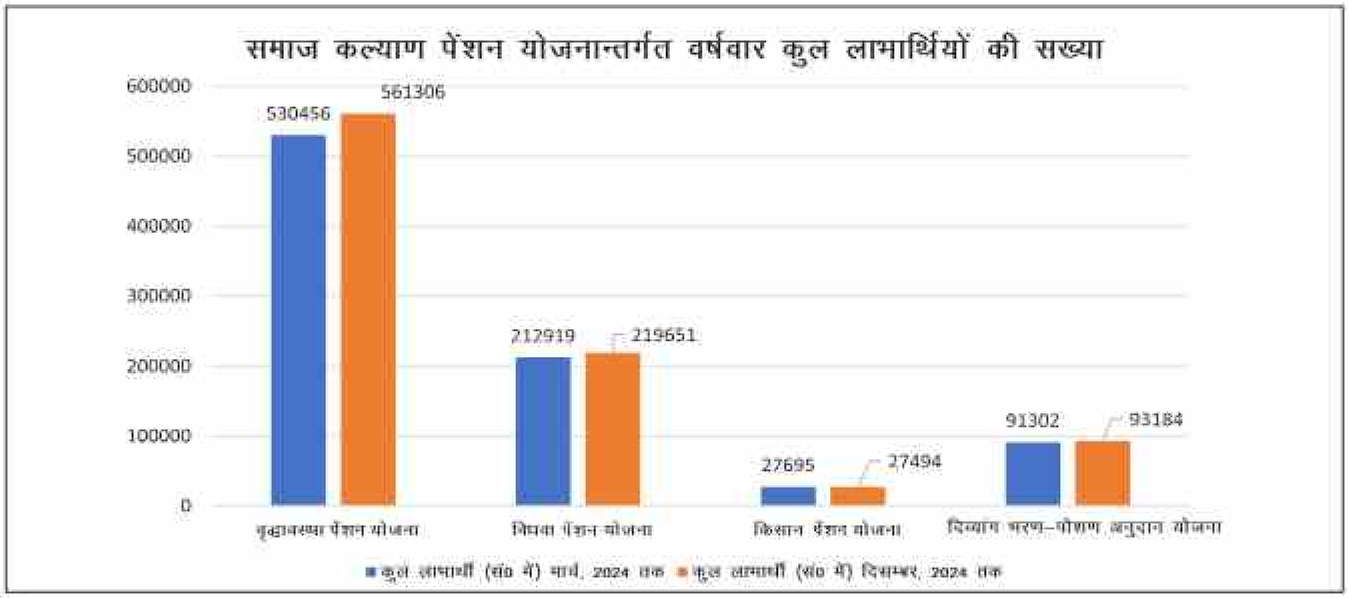

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 25.2

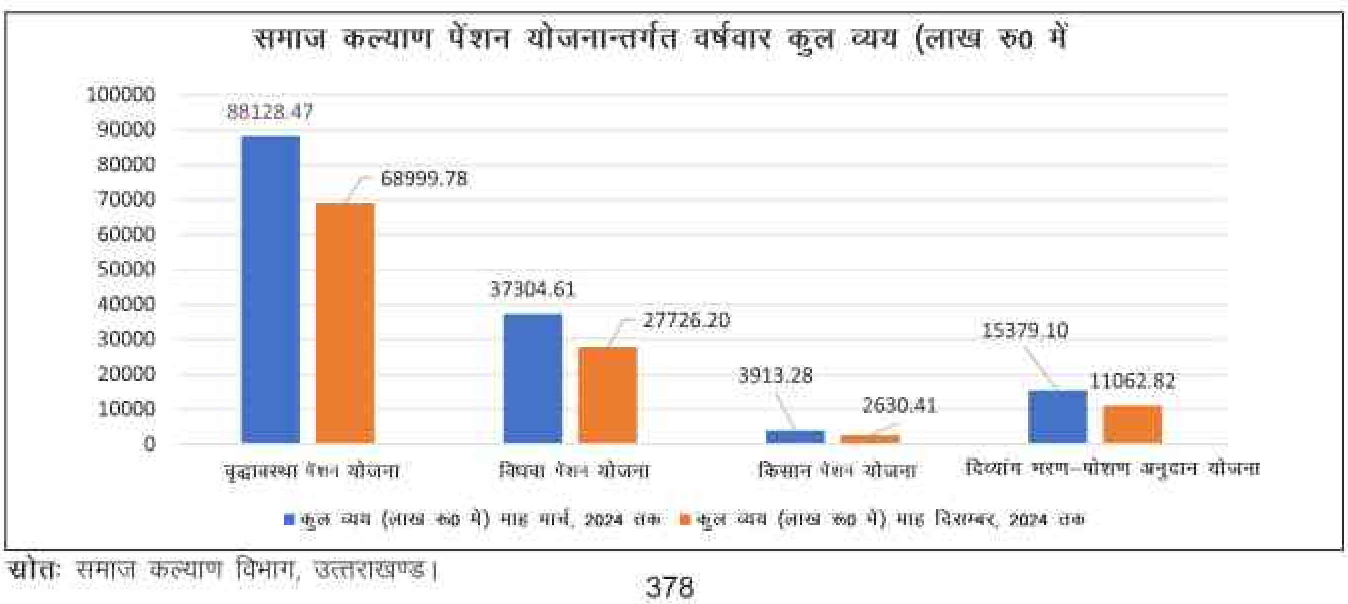

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं:–

25.2.1 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना:–इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभिभावकों की कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल(National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 558.03 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 70954 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.2 अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना:–इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 तक के छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक निर्धारित की गयी है, को डे–स्कालर को ₹ 3500/– वार्षिक एवं हॉस्टलर को ₹ 7000/– वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती हैं। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 7.725 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 1950 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.3 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति:–अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक है, को दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को अकादमिक एलाउन्स के रूप में ग्रुप–I के डे स्कालर छात्रों को ₹ 7000/–, हास्टलर ₹13500/– ग्रुप–II के छात्रों को डे स्कालर ₹6500/–, हास्टलर ₹9500/– ग्रुप –III के छात्रों को डे स्कालर को ₹3000/– हास्टलर ₹ 6000/– तथा ग्रुप–IV के छात्रों डे स्कालर ₹2500/– हास्टलर ₹ 4000/– वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति के साथ–साथ अनावर्ती सहायता भी दिये जाने का प्राविधान है। जिसका 60 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुए वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.3 अनुसूचित जाति हेतु संचालित अन्य योजनाएं:–

25.3.1 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 267.20 लाख की धनराशि व्यय कर 367 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। शासनादेश संख्या 1329/XVII-2/22-

19(01)2019 दिनांक 18 नवम्बर 2022 के द्वारा आवास की आगत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹1,20,000 निर्धारित कर दी गई है तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 48,000 वार्षिक अथवा इससे कम होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह–दिसम्बर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023–24 के लाभार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त हेतु ₹ 49.30 लाख की धनराशि व्यय कर 116 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः–शासनादेशानुसार निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना के संचालन हेतु ₹ 1100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई ।

25.3.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, छात्रावासों एव पुस्तकालय हेतु अनुदानः–वर्तमान में विभाग द्वारा 10 विद्यालय, 2 छात्रावास एवं 2 प्राविधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। जिनमें 05 विद्यालय आर्वतक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक ₹ 359.31 लाख की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 33.09 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालनः–विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में ₹ 621.54 लाख बजट प्रावधान किया गया था। माह–मार्च 2024 तक ₹ 340.26 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 609.51 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 287.15 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः–विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 378.51 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह–मार्च 2024 तक ₹273.36 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 381.34 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 220.57 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.6 अनुसूचित जाति बाहूल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 4000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–मार्च 2023 तक ₹3961.12 लाख की धनराशि से 358 योजनाये स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 6000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 357.84 लाख की धनराशि से 14 योजनाये स्वीकृत की गई है।

25.3.7 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/– से अधिक नही होनी चाहिए। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को विभागीय पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹903.00 लाख की धनराशि व्यय कर

1806 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्र्तगत ₹1533.00 लाख की धनराशि व्यय कर 3066 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.3.8 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना:– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्र्तगत ₹155.87 लाख की धनराशि व्यय कर 139 बालकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्र्तगत ₹ 95.60 लाख की धनराशि व्यय कर 120 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.9 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न:– वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजना में ₹ 206.12 लाख की धनराशि व्यय कर 180 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 से लाभार्थियो को सहायता राशि का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्र्तगत ₹141.66 लाख की धनराशि व्यय कर 156 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.10 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) :– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'' का कियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य हेतु 500 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्राम, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक की आबादी अनुसूचित जाति की हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सभी अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार हो। इन ग्रामों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाओं की सुविधाऐं मिलेंगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले ताकि वह अपनी संभाव्यताओं को पूरा उपयोग कर सके। इस प्रकार योजना में चयनित ग्रामों को एक ''आदर्श ग्राम'' बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें केन्द्र सरकार से अन्तर–पाटन निधि (Gap-Filling Fund) के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख प्रति ग्राम निर्धारित है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक कुल ₹ 4483.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 तक ₹ 4413.74 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वर्तमान तक राज्य में चयनित 383 ग्रामों के सापेक्ष निम्नलिखित 170 ग्रामों को ऑनलाईन ''आदर्श ग्राम'' घोषित किया गया है–

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बालक एवं बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है–

तालिका 25.1

क0	जनपद का नाम	कुल चयनित ग्राम	अद्यतन ऑन लाईन घोषित आदर्श ग्रामों की संख्या	अद्यतन ऑनलाईन घोषित आदर्श ग्रामों के नाम
1	अल्मोड़ा	49	30	दशोली बडियार, खांकर, पनुवाद्योखन, काण्डे, सल्ला, झलोड़ी, मनियागर, ऐना, कापिना, नाटा डोल, बड़्यूडा, वड्यूडा , कोटयूरा, पल्यूमयचक, बेलक, पेटशाल, खौडी, पाटिया, रौलयांगूठ, छानाखरखोटा, नली मल्ली, हर्रामौलेखी, नौला, जल धौलाड़, खसतिलाड़ी, नागर, कुमोली मय गूॅठ, काभडी, बनकोट, सुनाडी।
2	बागेश्वर	20	15	अनार्सा, चौड़ा, चौगांवछीना, भटखोला किमखोली, सिमकुना, लमचूला, उडखुली, ओखलीसिरोड, चचई, रिखाड़ी, भैरूचबट्टा, घटगाड, सैंज, आरे।
3	चमोली	11	9	हेलंग, पूर्णा, बूरा, जोरासी, मसोली, सलना, हरिनगर लेटाल चटोलीकिरोली, खेतामनवाती ।
4	चम्पावत	6	4	नरसिंह डांडा, मौनकाण्डा, बिण्डा तिवारी, मंडुवा
5	देहरादून	22	17	मलेथा, समाल्टा ददौली, ध्वैरा, पपाडियान, कोटडा कल्याणपुर, कुराड खनाड सिचाड, हाजा, कोटा क्वानू, थाडा, मिस्रारपट्टी, सावड़ा, बावनधार, सराडी, मंझगांव, हजटा, बुरास्वा, बंशीवाला ।
6	हरिद्वार	99	21	आन्नेकी हेत्तमपुर, भगतोवाला माजरा देहात, पूरणपुर, कुरडी, बुक्कनपुर, बूडपुर जट, महतोली, लाठरदेवा हूंण, नारसन खुर्द, तांसीपुर, मोलना, सिकन्दरपुर, पीतपुरा, अलावलपुर, लख् नौता, हबीबपुर निवादा, मुण्डेत, बेलडी सल्हापुर, ठसका, सहदेवपुर सहबाजपुर, गंगौली,

7	नैनीताल	45	27	गांधीनगर, चन्द्रनगर, मालधनचौड, कुरियागांव, सारना, दीनीमल्ली, देवीपुरा, दीनी तल्ली, गहना, ल्वेसाल, आनन्द नगर, बबियाड, हरिनगर अक्सोरा, गोपाल नगर, गौतमनगर, सिलटोना, घोरिया, खनस्यूँ, तल्ला गांव, बहेड़ीगॉव, मझेडा, कुनखेत, सियालकोट तल्ला, अक्सोड़ा, पटरानी, लोशज्ञानी, कूल।
8	पौड़ी	6	1	चपडेत
9	पिथौरागढ़	24	9	चिमडूंगरा टिमटा, चिटगल, कोथेरा, नैनी, डाम्डे, ग्वासी कोट, रणकोट उप्रेती, द्वावालीसेरा, वैसली।
10	रूद्रप्रयाग	18	12	सिल्लाबामन, बोरा, फेगू, बीरोंदेवाल, गोती, जखवाडी मल्ली, कमसाल, भटवाडी, शीशॉं, सौरभट गांव, जगोठ, काण्डी।
11	टिहरी	14	10	ढुंगखबोली, रतोली, कफलोग, रगस्या, करखेरी, जाखण्ड, मन्गर, चजी तल्ली, पोखरी, गढ़सिंदवाल गांव।
12	ऊधमसिंह नगर	51	9	गोथा, भरतपुर, रतनपुर, शिवराजपुर, लखनपुर, खलड़िया, गदरपुरी, नवलपुर, तलबपुर।
13	उत्तरकाशी	18	6	पौंटी, छेजुला, थाती, किसना, सट्टा, धाकडा।
कुल योग		**383**	**170**	—

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4 दिव्यांग कल्याण

तालिका 25.2

क सं.	छात्रावास का विवरण	निर्माण कार्य की कुल लागत	केन्द्रांश प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून में 50 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	429.23	81.25	81.25	30%	कॉलम कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाइंस नैनीताल में 100 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	523.17	162.50	162.50	—	निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक प्रक्रिया गतिमान है।
3	हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 50 बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	461.85	81.25	81.25	15%	फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाः—कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता—पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 0.30 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 39 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.4.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः—दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान था, योजनान्तर्गत शासन के पत्रांक 106 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकतम धनराशि ₹ 7000.00 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। वर्ष 2024—25 में ₹ 88.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है, माह दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 6.07 लाख की धनराशि व्यय कर 71 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

25.4.3 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः—दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह—मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 7.00 लाख की धनराशि व्यय कर 28 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 3.50 लाख की धनराशि व्यय कर 14 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है।

25.4.4 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कारः—प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, स्वतः रोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर "विश्व दिव्यांग दिवस" के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। शासन के पत्र संख्या 08/XVII-A-3/2024-296(स0क0)2003 (46590) दिनांक 20 फरवरी 2024 के द्वारा पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी कर ₹5000/— से ₹8000/— कर दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं ₹8000/— की धनराशि नकद दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹7.50 लाख की धनराशि व्यय कर 88 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया।

25.4.5 सुगम्य भारत अभियान :— यह योजना

मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रारम्भ की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 शासकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹ 376.29 लाख की धनराशि व्यय कर 17 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून को दिव्यांगजनों के लिए बैरियर फ्री वातावरण बनाये जाने हेतु ₹ 28.645 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त 08 अन्य शासकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु द्वितीय संशोधित आगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।

25.4.6 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID)

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्यार्णकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदत्त किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता बनाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0 डी0 आई0 डी) बनाये जाने हैं। यू0 डी0 आई0 डी0 कार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑनलाईन पोर्टल https://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application के माध्यम से बनाये जा रहे हैं। जिस हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कार्यालय अथवा जनपद के जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) में निम्न प्रपत्रों की छायाप्रतियां (दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम एक पासपोर्ट साईज फोटो तथा –एक सादे कागज में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह (अंगूठा निशान आदि) को स्वयं या किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रदेश के 128947 दिव्यांगजनों के आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत कर अद्यतन 95445 दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये गये हैं।

25.4.7 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माणः–

मानसिक मंदित तथा बहुदिव्यांगता से ग्रसित ऐसे दिव्यांगजन, जो निराश्रित एवं लावारिस हालत में घूमन्तु प्रकृति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते/भटकते रहते हैं, की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, को बिना किसी सामाजिक एवं आर्थिक समर्थन के आश्रयहीन मानसिक मंदित दिव्यांगजन, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, भावनात्मक समर्थन एवं परामर्श देकर एक्टीविटी ऑफ डेली लिविंग (नैत्यिक कार्यों का सम्पादन) आदि के विकास से व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम–फुलसुंगा में 50 मानसिक रोगियों की क्षमता हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण कर विभाग को हस्तगत करने की प्रकिया गतिमान है।

25.5 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनायें:–

25.5.1 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000/–से अधिक न हो। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र

होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि अनुदान प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को विभागीय पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनार्न्तगत ₹ 427.50 लाख की धनराशि व्यय कर 855 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनार्न्तगत ₹144.50 लाख की धनराशि व्यय कर 289 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.2 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:–इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनार्न्तगत ₹ 216.00 लाख की धनराशि व्यय कर 1080 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजना में ₹ 71.40 लाख की धनराशि व्यय कर 357 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.3 डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना:– दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 410.78 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 3325 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.5.4 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है। वर्तमान में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद नैनीताल, पौड़ी व हरिद्वार में नशामुक्ति केन्द्र संचालन, समस्त जनपदों में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि ₹ 282.99 लाख की राज्य कार्य योजना (SAP) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

25.5.5 वृद्धजनों हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य:– उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ निराश्रित एवं असहाय वृद्धजनों की देखभाल, सुरक्षा, भोजन एवं स्वास्थ्य आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद–उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹165.97 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त विभाग द्वारा संचालन की कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में 50 वृद्धजनों की क्षमता का ₹499.55 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसे विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा में राजकीय वृद्धाश्रम

निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि ₹180.37 लाख एवं चम्पावत में वृद्धाश्रम निमार्ण हेतु ₹ 359.80 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में वृद्धाश्रम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

25.5.6 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः—परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अर्न्तगत ऐसी महिलायें आती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा पति द्वारा छोड़े जाने या लापता होने की सीमा 1 वर्ष से अधिक हो, आवेदिता द्वारा पति के लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो तथा आवेदिता बी0पी0एल0 परिवार की सदस्या हो अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे वार्षिक आय ₹ 48000/— से अधिक नहीं हो। ऐसी महिलाओं को ₹ 1200/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को ₹1400/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह—मार्च 2024 तक ₹964.31 लाख की धनराशि व्यय कर 7011 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक ₹ 741.04 लाख की धनराशि व्यय कर 7431 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

25.6 पिछड़ी जाति कल्याण

25.6.1 पिछड़ी जाति पूर्वदशम (कक्षा—9 से 10) छात्रवृत्ति योजनाः—इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके अभिभावक की मासिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं हो को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार रू0 4000/— वार्षिक छत्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021—22 से छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में ₹162.76 लाख की धनराशि व्यय कर 10712 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से पोर्टल नहीं खोला गया था, जिस कारण कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.6.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृतिः— इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। जिसका योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NationalScholarshipPortal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 1143.72 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 10299 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 पूर्वदशम (कक्षा–9 से 10) छात्रवृत्ति योजनाः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही ₹ 4000/– छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सकार वहन किया जाता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्रथम वार प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.7 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्ति योजनायें:–

25.7.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्तिः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 9.24 लाख की धनराशि Public Financial Management System के माध्यम से भुगतान कर 1067 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजाति के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त कुल ₹ 77.00 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा माह दिसंबर, 2024 तक Public Financial Management System के माध्यम से 1176 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शासन से प्राप्त कुल ₹ 77.00 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा माह दिसंबर, 2024 तक Public Financial Management System के माध्यम से 1530 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.3 अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाएं:–

अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक लाभार्थियों की संख्या तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 25.3

क्रम सं0	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	2009
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन	214
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	361
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	1098

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.7.4 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 492 लाभार्थियों के लिए ₹ 300.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है व माह दिसंबर, 2024 तक जनपदों को मांग के अनुसार 169 लाभार्थियों हेतु ₹ 89.60 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया।

25.7.5 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 70.00 लाख की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत है, किन्तु जनपदों से मांग प्राप्त न हो पाने के कारण

योजनान्तर्गत धनराशि व्यय नहीं हुई है।

25.7.6 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में आर्वतक अनुदान पर संचालित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित 28 पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि हेतु ₹ 1082.33 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया।

25.7.7 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायताः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा ₹ 15,000. 00 वार्षिक हो/बी.पी.एल. श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो, की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान ₹ 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में आय सीमा ₹ 15,000.00 से बढाकर ₹ 48,000.00 वार्षिक कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 160.00 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 320 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.8 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल स्वीकृत छात्र/छात्राओं की क्षमता 3055 है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 2079.02 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 2009 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.9 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालनः– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 250 है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 140.58 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 214 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 403.63 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 361 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.11 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालनः– एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु सीधे धनराशि राज्य स्तर पर गठित सोसायटी के बैंक खाते में हस्तान्तिरत की जाती है व भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में कम पडने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जाती है व वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 152.66 लाख की धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में व्यय की गई।

25.7.12 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–

योजनान्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत 2000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है व माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 51.80 लाख की धनराशि व्यय की गई एवं ₹ 6000.00 लाख के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।

25.7.13 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 108.18 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.14 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः–

योजनान्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 37.70 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– विभागान्तर्गत 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 67.75 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.16 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजना– योजनान्तर्गत 11 बहुउददेशीय केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है एवं ₹ 238.81 लाख की धनराशि योजना हेतु खुले SNA खाते में खातान्तरित करते हुए जनपदों के व्यय हेतु PFMS पर लिमिट निर्धारित की गयी है, जनपदों द्वारा धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में 9 बहुउद्देशीय केंद्र–जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम बैंतखेडी, विजयरम्पुरा, बन्नाखेडा, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम जमताडी, अल्ताडी, मदनुपरी, गैनागांव, किमखोला व जनपद हरिद्वार के ग्राम ढडियावाला में निर्माणाधीन हैं।

25.8 अल्पसंख्यक कल्याण

विभाग के मूल उद्देश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहें एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वियन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्व है।

25.8.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित) अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक निम्न मानकों/दरों के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। :–

तालिका 25.4

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)
1.	2020–21	337	0.027
2.	2021–22	49	0.048
3.	2022–23	517	2.19
4.	2023–24	270	3.25
	2024–25	786	छात्र / छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.2 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

तालिका 25.5

वर्ष	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2020–21	438	492	1.39
2021–22	438	658	1.69
2022–23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023–24	438	–	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2024–25	438	–	

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र / छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.3 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

तालिका 25.6

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि ₹ करोड़ में)
2020–21	3646	4604	3.35
2021–22	3646	5296	3.85
2022–23	3646	5930	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2023–24	3646	–	
2024–25	3646	–	

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र / छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.4 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एम.एस.डी.पी) (90% के0स0) (PMJVK)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। पी.एम.जे.वि.के योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़के, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित है।

तालिका 25.7

(धनराशि ₹ लाख में)

PMJVK Scheme	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
2021–22	4020.00	2365.45
2022–23	2300.00	311.53
2023–24	5700.00	2137.16
2024–25	5700.00	4888.89

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.5 अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापनाः–

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹ 4.00 करोड की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

तालिका 25.7

(धनराशि ₹ लाख में)

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2020–21	300.00	300.00
2021–22	300.00	293.43
2022–23	500.00	459.09
2023–24	500.00	479.44
2024–25	500.00	104.95

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.6 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

25.8.6 मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

तालिका 25.9

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020—21	214.65	213.60	1381
2021—22	200.00	196.95	978
2022—23	300.00	183.60	1176
2023—24	360.40	356.95	2270
2024—25	376.10	370.00	2300

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.7 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यो आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती हैं।

तालिका 25.10

(धनराशि ₹ लाख में)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि/ अवमुक्त	योजनाऐं
2020—21	500.00	494.05	85
2021—22	300.00	.	.
2022—23	1295.00	1294.93	75
2023—24	300.00	300.00	05
2024—25	500.00	115.54	03

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.8 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः—

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम राशि ₹ 75000/— अनुदान तथा न्यूनतम ₹ 50000/—अनुदान दिये जाने जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

तालिका 25.11

(धनराशि ₹ लाख में)

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020—21	10.00	0.20	01
2021—22	10.00	0.30	01
2022—23	10.00	8.40	15
2023—24	10.00	4.95	08
2024—25	10.00	2.85	04

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.9 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदान:– इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 53.80 लाख की धनराशि जारी की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 41.96 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.8.10 वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिबुनल)

(1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन ट्रिबुनल स्थापित किया गया हैं।

(2) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यन्तर्गत वर्तमान में 02 वक्फ अधिकरण (गढवाल एवं कूमायूँ मण्डल) कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 15.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 3.44 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

25.9 विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न निदेशालय, निगम, आयोग, बोर्ड एवं समितियां

25.9.1 निदेशालय अल्पसख्ंयक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून:– अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–1183/XVII-3/11-07(63)/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–510/XXXI(1)/2002 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान का कार्य किया जा सकें। निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹169.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹108.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.9.2 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून:– राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनॉक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, नें दिनांक 29, सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपनें गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है। अपनें अल्पकालिक कार्यकाल में आयोग नें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एवं हितों की रक्षा के लिए पूर्ण कटिबद्वता से कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में आयोग को 80 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 33 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹116.89 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹50.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्य:–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यॉकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

3. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

25.9.3 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादूनः– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

25.9.4 उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादूनः– राज्य के मदरसो की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2005 तक उ0प्र0 मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–813 / XVII(1)–3 / 06– 07(11) / 2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के पर्यवेक्षण में मदरसा अरबी फारसी बोर्ड की स्थापना की गई। शासनादेश संख्या 1209 / XVII –3 / 11–07(11) / 2005 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के समस्त पदों को समर्पित करते हुए देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 127.75 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 46.62 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के तहतानिया / फौकानिया / आलिया (मुशी–मौलवी) एवं आलिया (आलिम अरबी–फारसी), उच्च आलिया (कामिल, फाजिल) स्तर की मान्यता प्राप्त एवं संचालित मदरसों का जनपदवार विवरण

25.9.5 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान

तालिका 25.12

क्र.सं.	जनपद का नाम	तहतानिया	फौकानिया	आलिया (मुंशी / मौलवी)	आलिया (अरबी / फारसी)	उच्च आलिया (कामिल / फाजिल)	योग
		कक्षा (1–5)	कक्षा (6–8)	कक्षा (9–10)	कक्षा (11–12)	स्नातक	
1	हरिद्वार	136	104	14	4	1	**259**
2	देहरादून	19	11	–	01	–	**31**
3	ऊधमसिंह नगर	42	42	18	7	4	**113**

4	नैनीताल	8	5	–	–	1	**14**
5	अल्मोडा	1	–	–	–	–	**1**
6	पिथौरागढ	1	–	–	–	–	**1**
7	चम्पावत	1	–	–	–	–	**1**
योग–		**208**	**162**	**32**	**12**	**6**	**420**

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

कलियर, रूड़की:– उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/स.क./02–87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने दिनांक 18, फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं। हज–2021 हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2020 से हज 2021 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2020 से हज आवेदन को 100 प्रतिशत ऑनलाईन कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य मे राज्य हज कमेटी मे वर्ष 2018 से 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण

हज यात्रा 2025 माह मई–जून में प्रारम्भ होने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में

तालिका 25.13

क्र.स.	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन पत्र	हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2018	1220	4100	1293
2	2019	1232	3019	1555
3	2020	1278	2516	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2020 निरस्त।
4	2021	कोटा निर्धारित नहीं किया गया	710	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2021 निरस्त।
5	2022	607	742	564
6	2023	1468	1718	1530
7	2024	1152	1165	1043
8	2025	1001	1011	हज यात्रा 2025 माह मई, 20254 में सम्भावित।

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

योजनान्तर्गत ₹ 115.55 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹32.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.9.6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल):– पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 190.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत

किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 126.22 लाख की धनराशि व्यय की गयी हैं।

25.7.7 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून:– राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में ₹ 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

25.9.8 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून:– माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि " हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एंव बेहतर 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹17.00 लाख की धनराशि का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

25.10 उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

25.10.1 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक कुल 100 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए रू0 50.00 लाख अनुदान तथा रू0 54.00 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

25.10.2 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण):– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2024–25 में प्रशिक्षण मद में अनुसूचित जाति के कुल 800 प्रशिक्षार्थियों को 40 रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष रू0 48.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है तथा उपरोक्त प्राविधानित धनराशि वचनबद्ध रूप से व्यय की जानी है।

25.10.3 शिल्पी ग्राम योजना:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में शिल्पी ग्राम योजना के अन्तर्गत कोई भी लक्ष्य आवन्टित नहीं किया गया है।

25.10.4 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY):– उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी से प्रारम्भ हुई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य 316 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक कुल 286 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए अनुदान ₹ 142.40 लाख एवं ₹ 145.40 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

ई–सुशासन

अध्याय–26
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी
Science and Information Technology

26 सामान्य विवरण :– शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु एक उपयोगी अवधारणाओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता, कार्य दक्षता एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी क्षीण किया है।

उत्तराखण्ड राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत मूल आधारभूत संरचना– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों को होरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान कर नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–गेटपास, अपणि सरकार पोर्टल, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन का कार्य तीव्रता से बढ़ रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक शासकीय प्रणाली के आवेदन के आलोक में जोखिमों को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिचित करने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। राजकीय इकाइयों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख व्यावसायिक उद्यम एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासकीय सेवाओं और डेटा की तैयारी और आदान–प्रदान का प्रावधान किया जा रहा है। आज, अधिकांश राजकीय सेवायें, ई–शासन कार्यक्रमों को लागू करने के उद्येश्य से वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई0टी0 आधारभूत संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

26.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 (Information Technology Policy)–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

26.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security) – राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा–निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है,

जिसके अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशः Incident Response Mechanism तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेंगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है। राज्य में नागरिकों को साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता के उदेश्य से Chatbot (Cyber Doot) एवं गाँव स्तर तक जागरूकता हेतु CSC के साथ MoU (अनुबंध) की प्रक्रिया गतिमान है।

26.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, अपणि सरकार पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

26.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)–वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स को सुरक्षित रखने हेतु उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर हेतु डिसास्टर रिकवरी सेल की स्थापना की गयी है।

26.3.2 स्टेट डाटा सेन्टर नीति (State Data Centre Policy)– स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में 187 विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है।

चार्ट–26.1

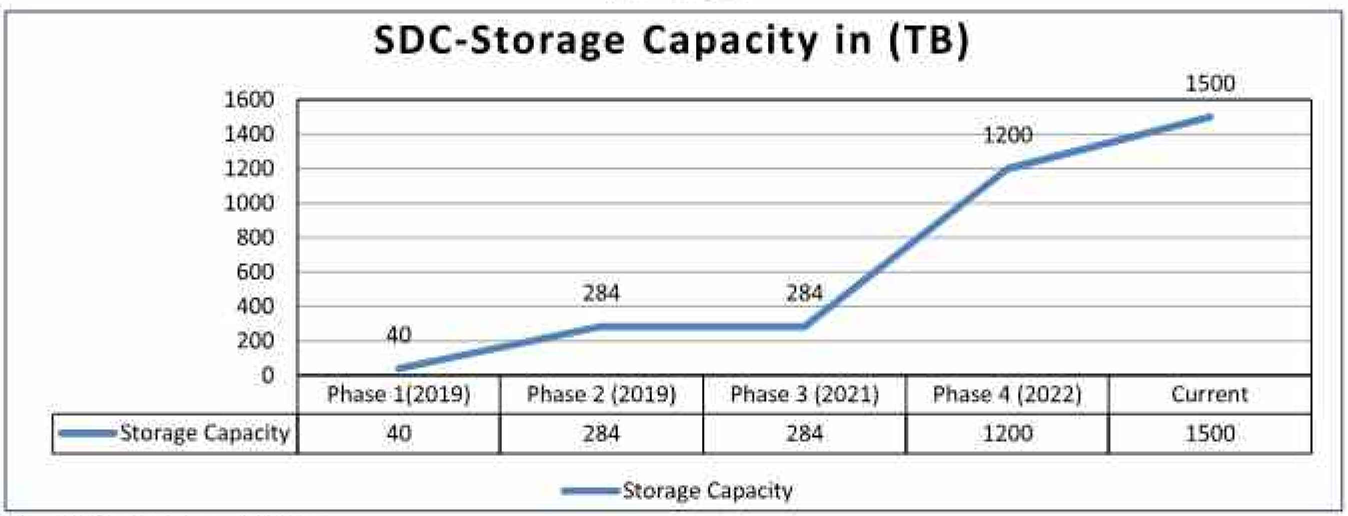

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

- SDC IT Infrastructure Expansion in Process
- SDC Non-IT Infrastructure Expansion in Process
- SDC Third Party Auditor Agency Selection in Process
- Bandwidth Upgradation in Process

26.3.3 अपणि सरकार पोर्टल— अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 73 विभागों की 886 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों का Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

सारांश एक नजर में–

Application Status - 2024 (in Lakh)

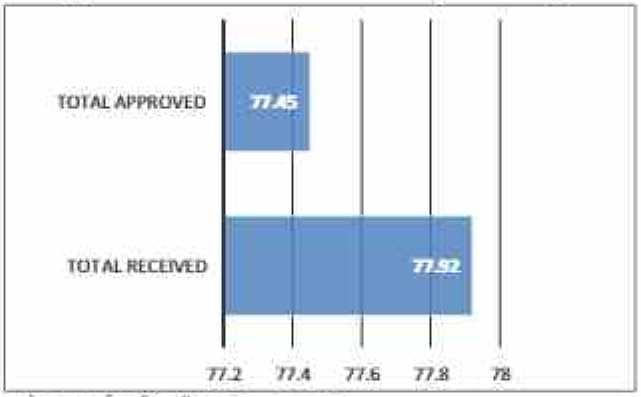

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

चार्ट 26.2

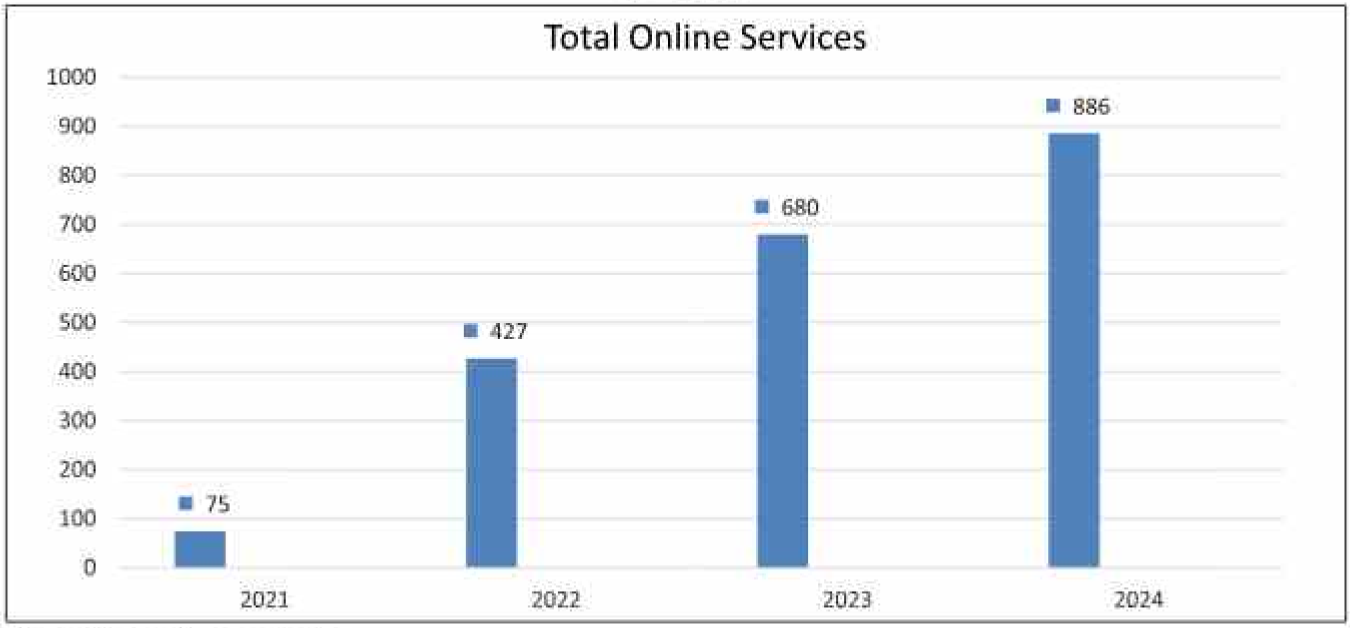

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण–

पुरस्कार –

Fig: e-Governanace award-2023

- **प्रमुख उपलब्धि** –

• अपणि सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है।

• OWASP (Open Worldwide Application Security Project) पोर्टल 2021 के शीर्ष 10 वलनरेबिलिटी से मुक्त है

• सर्वर का वलनरेबिलिटी एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) मूल्यांकन, CERT-inempanelled एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया है।

• व्हाट्सएप इंटीग्रेशन – नागरिक नए आवेदन के लिए आवेदन , आवेदन की स्थिति की जांच, प्रमाणपत्र डाउनलोड और सेवाओं की सूची व्हाट्सएप के द्वारा देख सकते हैं।

• टू–वे इंटीग्रेशन –यह सिस्टम के बीच निर्बाध डेटा विनिमय को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सभी प्लेटफार्मों पर सुसंगत और अद्यतन बनी रहे।

• e- RUPI इंटीग्रेशन – डी0बी0टी0 की काइंड योजना e- RUPI के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और लाभार्थी भविष्य में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

डी0बी0टी0 स्कीम के तहत 78 योजनाएं ''अपणि सरकार'' पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 10 योजनाएं आनलाईन होने की ओर अग्रसर हैं।

99% Application Processing Rate

93% Disposal within Time

886 (72 Dept/Org)
E-service available online

78 Lakh Applications Received

26.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)–राज्य में 24913 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 19362 कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। 10530 सी0एस0सी0 ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी0एस0सी0 के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है।

चार्ट—26.3

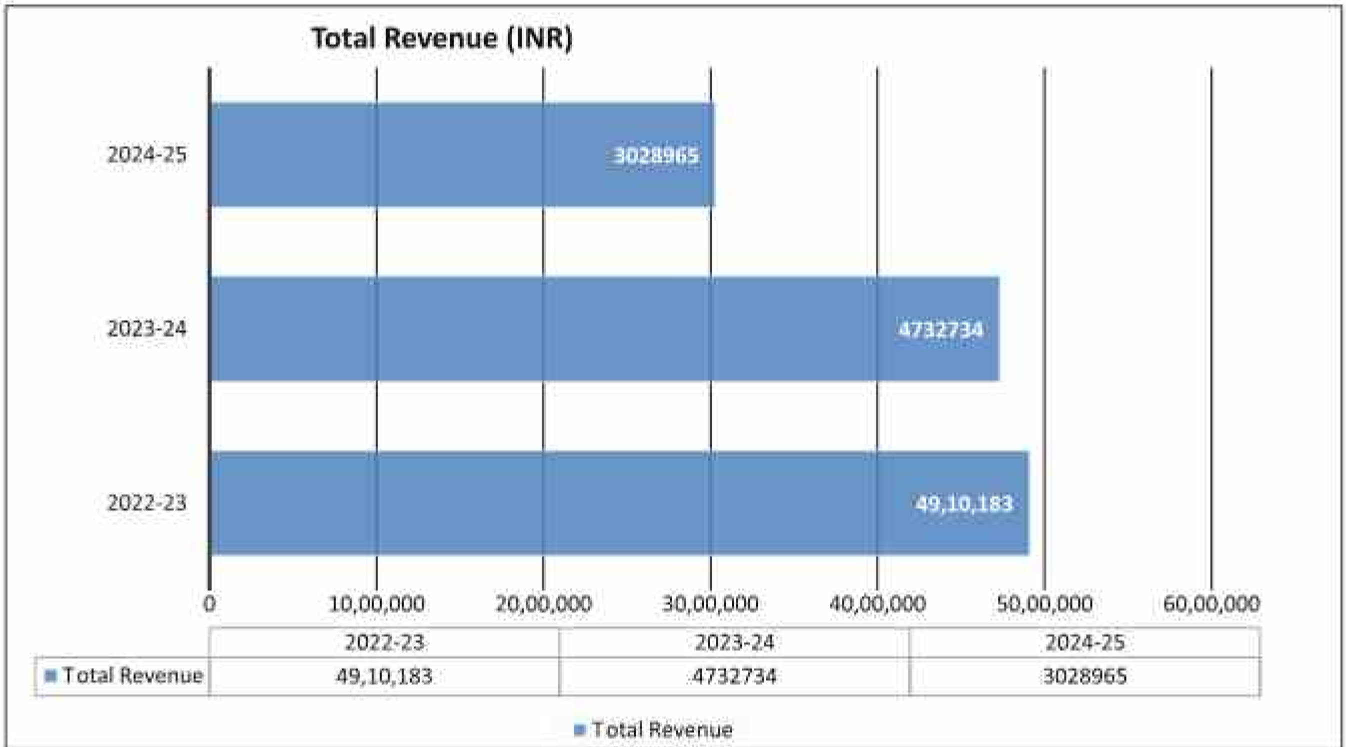

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

जनपदवार सी0एस0सी0 का विवरण निम्नानुसार हैं :-

तालिका—26.1

क्र0 सं0	जनपद	FY 2021-22		FY 2022-23		FY 2023-24		FY 2024-25	
		पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1	अल्मोड़ा	1411	861	1844	933	1977	980	1992	823
2	बागेश्वर	566	353	751	410	835	424	845	343
3	चमोली	956	504	1192	566	1280	596	1290	602
4	चम्पावत	577	380	774	375	840	408	846	332
5	देहरादून	2534	1619	3009	1805	3274	1984	3383	1728
6	हरिद्वार	2771	1831	3056	2014	3332	2229	3474	1946
7	नैनीताल	1973	1342	2226	1428	2396	1473	2444	1301
8	पौड़ी गढ़वाल	1526	893	1838	907	2072	1030	2092	826
9	पिथौरागढ़	931	459	1184	594	1308	684	1324	559
10	रुद्रप्रयाग	626	296	730	332	785	351	793	314
11	टिहरी गढ़वाल	960	509	1213	607	1314	751	1339	635
12	उधमसिंहनगर	3104	2000	3478	2238	3687	2299	3817	2044
13	उत्तरकाशी	906	556	1169	693	1261	613	1274	512
	कुल	**18841**	**11603**	**22464**	**12902**	**24361**	**13822**	**24913**	**11965**

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण–

प्रमुख उपलब्धि –

सी0एस0सी0 के माध्यम से प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं (अपणि सरकार के अतिरिक्त)निम्नवत् है–

1. **Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL):**
   - Collection of electricity Bill
2. **Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):**
   - Collection of water Bill
3. **State Transport (e-Vahan/e-Sarthi)**
   - Alteration of Motor Vehicle
   - Change of Address in RC
   - Duplicate FC
   - Fitness Inspection/Certificate
   - Fresh Permit
   - Hypothecation Addition
   - Hypothecation Termination
   - Issue of Duplicate RC
   - Issue of NOC
   - MV Tax
   - RC Particulars Against Fee
   - Renewal of Registration
   - Transfer of Ownership
   - Learning License
   - Driving License
4. **Labour Department :**
   - Labour Card Registration of BOCW
5. **List of Central G2C Services :**
   - Jeevan Pramaan Certificate
   - Soil Health Card
   - Public Grievances
   - Swachh Bharat
   - National Pension System
   - Passport
   - UTIITSL - PAN Card Service
   - BBPS (Bharat Bill Payment System) -Utility Bills
   - KVK(Kissan Vigyan Kendra)
6. **Financial Inclusion**:
   - Banking
   - Insurance : LI/GI/PMFBY
   - Pension
7. **Health Services** :
   - Medicine Sale
   - FSSAI
8. **Education Project** :
   - CSC Academy
   - CSC Bal Vidyalya
   - Skill Development
   - Tele law
   - E Court
9. **Ayushman Bharat:**
   - Registration of Beneficiary
10. **e-Sharam:**
    - Registration of Beneficiary
11. **e Vigyapan**:
    - Commercial adds displayed for public at CSC center.
12. **e Store**:

- Rural e-Commerce Platform

13. **Agricultural :**
    - FPO's/PACs as CSCs
    - CSC e Agri Portal
    - IFFCO Sale
    - KVK (Krishi Vigyan Kendra)
14. **Gas Centers:**
    - 100 Kgs Outlet & Booking of Cylinders
15. **PM Scheme:**
    - PM-SYM(Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan) :
    - PM SVA Nidhi(PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi) :
    - PM-KMY(Pradhan Mantri Kisan Maandhan)
    - PM Surya ghar
    - PM Kisan Samman Nidhi
16. **FPS (Fair Price Shop):**
    - Automation work at 7418 PDS across the State
17. **RTO Centers**:
    - Vahan Tax Collection Center at Dehradun
18. **ASK Centers:**
    - 16 ASK (Aadhaar Seva Kendra) Across The State
19. **Travel:**
    - IRCTC
    - Flight
    - Bus Booking
20. **B2C Services :**
    - Income Tax Services
    - GST Returns
    - Digital Sign Certificate
    - Order Devices from CSC
    - Kisan e Store
21. **e Recharge:**
    - Airtel
    - BSNL
    - BSNL Prepaid
    - JIO
    - Vodaphone
    - Air Tel DTH Recharge
    - Tata Sky
    - Sun DTH Recharge
    - Dish TV New Connection & Recharge
    - DTH New Connection & Recharge
    - Watcho New Connection & Recharge
22. **Mission Karamyogi :**
    - Training of VLEs in Aspirational Districts
23. **e-Stamp**
    - CSC sub agent registration

26.3.5 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)– स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) से विधान सभा व सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 44 विभागों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ITDA से कुल 65 विभाग जोड़े जा चुके हैं। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत 13 जनपदों में लगभग 2010 कार्यालय संयोजित किये गये है, एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर ब्लॉक–तहसील स्तर तक अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क हेतु स्थापित उपकरणों को अपग्रेड कर दिया गया है।

- ITDA: Facilitator – DoT & GoI Agency
- BSNL Nodal Agency for Implementation
- by GoI
- 4G Village Saturation: 82 %
- 75% Land acquisition cleared with
- No Pendency on PRAGATI Portal
- 100% DHQ Covered (250 Mbps- 1 Gbps)
- 100% BHQ Covered (10 to 100 Mbps)
- 99% THQ covered (10 to 100 Mbps)
- 2036 Offices Connected
- Use of SDWAN (latest technology)
- BSNL and Airtel for Connectivity
- ITDA: Facilitator, BSNL: Implementation Agency
- 6590 FTTH Connection in Gram Panchayats part of Bharatnet Phase I
- 4583 FTTH Connections Provided in 1146 GPs ITDA's support

चार्ट–26.4

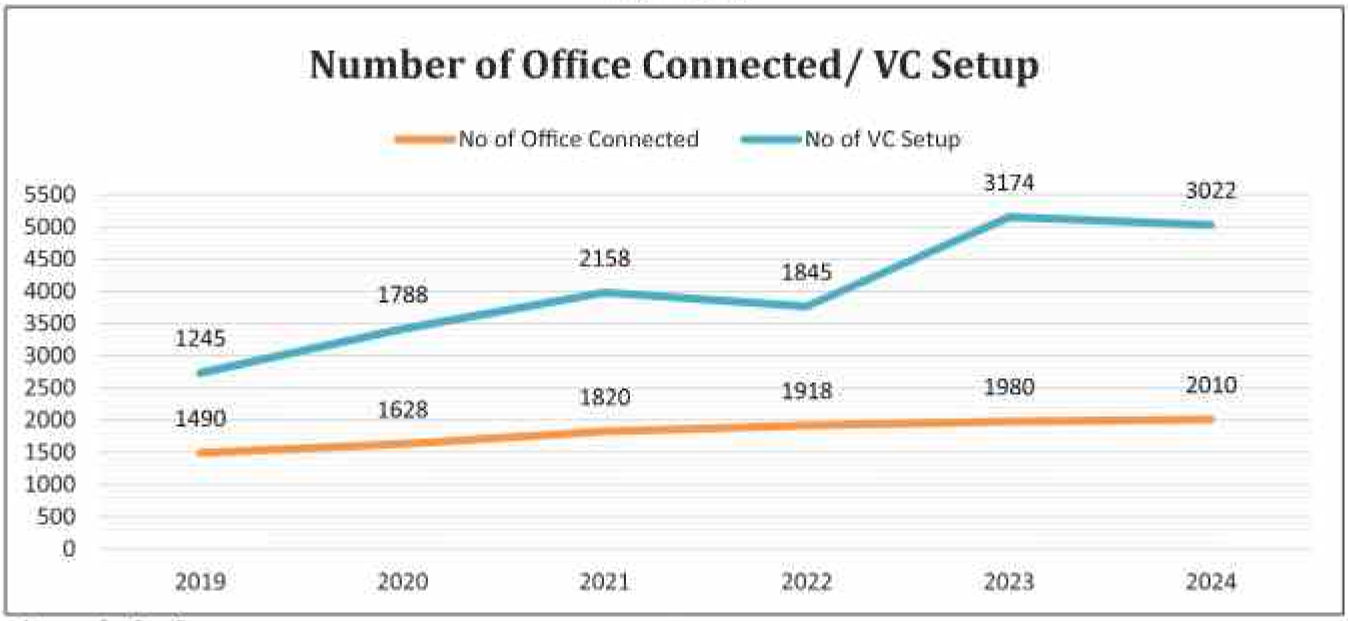

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.3.6 वीडियो कान्फ्रेसिंग (Video Confrencing) :– प्रथम चरण में सचिवालय, परिवहन, पुलिस व ब्लॉक स्तर तक लगभग 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेसिंग की स्थापना की गयी है। माह अक्टूबर, 2024 तक 2770 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग स्वॉन के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। वर्तमान में 139 केन्द्रो में वैकल्पिक आई0एस0पी0 की सुविधा प्रदान की जा रही है।

26.3.7 डिजीलॉकर (Digi Locker) –डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 40 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार की ''अपणि सरकार'' सेवाओं से सम्बन्धित 40.63 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

26.3.8 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र (Skill Development Centre-CALC)- वर्तमान में आई0टी0डी0ए0 कैल्क के अन्तर्गत 39 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब/डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी हैं। इन केन्द्रों का उद्देस्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सकें।

आई0टी0डी0ए0 कैल्क उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा मान्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है।

ITDA-CALC द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने हेतु NCVET (National Council for Vocation Education and Training) जो कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, व्यावसायिक शिक्षा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मानकों को डिजाइन करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त,गैर–सांविधिक और नियामक

निकाय है तथा प्रादेशिक स्तर पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् से Awarding Body and Assesment Body के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। उक्त मान्यता के पश्चात CALC के छात्रों को रोजगार प्राप्ति हेतु उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

चार्ट–26.5

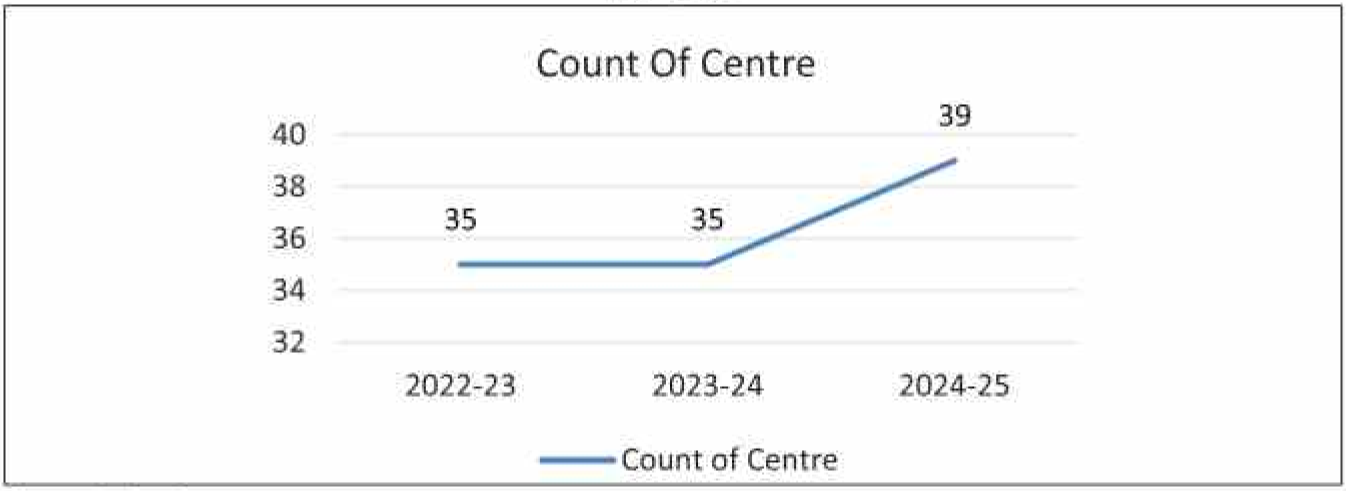

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

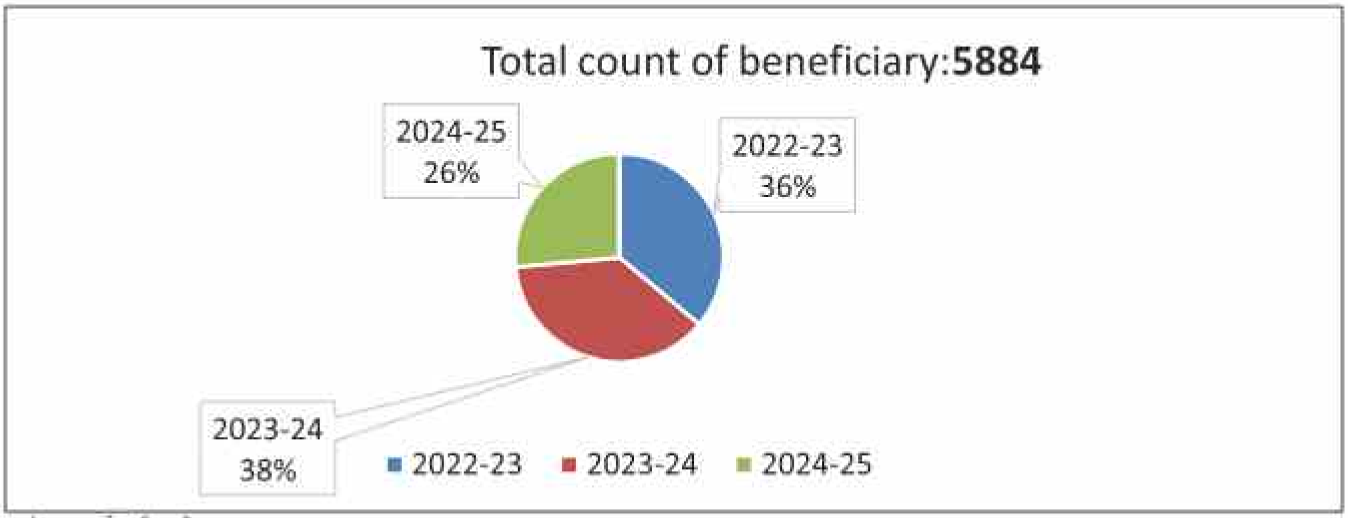

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रमुख उपलब्धि :–

1. टी0एच0डी0सी0 द्वारा 60 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
2. पंचायती राज के 54677 पदाधिकारियों का सफल प्रशिक्षण।
3. सैनिक कल्याण 365 आश्रितों का सफल प्रशिक्षण।
4. युवा कल्याण विभाग नैनीताल/रुद्रपुर के 83 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
5. उत्तराखंड बहुद्देशीय वित्तीय विकास निगम के 60 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
6. MeitY द्वारा 10000 लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण।
7. सैनिक कल्याण 394 आश्रितों हेतु प्रशिक्षण।
8. पुलिस विभाग के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से पुरस्कार देने वाली संस्था और मूल्यांकन संस्था की दोहरी मान्यता के लिए

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

26.4 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905' (CM Helpline '1905')– माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 594330 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 406824 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

चार्ट–26.6

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total complaints received	50185	70656	95830	135101	135616	114972
Total complaints resolved	50174	70619	95724	133702	131316	92869

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण –

26.5 ई–ऑफिस (E-Office) –वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "E- Office" का चयन किया गया है। इस क्रम में कर्मियों का मास्टर डाटा तैयार किया जा चुका है।

80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु गवर्नमेंट ई–मेल IDSC आई0डी0 निर्मित की जा चुकी है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया जा चुका है तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति कर सचिवालय प्रशासन को वितरित किये जा चुके हैं। ई–ऑफिस के संचालन हेतु आई0टी0डी0ए0 में सचिवालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अभी तक कुल 691 विभाग शामिल किए गए है,एवं जिनमे से वर्तमान में 584 विभागों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा 107 विभागों को भी जल्द ही ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

चार्ट–26.7

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

Phase 1

Target-645
Onboared-574
Target Achieved-89%
Files Created-43K+

Phase 2

Remaining offices to be onboarded-157
Email IDs to be Created-1K+

26.6 स्टार्टअप हब (Start-up Hub)– आई0टी0 भवन में आई0टी0डी0ए0 द्वारा एस0टी0पी0आई0 (Software Technolgy Park of India) के साथ उत्तराखण्ड स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्कुबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये गये हैं एवं एक उत्कृष्ठ केन्द्र ''ड्रोन तकनीकी'' हेतु स्थापित होगा।

वर्तमान मे 4 कंपनियां स्टार्टअप हब के तहत काम कर रही हैं।

तालिका 26.2

S. No	Name of company (PVT,LLP)	Website	Project	From	To
1	Globiance Intelliweb Software Consultancy	https://omnisoftconsulting.com	Travel Esay	1/6/2023	Till Date
2	Koders Korp Llp	https://koders.in	1.Inventory Dashboard Management System 2.Bookstore Ecommerce Store 3.Clothing E-commerce Shopify Integration 4.Mechanic in motion Car management System	4/18/2023	Till Date
3	Droncharya Unmanned Aerospace Invotion (DUAI)	https://www.duai.in	Ai Drone and Drone Traning	4/1/2023	Oct-24
4	Techboxai Tenchnologies Pvt.Ltd Personate.Ai	https://personate.ai	Working AI , Avatar , AI Anchor Sana	1/10/2024	Oct-24

26.7 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (Drone Application and Research Center)—ड्रोन एप्लीकशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी एवं नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO) भारत सरकार की संयुक्त पहल से वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना, मानव रहित प्रौद्योगिकी की उन्नति और अनुप्रयोग में उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, राज्य के अन्य क्षेत्रो जैसे वन सर्वेक्षण, कृषि इत्यादि के ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं स्थापित करना एवं अन्य विभागों द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) के माध्यम से एप्लीकेशन निम्नलिखित राज्य/केन्द्र सरकार विभागों के कर्मियों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों हेतु 100 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये एवं अभी तक अर्द्धसैनिक बल यथा बी0एस0एफ0, सी0आर0, पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0 बी0पी0, सिंचाई विभाग, पुलिस दूरसंचार विभाग, एस0डी0आर0एफ0 विभाग, सू0प्रौ0 के अन्तर्गत– स्वान इंजीनियर्स एवं ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आदि 3432 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ मिलकर जोशीमठ में भू–धंसाव का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया था। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टमाईजेशन, मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन विकसित किया गया, जिसका प्रदर्शन 'ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इण्डिया' में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड के

विभिन्न कार्यालयों की भूमि/ परिसम्पतियों की तैयार परिसम्पत्ति पंजिका के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति का सेटेलाईट/ ड्रोन/ विडियो आदि द्वारा चित्र लेकर स्थलीय निरीक्षण करवाये जाने एवं डिजीटल रूप से तैयार कर पोर्टल (pam.uatswcs.in) पर GIS Fencing के साथ डाले जाने हेतु ड्रोन सर्वे पूर्ण कराया गया।

अक्टूबर 2024 में नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर देहरादून के अन्तर्गत मलिन बस्तियों का ड्रोन सर्वे किया गया।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) के माध्यम से आगामी वर्षों में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है–

- ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु RPTO (Remote Pilot Training Program) की स्थापना कर DGCA certified कोर्स संचालित किये जायेंगे।

- राज्य में ड्रोन कोरिडोर की स्थापना एवं प्रत्येक जनपद में एक–एक ड्रोन पोर्ट की स्थापना की जानी प्ररस्तावित है इस हेतु निविदा ई0ओ0आई0 प्रकाशित की जा चुकी है।

- Unmanned Traffic Management System (UTM) की स्थापना।

- ड्रोन लॉजिस्टिक्स की स्थापना।

- समस्त ULBs की ड्रोन मैपिंग।

प्रशिक्षण –

26.8 ई–गेटपास (E-Gatepass)– आई0टी0डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/ परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass.uk.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। इस सिस्टम के माध्यम से अभी तक 2.27 लाख ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में ई–गेटपास का मोबाईल एप क्रियान्वित कर लिया जायेगा,

जिससे आगन्तुकों को आवेदन में सुगमता रहेगी एवं सिक्योरिटी अधिकारी को गेट पर क्यू0आर0 कोड (Quick Response Code) से स्कैनर की सुविधा प्राप्त होगी।

चार्ट–26.8

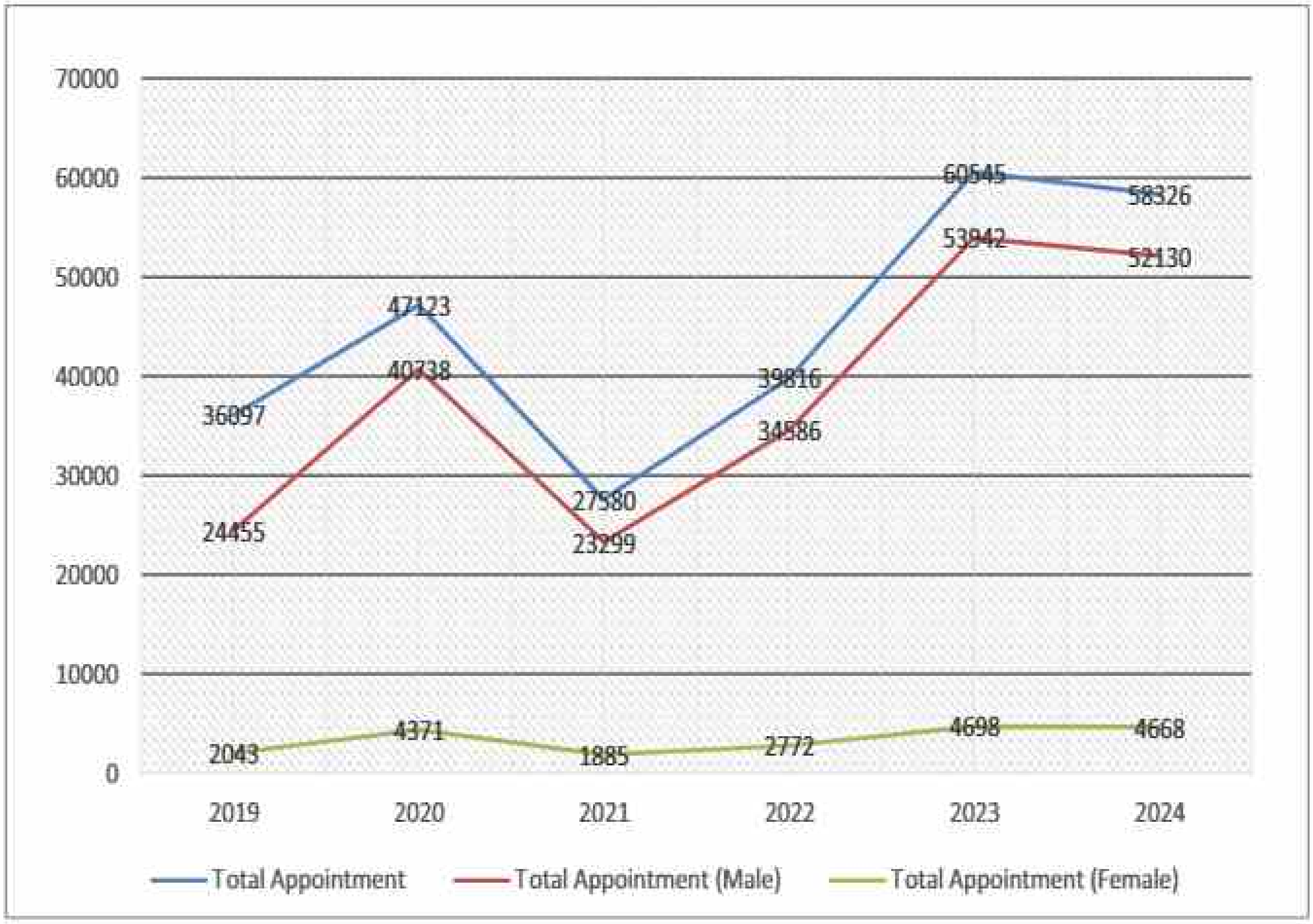

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.9 आधार परियोजना–आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्य में 2024 की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष आधार पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

तालिका 26.3

S. No.	Age Group	Total Population (Projected 2024)	Total Aadhaar Generated	Saturation %
1	0-5 Yrs	849,165	5,16,739	60.85%
2	5-18 Yrs	2,449,013	2,659,191	108.58%
3	Above 18 Yrs	8,446,988	9,285,035	109.92%
Total	**Overall**	**11,745,166**	**12,460,965**	**106.09%**

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

चार्ट–26.9

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

26.10 पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड PM Gati Shakti Uttarakhand (Unnati Portal)

"पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड" कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्तावों और परियोजनाऐं लंबित हैं जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, की वास्तविक स्थिति के अवलोकन एवं अनुश्रवण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली है। पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड कार्यक्रम के माध्यम से लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए हित धारकों के बीच निर्बाध संचार प्रदान किया जा सकता है।

चार्ट–26.10

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

Project Tracking via Photos and Videos

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

Stage wise/Role wise proposals tracking and pendency details

स्रोतः आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक

(Science & Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही हैः–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Sci-ence Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Bio-technology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः–

26.11 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा नवीनतम अन्तरिक्ष एवं उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक तथा सामान्य एवं पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का सृजन कर उपयोगी डेटाबेस तैयार कर प्रदेश सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता/रेखीय विभागों को लाभान्वित करना है साथ ही अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना उनको आगे बढ़ाना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना एवं अनुसन्धान और विकास में सहयोग करने सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं।

26.11.1 राज्य सहायतित परियोजनायें–

26.11.1.1 लैण्ड यूज एण्ड/रूरल/अर्बन प्लानिंग– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य के नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग नगर क्षेत्रों का 1:4000 स्केल पर लार्ज स्केल मैपिंग करना है एवं पौड़ी जनपद का 1:10000 स्केल पर लैण्ड यूज/लैण्ड कवर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

26.11.1.2 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट– परियोजना का उद्देश्य राज्य के यमुना रीवर बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय डेटा व मानसून वैरिएबलस एवं फील्ड सर्वेक्षण से मानचित्रीकरण एवं मूल्यांकन करना, राज्य के पुरोला व मोरी में स्थित नोलों व धारों व मत्स्य पालन तालाबों का जी0पी0एस0 आधारित फील्ड

सर्वेक्षण कर सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, राज्य के पुरोला, मोरी, सरस्वती, नागोईगाड वाटरशेड में स्थित जलस्त्रोतों का जी0पी0एस0 आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर वाटर क्वालिटी फील्ड डेटा एकत्रीकरण कर जल संस्थान की लैब से परीक्षण के उपरान्त जियोस्पाशियल डेटाबेस मानचित्रीकरण करना तथा इन क्षेत्रों में स्थित जलस्रोतों की वर्तमान व पूर्व स्थिति हेतु कारणों की पहचान कर ग्राम स्तर पर जल संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक करना है।

26.11.1.3 वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन– परियोजना का उद्देश्य डेशन कर एटलस और रिपोर्ट सृजन करना तथा नेचुरल रिसोर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयर्स अपडेशन यूजिंग वेरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा ऑफ उत्तराखण्ड स्टेट (1:2000 स्केल या बेहतर) पर भू–उपयोग, भू–आवरण, ड्रेनेज, सड़क, रेल नेटवर्क एवं बसासत का आंकलन करना है।

26.11.1.4 एग्रीकल्चर एवं हॉर्टीकल्चर– परियोजना का उद्देश्य टेम्पोरल सेटेलाइट डेटा का उपयोग कर रबी सीजन में उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, एवं बागेश्वर जिलों के लिए सक्रिय कृषि भूमि का आंकलन करना है। इसके अन्तर्गत कम्पोजिट उपग्रहीय डाटा से बागेश्वर एवं देहरादून जनपदों के लिए रबी सीजन में सक्रिय कृषि भूमि के आंकलन का कार्य जारी है। उपग्रहीय आंकड़ों द्वारा गेहूं (समस्त जनपदों हेतु), लाल चावल (उत्तरकाशी), ग्रीष्म कालीन चावल (ऊधमसिंह नगर) झंगोरा एवं मंडुवा (टिहरी) एवं गन्ना (ऊधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार) फसलों का कटाई से पूर्व बोये गये क्षेत्रफल का आंकलन व टिहरी जनपद के लिए झंगोरा तथा मंडुआ फसलों का प्री–हार्वेस्ट क्षेत्र फसल का क्षेत्रफल आंकलन वर्ष 2024 के लिए किया गया।

26.11.1.5 उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS)– राज्य के समस्त जनपदों में लगभग 44,000 परिसंपत्तियों के बाउंड्री सृजन का कार्य किया जा चुका है। अपडेटेड मोबाइल ऐप द्वारा बाउंड्री सृजन हेतु यूजर मैन्युअल व गाइडलाइन तैयार कर समस्त जनपदों में साझा की गयी।

26.11.1.6 ऐलीवे एन्क्रोचमेंट स्टडी ऑफ हरिद्वार एवं देहरादून– परियोजना का उद्देश्य देहरादून शहर के अंतर्गत चिन्हित ब्लॉक्स मे ऐलीवे एन्क्रोचमेंट क्षेत्रों का चिन्हीकरण जी0आई0एस0 आधारित सर्वेक्षण के आधार पर उक्त क्षेत्रों में अतिकर्मित क्षेत्रों का जिओ डेटाबेस तैयार कर सम्बंधित विभाग के साथ साझा करना है। कार्य के तहत सम्बंधित क्षेत्र के लिए प्रारम्भिक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

26.11.1.7 आईडेन्टिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डम्प साइट्स इन चार धाम यात्रा रूट एण्ड देहरादून सिटी यूजिंग हाई रेज्यूलेशन सेटेलाइट डेटा इमेजरीज– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन उपग्रहीय डेटा के उपयोग से चार धाम यात्रा मार्ग और देहरादून शहर में मौजूद ठोस अपशिष्ट कूड़ा डंपिग क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का चिन्हांकन एवं जी0पी0एस0 आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर जी0आई0एस0 के उपयोग से बहुविषयक सूचनायें– भू– उपयोग / भू–आवरण, रोड नेटवर्क, भू–आकृतिक मानचित्र सृजित करना एवं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस (MCDA) विधियों का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्रों / डंपिंग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार करने हेतु वेब आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (SWMIS) विकसित करना है। इसके अन्तर्गत उक्त से सम्बन्धित डेटाबेस तैयार कर उक्त डेटाबेस को एक रिपोर्ट के रुप में संकलित किया जा रहा है तथा देहरादून शहर में फील्ड सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है।

26.11.2 वाह्य सहायतित परियोजनायें–

26.11.2.1 सैटेलाईट इन्टीग्रेटेड लैण्डस्लाइड असेसमेंट एण्ड अलर्ट सिस्टम (SILAAS) परियोजना– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में पोस्ट मानसून 2023 के लिए

लैंडस्लाइड इनवेंटरी तैयार करना है। पोस्ट मॉनसून 2023 के लिए लैंडस्लाइड इनवेंटरी जेनरेशन एवं गुणवत्ता जाँच का कार्य जारी है।

26.11.2.2 प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत राज्य में नियोजन एवं डिसीजन मेकिंग में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करने हेतु समय–समय पर राज्य के सभी रेखीय विभागों, उपयोगकर्ताओं व लाभार्थियों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों/ शोधार्थियों हेतु सुदूर संवेदन तकनीक एवं जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 से सम्बन्धित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

26.12 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद–यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

26.12.1 साइंस सिटी की स्थापना– यूकॉस्ट के तत्वाधान में आंचलिक विज्ञान केंद्र को उच्चीकृत करके साइंस सिटी देहरादून में विकसित करने की परियोजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कार्यरत है। लगभग 26 एकड़ में स्थापित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत ₹173 करोड़ है, जिसम ₹ 88.20 करोड़ केंद्र सरकार तथा 84.80 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

26.12.2 आंचलिक विज्ञान केन्द्र, देहरादून– आंचलिक विज्ञान केन्द्र देहरादून वर्तमान समय में राज्यभर के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी छात्रों एवं शोधार्थियों के साथ–साथ आम जनमानस में विज्ञान संचार के उददेश्य से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024 में दिसम्बर माह तक केन्द्र में कुल 55,558 आगंतुकों द्वारा भ्रमण किया गया।

26.12.3 मानस खण्ड विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा– उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अल्मोडा जनपद में विज्ञान संचार के उददेश्य से उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य वर्ष 2024 में पूर्ण कर छात्र–छात्राओं एवं आम जन मानस हेतु मानस खण्ड विज्ञान केन्द्र के रूप में आरम्भ किया जा गया है।

26.12.4 विज्ञान केन्द्र, चम्पावत– चम्पावत में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के लिए प्रस्तावित भूमि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून के नाम हस्तांतरित कर दी गयी है। परियोजना की कुल लागत ₹ 55.52 करोड़ है।

26.12.5 विज्ञान लोकव्यापीकरण– माह दिसंबर 2024 तक, परिषद द्वारा 23 कार्यक्रमों हेतु विभिन्न संस्थानों को अनुदान स्वीकृत एवं कुल 06 वैज्ञानिक दिवसों, जैसे कि अर्थ डे, टेक्नोलॉजी डे, एनवायरनमेंट डे, और नेशनल स्पेस डे आदि का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए क्विज का आयोजन किया गया और महिला दिवस के मौके पर रोल ऑफ वीमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वे फॉरवर्ड विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में 2500 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया।

26.12.6 शोध एवं विकास कार्यक्रम– परिषद के मुख्य उद्देश्यों निहित शोध विकास हेतु परिषद द्वारा राज्य के महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में शोध कार्य हेतु अनुदान दिया जाता है जिसके क्रम में वर्तमान वर्ष 2024–25 में 34 नयी शोध परियोजनाऐं स्वीकृत की गयी हैं।

26.12.7 स्टेम लैब कार्यकम– स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीक तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है, इसके प्रथम चरण में प्रदेश के 42 विकासखंडो में स्टेम

लैब स्थापित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून जिलों के प्रत्येक विकासखंड में उक्त स्टेम लैब को स्थापित किया जा चुका है, इस वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही शेष 56 विकासखंडो में प्रशिक्षक के साथ संपूर्ण 95 विकासखंडो में स्टेम लैब को स्थापित करने का प्रयास जारी है ।

26.12.7 लैब ऑन व्हील्स–मोबाइल सांइस लैब परियोजना– परियोजना के अंतर्गत मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला में व्यवहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, गतिविधियों के माध्यम से कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र–छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम–आधारित संकल्पना को सीखने का अवसर प्रदान किया जाना है। परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 04 जनपदों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी के 20–20 चयनित विद्यालयों में मोबाइल सांइस लैब का संचालन किया जा रहा है एवं द्वितीय चरण में राज्य के शेष 09 जनपदों में परियोजना के शुभारम्भ का कार्य गतिमान है।

26.12.8 सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव– विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा और आम जीवन में उसका समावेश करने के लिए प्रदेश के सीमांत पर्वतीय जनपदों (पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग) में स्कूली छात्रों–छात्राओं के लिए ब्लॉक, जनपद तथा राज्य स्तर पर सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, मर्सोलीभाट, पिथौरागढ़ में किया गया। उक्त कार्यक्रम मे 250 से अधिक छात्रों–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

26.12.9 उत्तराखण्ड/25 "आदर्श चम्पावत"– उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उददेश्य से उत्तराखण्ड/25 "आदर्श चम्पावत" के अन्तर्गत चम्पावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, परिषद द्वारा चम्पावत जनपद में कार्यरत सामाजिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं देश के विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यूकॉस्ट द्वारा चम्पावत जिले में ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए स्पिटी ग्राम सभा में टैक्नोलाजी रिर्सोस सेन्टर एवं खर्ककार्की ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों एवं महिलाओं को नयी–नयी प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उपरोक्त टैक्नोलाजी रिर्सोस सेन्टर एवं महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र में समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैट बैग, ऐपण, हौजरी, मधुमक्खी पालन इत्यादि को आयोजित करके महिलाओं एवं किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

26.12.10 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटर्रिंग एंड सर्विलांस प्रोग्रामः (पी0एम0यू0) परियोजना– यह परियोजना भारत सरकार के उपक्रम ''जल जीवन मिशन के अन्तर्गत'' (हर घर जल) के माध्यम से देश के समस्त राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का निर्माण किया गया है। पी0एम0यू0 का मुख्य कार्य समस्त 26 प्रयोगशालाओं का प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली की देख – रेख करना है, इस परियोजना में राज्य की समस्त 26 प्रयोगशालाओं में कुल 18 पैरामीटर्स पर पानी की जाँच की जाती है और अब तक इस वित्तीय वर्ष में लगभग 01 लाख पानी के नमूनों की जाँच रिपोर्ट्स सफलतापूर्वक जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

परियोजना अवधि – वर्ष 2024–25

कुल लागत –₹ 03,80,28,726.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 01,42,00,000.00

26.13–उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र– यूसर्क (Uttarakhand Science Education & Research Centre-USERC) –यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॅरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:–

- यूसर्क द्वारा विद्यार्थियों के मध्य वैज्ञानिक अभिरूचि, वैज्ञानिक चेतना जागृत करने तथा विज्ञान के प्रयोगिक ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 13 जनपदों के कुछ चयनित माध्यमिक विद्यालयों में 82 STEM (ScienceTechnology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

- डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऑनलाइन/ऑफलाइन विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है, कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 450 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

- पं0 ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कैम्पस ऋषिकेश में हरेला पीठ केन्द्र के अन्तर्गत यूसर्क प्लांट टीशु कल्चर लैब की स्थापना के साथ ही विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य की परंपरागत फसलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष अध्ययन, उच्च तकनीकी युक्त नर्सरी की स्थापना व शोध कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यापक सघन वृक्षारोपण आदि विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- यूसर्क द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में द्विभाषीय ई–कन्टैंट को ऑफलाइन/ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

- बाल युवा समागम : डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार में 'चतुर्थ बाल युवा समागम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के वर्ष 2023 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के 5–5 कुल 10 मेधावी छात्र–छात्राओं एवं ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 10 वीं के 20 एवं 12वीं के 18 कुल 38 छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया।

- अध्यापक विज्ञान कान्कलेव : 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यापक सम्मेलन' में राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, शिक्षा एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने 09 शिक्षकों को 'उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2024–25' से सम्मानित किया गया।

- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति विभाग विज्ञान के समावेश से समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाली 06 महिलाओं को द्वितीय 'विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान' से सम्मानित किया गया।

- यूसर्क द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में विज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार किये जाने हेतु विभिन्न विज्ञान के विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यानों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है।

- यूसर्क राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सम्बन्धी विविध क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों, वैज्ञानिक संस्थाओं एवं सामान्य जनमानस तक विज्ञान एवं अनुसंधान

के लाभों को पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर अग्रणी शोध को बढ़ावा देने व राज्य परक शोध के विषय की पहचान करने हेतु विभिन्न विज्ञान विषयों में शोधार्थियो हेतु शोध एवं नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 18 शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियों पर सहयोगात्मक रूप से वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाएं, शोध पत्रों, मोनोग्राफ, नेटर्वक का संचालन किया जा रहा है।

26.14–उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB) :–

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रदेश
हित में कार्यरत उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी 03
परिषद्, उत्तराखण्ड सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसको प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए तथा प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित किया गया है। वर्तमान में परिषद् जैव विविधता संरक्षित करने, वर्तमान जानकारी आधार के उन्नयन, शैक्षिक, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, बायोटेक उद्यमिता एवं व्यवसाय को प्रेरित करने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, जैव सूचना प्रसारित करने, जागरूकता विकसित करने और विशाल जैव संपदा को वैज्ञानिक विधि द्वारा अनुप्रयोग में लाने आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित है। परिषद् उत्तराखण्ड में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास के नये शिखरों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

- परिषद अपने कैंपस दौरे, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करती है और अपनी बायोटेक गतिविधियों को लोकप्रिय बनाती है।

- प्रोजेक्ट "Development of a multilingual android applica-tion for the sustainable agri-culture and animal husbandry practices for the farmers from hilly and terrain regions of Uttarakhand, India" से सम्बंधित एप्लीकेशन्स का कार्य लगभग पूर्ण हो चूका है। जिसमें "सम्पन्न खेती सम्पन्न उत्तराखण्ड" नामक ऐप अब हिंदी और गढ़वाली भाषा में प्ले स्टोर पर उपलब्ध है हालाँकि "स्वस्थ पशु समृद्ध उत्तराखण्ड" नमक ऐप का कार्य गतिशील है। दोनों ऐप मैं गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा पर कार्य चल रहा है।

- जैवप्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी में संचालित परियोजना शीर्षक "Elucidating Positive attributes.......... Value addition" के अन्तर्गत परियोजना का कार्य गतिमान है।

- मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एण्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के अन्तर्गत नैनोबायोसेन्सर टेस्टिंग का कार्य एवं हर्बल नैनोसेनिटाइजर का कार्य सकुशल गतिमान है।

- पादप ऊतक संवर्धन विधि द्वारा तैयार किये गये कीवी, तिमुर, केला, जटामासी, ब्राह्मी और मीठी तुलसी के पौधे पॉलीहाउस में लगाये गये हैं।

- किसानों को जैवप्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण के अंतर्गत कीवीफल, पिकनट इत्यादि की जानकारी दी गयी। स्टॉल पर लगाये गये भू–परीक्षक उपकरण से मृदा जांच की जानकारी किसानों को प्रदान की गयी।

- परिषद् द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बद्री गाय व पंतजा बकरी पालन को बढ़ावा देने व पशुपालकों की आय वृद्धि के उद्देश्य से वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण दिया गया जिसमें लगभग 335 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया।

• आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रयोग शाला, सीईएमबी, यूसीबी की आणविक निदान शाखा विभिन्न रोगों के आणविक निदान, कैंसर बायोमार्कर के निदान और आधुनिक आणविक निदान तकनीकों के लिए नवीन सुविधाओं से सुसज्जित है। यह प्रयोगशाला मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, वैज्ञानिक संकायों और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण/कार्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और बायोमेडिकल विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोगात्मक सहयोग के साथ ज्ञान प्रदान कर रही है।

• उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (यूबीसी) में जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के बाद से, जैव सूचना विज्ञान सुविधा सभी संकाय के सदस्यों और अन्य सहयोगी संस्थानों के लिए खुली है। व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 250 से अधिक वैज्ञानिकों, सहायक प्रोफेसरों और अनुसंधान विद्वानों को प्रशिक्षित किया है।

• 108वां राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआर–केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मखदूम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बकरी पालन प्रथाओं और संबंधित क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना था।

• परिषद् में संचालित परियोजना शीर्षक "Biotechnological In-tervention......Districts Local Farmers" के अन्तर्गत किसानों, ग्रामीणों व पशुपालकों की गोष्ठी एवं जागरूकता व तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सुई, लोहाघाट (चम्पावत) में आयोजित हुआ जिसमें लगभग 200 पशुपालकों एवं ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया तथा पशुपालन से सम्बंधित आवश्यक दवाइयां व सामग्रियां वितरित की गयी।

• परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्र, पटवाडांगर में परिषद् एवं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, भीमताल के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 किसानों एवं 50 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अध्याय–27
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

27.1 राजस्व

किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान भूमि का केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभगों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमाकर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षतापूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

27.1.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना का प्रारम्भ से वर्तमान समय तक की अद्यावधिक स्थिति का विवरण।

1. जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के सजरा मानचित्रों (कैडस्ट्रल मैप्स) को डिजिटाईज्ड कर आर0ओ0आर0 से लिंक करने उपरान्त भू–नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunakashsa.uk.gov.in के माध्यम से पब्लिक डोमेन में व्यहृत किये जा चुके हैं, तथा प्रदेश के अवशेष जनपदों के समस्त सजरा मानचित्रों (कैडस्ट्रल मैप्स) का डिजिटाईज/जियो रेफरेंसिंग सम्बन्धी कार्य 99% पूर्ण हो चुका है। केवल 1% सजरा मानचित्रों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो के कारण विलम्ब हो रहा है जिसे भी माह दिसम्बर, 2024 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2. डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम योजनान्तर्गत प्रदेश की कुल 128 तहसीलों/उप तहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा अवशेष में तहसीलों/उप तहसीलों में कार्य करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3. प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त भूमि का आधुनिक विधि यथा एरियल लिडार विद ऑपटिकल सेन्सर तकनीक के माध्यम से करवाये जाने हेतु जारी ई–निविदा को भारत सरकार के निर्देशानुसार निरस्त करते हुये पॉयलट अध्ययन हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में 05 राजस्व ग्रामों यथा–जनपद पौड़ी गढ़वाल, तहसील पौड़ी, राजस्व ग्राम 01–थली, राजस्व ग्राम 02–निसनी, जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील प्रतापनगर, राजस्व ग्राम 01 मुखमल, राजस्व ग्राम 02 पनसुत एवं जनपद हरिद्वार, तहसील भगवानपुर, राजस्व ग्राम हसनवाला एवं 04 नगरपालिका क्षेत्रों के निम्नलिखित ग्रामों में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

जनपद	तहसील	नगपालिका / नगरपंचायत	राजस्व ग्राम का नाम
हरिद्वार	भगवानपुर	भगवानपुर	भगवानपुर मु0व0 ज0मु0
			शाहपुर
			मकनपुर महमूद आलम (मु00 व ज0मु0)
			खानपुर
ऊधमसिंहनगर	किच्छा	रूद्रपुर	चुकटी
			सोनेटा
			देवरिया
			सिरौलीकला
			किशनपुर
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	बारामण्डल	अथरबाड़ी
			उडालढुंगा
			एन0टी0डी0
			कपीना चायबाड़ी
			खगमराकोट
			खत्याड़ी
			गोलना
			दुगालखोला
			नगरपालिका खत्याड़ी
			नारायण तेवाड़ी देवाल
			पाण्डेखोला शहर
			पाण्डेखोला ग्रामीण
			पोखरबाड़ी
			पोथ फ्री स्टेट
			बख
			म्यू0 बाहक
			म्यू0 बाहर
			राजपुर
			राजपुर म्यू0 भीतर
			रानीधारा
			रैलापाली
			हीरा डुंगरी
			हीरा डुंगरी फ्री स्टेट
			म्यू0 भीतर
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बगर गांव
			सोनी
			खेडागाड
			काण्डामयडौंर
			पाथौ
			नरेन्द्रनगर

4. प्रदेश के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। ऑनलाईन म्यूटेशन हेतु सॉफ्टवेयर डवलप किया जा चुका है, जिसका परीक्षण होना गतिमान है।

5. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 95% भू–अभिलेखों को ULPIN जनरेट किये जा चुके हैं, अवशेष 05% का अभिलेख अधिकारी स्तर से वैलीडेशन उपरान्त ULPIN जनरेट कर दिये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में पृथक से स्वतः ही ULPIN जनरेट किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

6. एग्री स्टैक योजना अन्तर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर प्रत्येक खातेदार व सहखातेदार की अंश निर्धारित पृथक–पृथक रियल टाईम खतौनी व खसरा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

27.1.2. स्वामित्व योजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

राज्य के 7441 ग्रामों में स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये है, तथा हितबद्ध धारकों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया जा चुका है।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

27.1.3 ईज ऑफ डूईग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित कार्यवाही

डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्ड:– डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्डस में खतौनियॉ डिजिटाईज की जा चुका हैं तथा कैडस्ट्रल मैप की स्थिति अग्रिम बिन्दु में समाहित है।

ऑनलाईन म्यूटेशन:– निबन्धन विभाग की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्री तहसीलदार को प्राप्त होने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

धारा 41 के तहत सीमांकन/डिमार्केशन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन का क्रियान्वयन :– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद् स्तर पर वर्णित कार्यवाही हेतु आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा चुकी है, जिसका कियान्यवन प्रदेश की तहसीलों द्वारा किया जा रहा है। भूमि की पैमाईश का ऑनलाईन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में उपलब्ध है, पूर्णतः ऑनलाईन पोर्टल के रूप में संचालित है।

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण:– राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन वेब ऐप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से वादों की डाटा इन्ट्री करवायी जा रही है प्रदेश की 411 राजस्व न्यायालय ऑनलाईन किये जा चुके है। प्रदेश की राजस्व न्यायालय शुल्क ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में विद्यमान है।

कृषि भूमि को अकृषि करने हेतु जेड0ए0एल0आर0 अधिनियम की धारा– 143 एवं 144 तथा कृषि भूमि क्रय करने हेतु (धारा–154) वेब पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

नॉन जेड0ए0 खतौनियों का वैलीडेशन:– प्रदेश की समस्त नॉन जेड0ए0 खतौनियॉ कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं, कम्प्यूटरीकृत खतौनियों को ऑनलाईन आमजन को उपलब्ध

कराये जाने की जनपदवार प्रक्रिया परिषद् स्तर पर गतिमान है।

गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्रः–

प्रदेश के https://landuse.uk.gov.in पोर्टल पर गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश में राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग http://rcs.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

भू–अभिलेखों पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभार ऑनलाईन दर्ज/मुक्त किये जाने हेतु प्रदेश में वेब पोर्टल http://loanentry.uk.gov.in संचालित है।

27.1.4 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य :–

वर्तमान समय में सर्वेक्षण इकाई जनपद उधमसिंहनगर, एवं देहरादून के अन्तर्गत सर्वेक्षण/बन्दोबस्ती क्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण :–

तालिका 27.1

क. स.	जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रकिया सर्वेक्षण/ बन्दोबस्त अधीन हैं
1	2	3
1	देहरादून	11
2	हरिद्वार	05
3	टिहरी	01
4	उत्तरकाशी	02
5	पौडी	02
6	ऊधमसिंहनगर	08
7	नैनीताल	04
	योग	**33**

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी :–

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिहनगर में 1–1 चकबन्दी इकाई कार्यरत है। चकबन्दी के अन्तर्गत मैदानी जनपदों के चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या–921 है, जिसके सापेक्ष 471 ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख तहसीलों को भेजे जा चुके हैं तथा 319 ग्राम जन विरोध अथवा स्थगन आदेश के कारण तहसीलों को वापस किये जा चुके है, शेष 131 ग्रामों में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है।

तालिका 27.2

उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में चकबन्दी का विवरण

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिये गये ग्रामें की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबंदी समाप्त/ स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5
ऊधमसिंहनगर	273	129	109	35
चम्पावत	28	02	26	—
नैनीताल	20	03	15	02
हरिद्वार	600	277	169	94
योग	**921**	**471**	**319**	**131**

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी :–

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020 प्रख्यापित की गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के सात ग्रामों यथा लखोली, औणी, खैरासैण, पंचूर, तंगोली, ग्वीन मल्ला एवं ढांगल में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा– 4(1) व 4(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। ग्राम लखोली, औणी, खैरासैण एवं पंचूर में चकबन्दी समिति का गठन किया गया है एवं खतौनी सत्यापन/पड़ताल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त सात ग्रामों में डिजिटल सर्वेक्षण कराये जाने हेतु जी. आई.एस कन्सोरटीएम प्रा. लि0 का चयन किया जा चुका है। सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

27.3– उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के क्रिया–कलाप

1. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण– वर्ष 2024 में उत्तराखण्ड राज्य अंतर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में अतिवृष्टि के कारण दिनांक 31.07. 2024 को श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन घटनायें घटित हुयी। इस दौरान यात्रा कर रहे यात्रियों को, जो जहां पर थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। भू–स्खलन से 29 स्थानों पर पैदल एवं सड़क मार्ग अवरुद्ध हुये तथा कुल 19 जनहानि एवं 10 व्यक्ति घायल हुये। उक्त घटना के उपरान्त तत्काल **SDRF, NDRF, DDRF,** जिलाप्रशासन, पुलिस आदि द्वारा राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किये गये तथा भारत सरकार के सहयोग से तत्काल एम0आई0–17 और 01 चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये गये तथा 06 राज्य हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू अभियान में लगाये गये। रेस्क्यू अभियान में लगभग 13698 लोगों का पैदल तथा हवाई मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उक्त रेस्क्यू कार्य में विभिन्न विभागों के कुल 1166 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मानव संसाधन को राहत एवं बचाव कार्यो में लगाया गया।

2. दिनांक 07 एवं 08 जुलाई, 2024 को जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज एवं खटीमा में अतिवृष्टि के कारण भारी जल भराव होने से लगभग 23,540 व्यक्ति आपदा से प्रभावित हुये तथा रिकार्ड 10 दिन में लगभग 23,500 प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार अहेतुक सहायता वितरित की गयी तथा जनपद चम्पावत के तहसील श्रीपूर्णागिरि में दिनांक 07 जुलाई, 2024 से दिनांक 09 जुलाई, 2024 तथा 21.07.2024 को अतिवृष्टि से व्यापक क्षति हुयी तथा 193 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 27 जुलाई 2024 को टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के अन्तर्गत तोली गांव में भूस्खलन हुआ जिसमें 95 परिवार प्रभावित हुये तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करते हुये राहत एवं बचाव कार्य किया गया।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की है, जिसमें से 05 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। यूएसडीएमए द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर, 2024 तक जनपद चमोली के वसुंधराताल का स्थलीय सर्वेक्षण/बैथीमेट्री कार्य सम्पन्न किया गया।

4. जनपद नैनीताल शहर, उत्तराखंड में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जांच, भू–तकनीकी जांच, भू–भौतिक जांच तथा नैनापीक को सुरक्षित बनाने सम्बन्धी कार्य, जनपद चमोली के बहुगुणानगर, कर्णप्रयाग में शमन उपायों का डिजाइन के लिए भू–तकनीकी एवं भू–भौतिकीय जांच तथा जनपद हरिद्वार मनसा देवी पहाड़ी, हरिद्वार में स्थलीय सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जांच,

भू–तकनीकी जांच, भू–भौतिक जांच की प्रक्रिया गतिमान है।

5. आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बलियानाला भूस्खलन नैनीताल, ग्वाल गाँव भूस्खलन, धारचूला (पिथौरागढ़), ग्लोगी भूस्खलन, मसूरी मार्ग, देहरादून, हल्दापानी भूस्खलन चमोली, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा ग्लोगी पावरहाउस, देहरादून एप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

6. राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु 03 स्थानों पर यथा, मुक्तेश्वर–नैनीताल, सुरकन्डा–टिहरी तथा लैंसडॉउन–पौड़ी में डॉप्लर रडार स्थापित हैं, जिनसे उत्तराखण्ड राज्य में मौसम की पूर्वानुमान की और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो रही हैं।

7. जनपद चमोली के भूधंसाव से प्रभावित जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण एवं पुर्नस्थापना हेतु गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा रू0 1658 करोड़ की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है। जिसमें रू0 451.00 करोड़ राज्य का अंश भी सम्मिलित है।

8. उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT रूड़की के माध्यम से भूकम्प चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 177 सेंसर तथा कुल 112 साइरन स्थापित किये गये हैं। उक्त तंत्र की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकम्प आने पर भू–देव (BHU-DEV) ऐप एवं सायरन के माध्यम से आम–जनमानस को पूर्व चेतावनी उपलब्ध करायी जाती है।

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास / विस्थापन हेतु वर्तमान तक 19 ग्रामों के कुल 253 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास / विस्थापन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनर्वासित ग्रामों / परिवारों का जनपदवार विवरण

क्र0स0	जनपद	कुल ग्राम	परिवारों की संख्या
	चमोली	6	58
1	टिहरी गढ़वाल	6	161
2	पिथौरागढ़	4	104
3	बागेश्वर	3	33
4.	रूद्रप्रयाग	2	9
5.	चम्पावत	18	148
6.	उत्तरकाशी	3	6
7.	पौड़ी	1	1
8.	कुल योग	43	520

स्रोत आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ0) के मानकों/दरों में दिनांक 14 अगस्त, 2024 के आदेश द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश तथा निम्नानुसार मानकों में वृद्धि की गयी है–

स0डी0आर0एफ और एन0डी0आर0एफ की रिकवरी और रिक्स्ट्रक्शन विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंडों का विवरण			
सेक्टर और इकाई	आईटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30–70% क्षति)
		लाख रू0 में	लाख रू0 में
आवास (खंड संख्या)	मैदानी क्षेत्र– पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	1.80
	पहाड़ी क्षेत्र– पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (खंड संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (खंड संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	18.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.97	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	49.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	185.72	92.86
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	5.00
	ग्राम पंचायत/पटवारखाना		
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति कि.मी.)	i) प्रमुख जिला सड़के (एमडीआर) (दरार/गंभीर) क्षति सहित कुल क्षति		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें(ओडीआर)(दरार/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	54.50	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.88	80.00
	iii) गांव की सड़कें (टूट/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	36.75	18.25
	(पहाड़ी क्षेत्र)	133.75	67.00
	iv) अन्य मद		
	पुल (प्रति संख्या)	3500.00	1750.00
	तटबंध (प्रति कि.मी.)	100.00	50.00
	बॉक्स कल्वर्ट (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	10.00	
	ह्यूम पाइप(प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	2.50	
पेयजल (इकाई–प्रति इकाई)	जल शोधन	0.50	0.25
	भडारण टैंक	15.00	7.50

	उपकरण और मशीनरी	1.00	0.50
	इन्टेक पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
	वितरण पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
स्वच्छता (इकाइयॉ–प्रति इकाई)	विकेन्द्रीकृत एसटीपी–(5000 लोगों तक)	7.00	3.50
	विकेन्द्रीकृत एसटीपी–(5000 से अधिक लोग)	33.00	16.50
	सीवर लाइन (प्रति मीटर)	0.01	0.01
	समुदायिक शौचालय	3.00	1.50
अंतदेर्शीय मत्स्य पालन इकाइयॉ–प्रति हेक्टेयर(अधिकतम 1 हेक्टेयर)	मछली का तालाब (मैदानी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
रेशम उत्पादन (इकाइयॉ–संख्या)	भौतिक अवसंरचना–किसान–रेशम उत्पादन	2.50	1.25
कारीगर इकाईयॉ–संख्या	उपकरण और मशीनें	0.25	–

स्रोत आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

परिशिष्ट

State	Geographical area (lakh sq.km)	Population (lakh)	Density of population (per sq.km)	Percentage of urban population to total population	Percentage of State population to all India population	Decennial growth rate of population (percent)	Sex ratio	Child sex ratio (Age group 0-6 years)	Total Households (lakh)
Reference Year /Date	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2001-11)	(2011)	(2011)	(2011)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hill State									
Uttarakhand	**0.53**	**100.86**	**189**	**30.23**	**0.83**	**18.81**	**963**	**890**	**20.57**
Arunachal Pradesh	0.84	13.84	17	22.94	0.11	26.03	938	972	2.71
Assam	0.78	312.06	398	14.10	2.58	17.07	958	962	64.06
Himachal Pradesh	0.56	68.65	123	10.03	0.57	12.94	972	909	14.83
Manipur	0.22	28.56	128	29.21	0.24	24.50	985	930	5.58
Meghalaya	0.22	29.67	132	20.07	0.25	27.95	989	970	5.48
Mizoram	0.21	10.97	52	52.11	0.09	23.48	976	970	2.23
Nagaland	0.17	19.79	119	28.86	0.16	(-)0.58	931	943	3.96
Sikkim	0.07	6.11	86	25.15	0.05	12.89	890	957	1.29
Other State									
Andhra Pradesh	1.63	495.77	304	29.47	4.09	9.21	997	944	127.19
Bihar	0.94	1,040.99	1,106	11.29	8.60	25.42	918	935	189.14
Chhattisgarh	1.35	255.45	189	23.24	2.11	22.61	991	969	56.51
Delhi	0.01	167.88	11,320	97.50	1.39	21.21	868	871	34.36
Goa	0.04	14.59	394	62.17	0.12	8.23	973	942	3.44
Gujarat	1.96	604.40	308	42.60	4.99	19.28	919	890	122.48
Haryana	0.44	253.51	573	34.88	2.09	19.90	879	834	48.58
Jharkhand	0.80	329.88	414	24.05	2.72	22.42	949	948	62.55
Karnataka	1.92	610.95	319	38.67	5.05	15.60	973	948	133.57
Kerala	0.39	334.06	860	47.70	2.76	4.91	1,084	964	78.54
Madhya Pradesh	3.08	726.27	236	27.63	6.00	20.35	931	918	150.93
Maharashtra	3.08	1,123.74	365	45.22	9.28	16.00	929	894	244.22
Odisha	1.56	419.74	270	16.69	3.47	14.05	979	941	96.38
Punjab	0.50	277.43	551	37.48	2.29	13.89	895	846	55.13
Rajasthan	3.42	685.48	200	24.87	5.66	21.31	928	888	127.11
Tamil Nadu	1.30	721.47	555	48.40	5.96	15.61	996	943	185.25
Telangana	1.12	350.04	312	38.88	2.89	13.58	988	932	83.04
Tripura	0.10	36.74	350	26.17	0.30	14.84	960	957	8.56
Uttar Pradesh	2.41	1,998.12	829	22.27	16.50	20.23	912	902	334.48
West Bengal	0.89	912.76	1,028	31.87	7.54	13.84	950	956	203.80
India	**32.87**	**12,108.55**	**382**	**31.14**	**100.00**	**17.70**	**943**	**918**	**2,495.02**

State	Number of cultivators (lakh)	Percent of households having access to safe drinking water	Percentage of scheduled caste population to total population	Percentage of scheduled tribe population to total population	Percentage of disabled population to total population	Percentage of slum population (All towns) to urban population	Percentage of main workers to total population	Percentage of agricultural workers to total workers	Female work participation rate
Reference Year/ Date	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**	**(2011)**
	(11)	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**	**(19)**
Hill State									
Uttarakhand	15.80	92.2	18.76	2.89	1.84	16.00	28.46	51.23	26.68
Arunachal Pradesh	3.03	78.6	-	68.79	1.93	4.90	34.60	57.67	35.44
Assam	40.62	69.9	7.15	12.45	1.54	4.48	27.84	49.35	22.46
Himachal Pradesh	20.62	93.7	25.19	5.71	2.26	8.90	30.05	62.85	44.82
Manipur	5.74	45.4	3.41	40.88	1.89	N A	33.26	52.81	39.88
Meghalaya	4.95	44.7	0.58	86.15	1.49	9.64	31.06	58.45	32.67
Mizoram	2.30	60.4	0.11	94.43	1.38	13.74	37.83	55.76	36.16
Nagaland	5.38	53.8	-	86.48	1.50	14.42	37.46	61.66	44.74
Sikkim	1.17	85.3	4.63	33.80	2.98	20.43	37.73	46.53	39.57
Other State									
Andhra Pradesh	33.40	90.5^	17.08	5.53	2.46	38.32	38.96	62.36	34.65
Bihar	71.96	94.0	15.91	1.28	2.24	10.53	20.52	73.55	19.07
Chhattisgarh	40.05	86.3	12.82	30.62	2.45	31.98	32.26	74.68	39.70
Delhi	0.33	95.0	16.75	-	1.40	10.91	31.61	1.30	10.58
Goa	0.31	85.7	1.74	10.23	2.26	2.89	32.64	10.07	21.92
Gujarat	54.48	90.3	6.74	14.75	1.81	6.53	33.70	49.61	23.38
Haryana	24.81	93.8	20.17	-	2.16	18.80	27.67	44.96	17.79
Jharkhand	38.15	60.1	12.08	26.21	2.33	4.70	20.67	62.99	29.10
Karnataka	65.81	87.5	17.15	6.95	2.17	13.93	38.30	49.28	31.87
Kerala	6.70	33.5	9.10	1.45	2.28	1.27	27.93	17.15	18.23
Madhya Pradesh	98.44	78.0	15.62	21.09	2.14	28.35	31.26	69.79	32.64
Maharashtra	125.69	83.4	11.81	9.35	2.64	23.32	38.94	52.71	31.06
Odisha	41.04	75.3	17.13	22.85	2.96	22.28	25.51	61.82	27.16
Punjab	19.35	97.6	31.94	-	2.36	14.04	30.46	35.59	13.91
Rajasthan	136.19	78.1	17.83	13.48	2.28	12.13	30.72	62.10	35.12
Tamil Nadu	42.48	92.5	20.01	1.10	1.64	16.61	38.73	42.13	31.80
Telangana	31.51	-	15.45	9.08	2.99	33.72	39.20	36.20	N A
Tripura	2.96	67.5	17.83	31.76	1.75	14.54	29.32	44.20	23.57
Uttar Pradesh	190.58	95.1	20.70	0.57	2.08	14.02	22.34	59.25	16.75
West Bengal	51.17	92.2	23.51	5.80	2.21	22.06	28.14	44.04	18.08
India[$]	**1,188.09**	**85.5**	**16.63**	**8.63**	**2.21**	**17.37**	**29.94**	**54.61**	**25.51**

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Financial Indicators							
	Per capita revenue receipts of the State (R.S.)	Share of State's own Tax Revenue in Total revenue receipt (per cent)	Per capita share in central taxes (R.S.)	Per capita grants from Centre (R.S.)	Share of development expenditure in total expenditure (per cent)	Percentage of revenue deficit (+)/ surplus (-) to GSDP	Percentage of fiscal deficit (+)/ surplus(-) to GSDP	Percentage of outstanding liabilities to GSDP
Reference Year / Date	(2022-23)							
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Hill State								
Uttarakhand	44,917	32.6	9,121	16,871	57.3	(-)0.8	2.7	26.5
Arunachal Pradesh	1,69,165	8.5	3,144	42,386	71.6	(-)14.6	7.5	48.0
Assam	31,430	22.3	8,347	14,557	63.4	3.0	8.1	25.6
Himachal Pradesh	52,254	27.9	10,578	23,041	61.2	3.2	6.4	44.3
Manipur	79,778	9.4	21,487	50,033	60.3	(-)15.0	6.4	43.4
Meghalaya	52,944	14.9	22,161	21,105	68.9	(-)3.5	4.4	44.1
Mizoram	99,575	7.9	37,137	47,621	66.0	(-)1.3	7.0	39.5
Nagaland	68,342	9.5	24,292	33,548	52.2	(-)3.3	6.3	53.2
Sikkim	1,32,510	15.8	51,797	45,195	61.5	(-)2.0	4.4	31.2
Other State								
Andhra Pradesh	33,243	47.8	7,201	8,925	70.0	2.2	3.6	32.5
Bihar	15,956	20.6	7,581	4,604	72.2	3.8	9.2	39.1
Chhattisgarh	32,596	33.5	10,773	5,576	73.4	(-)0.6	3.2	24.0
Delhi	29,642	77.1	N.A.	6,500	76.4	0.9	(-)0.4	1.4
Goa	1,16,178	34.7	22,333	21,333	65.5	(-)0.6	5.1	35.5
Gujarat	27,574	68.0	4,646	2,045	66.2	(-)0.3	1.5	18.6
Haryana	32,272	67.4	3,453	3,438	61.4	1.8	3.3	30.7
Jharkhand	21,249	29.6	7,990	3,680	67.4	(-)2.4	2.2	30.2
Karnataka	31,454	67.8	5,124	3,398	63.7	0.3	2.7	23.9
Kerala	36,193	54.3	4,979	7,263	42.3	1.9	3.5	37.2
Madhya Pradesh	23,676	38.3	8,653	4,352	66.1	(-)0.1	3.6	27.6
Maharashtra	34,206	64.0	4,763	5,801	61.2	0.6	2.6	18.5
Odisha	35,423	28.7	9,314	5,852	66.3	(-)2.3	2.8	16.8
Punjab	30,527	47.2	5,600	8,551	50.1	3.5	4.9	47.0
Rajasthan	26,752	43.0	7,095	5,447	70.4	2.3	4.3	35.3
Tamil Nadu	32,002	61.8	5,045	5,178	56.4	1.3	3.2	31.4
Telangana	46,265	62.9	5,176	7,961	74.7	(-)0.2	3.8	26.8
Tripura	51,489	12.1	17,314	26,988	61.1	(-)0.6	4.0	32.2
Uttar Pradesh	20,402	38.7	7,233	4,753	59.5	(-)2.4	3.6	30.7
West Bengal	19,681	40.9	7,224	4,227	64.2	2.6	4.0	38.4
India	**28,290**	**46.1**	**N.A.**	**N.A.**	**63.4**	**0.5**	**3.4**	**27.5**

State	Scheduled Commercial Banks					Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana	
	Number of Banking offices per lakh population[@]	Per capita deposits[@] (R.S.)	Per capita credit[@] (R.S.)	Credit – Deposit Ratio (Per cent)	Share of priority sector advances in total credit of scheduled commercial banks (per cent)	Total account holders ('000)	Total RuPay cards holders ('000)
Reference Year/ Date	As on 31[st] March, 2023					As on 20[th] March, 2024	
(1)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
Hill State							
Uttarakhand	**18.4**	**1,72,231**	**62,773**	**36.4**	**55.3[*]**	**3,577**	**2,387**
Arunachal Pradesh	11.7	1,70,653	46,601	27.3	20.0	452	312
Assam	8.3	58,049	30,149	51.9	41.3	23,580	13,022
Himachal Pradesh	22.6	1,82,761	60,663	33.2	53.6	1,888	1,249
Manipur	7.1	46,078	33,407	72.5	25.1	1,089	673
Meghalaya	10.9	93,386	35,043	37.5	20.1	774	472
Mizoram	18.0	1,18,595	55,816	47.1	18.5	382	156
Nagaland	8.5	69,767	34,156	49.0	20.4	388	297
Sikkim	24.4	1,96,720	84,151	42.8	29.4	90	67
Other State							
Andhra Pradesh	14.2	80,841	1,16,955	144.7	49.6	14,800	9,294
Bihar	6.1	37,744	17,417	46.1	47.0	58,390	42,488
Chhattisgarh	9.8	71,705	51,769	72.2	40.7	17,504	10,686
Delhi	16.9	7,76,659	6,96,665	89.7	14.8	6,273	4,787
Goa	41.3	6,47,860	1,62,324	25.1	37.4	206	143
Gujarat	12.1	1,43,686	1,02,679	71.5	54.9	18,409	13,961
Haryana	17.1	2,32,504	1,35,754	58.4	41.3	9,891	6,731
Jharkhand	8.2	77,039	26,374	34.2	45.9	18,424	12,583
Karnataka	15.9	2,19,413	1,41,566	64.5	28.0	19,194	11,590
Kerala	18.8	2,02,374	1,33,177	65.8	47.8	6,199	3,403
Madhya Pradesh	8.6	63,222	45,356	71.7	54.7	43,187	32,285
Maharashtra	10.8	3,10,393	3,05,998	98.6	35.1	34,242	23,700
Odisha	11.7	1,00,121	43,999	43.9	44.3	21,303	15,239
Punjab	21.0	1,82,322	97,860	53.7	56.8	9,055	6,393
Rajasthan	10.1	73,363	59,849	81.6	52.2	35,161	26,218
Tamil Nadu	15.7	1,57,610	1,66,562	105.7	44.9	15,587	11,045
Telangana	14.9	1,82,170	1,88,146	103.3	31.1	11,777	8,638
Tripura	14.1	82,144	34,063	41.5	36.7	1,027	386
Uttar Pradesh	7.6	65,707	30,146	45.9	41.3	92,589	61,118
West Bengal	9.6	1,06,613	50,489	47.4	41.5	50,816	32,122
India	**11.2**	**1,35,015**	**1,01,853**	**75.4**	**38.4**	**5,19,858**	**3,53,984**

@ Projected Population as on 1[st] March, 2023   [*]Provisional   N A Not Available   + As on 31[st] March, 2022

State	Annual Credit Plan# (`Crore)	Annual Rainfall (mm)	Average size of operational Holdings (ha.)	Yield per hectare (kg)					
				Cereals	Pulses	Foodgrains	Oilseeds	Cotton (lint)	Sugarcane (Tonne)
Reference Year / Date	(2023-24)	(2022)	(2015-16)	Triennial average (2019-20 to 2021-22)					
(1)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
Hill State									
Uttarakhand	13,146	1,517.3	0.85	3,118	1,004	2,420	961	--	78
Arunachal Pradesh	185	2,810.6	3.35	1,678	1,067	1,642	1,049	--	22
Assam	17,069	2,375.7	1.09	2,103	756	2,027	636	88	39
Himachal Pradesh	15,921	1,086.4	0.95	2,201	1,863	2,184	685	--	17
Manipur	865	1,225.2	1.14	2,536	934	2,339	793	--	57
Meghalaya	844	4,216.1	1.29	2,637	1,445	2,565	1,063	203	3
Mizoram	709	1,833.3	1.25	1,739	1,384	1,707	1,112	--	30
Nagaland	551	1,456.0	4.87	1,586	1,164	1,535	1,044	600	39
Sikkim	415	3,300.7	1.27	1,750	965	1,675	925	--	--
Other State									
Andhra Pradesh	2,31,000	1,037.1	0.94	3,717	890	2,852	884	541	77
Bihar	94,150	894.5	0.39	2,578	820	2,454	1,075	--	57
Chhattisgarh	35,013	1,438.1	1.24	1,933	533	1,730	666	335	54
Delhi	16,913	675.9	1.39	3,697	2,000	3,697	1,274	--	--
Goa	1,215	3,041.0	1.10	2,691	884	2,497	2,253	--	66
Gujarat	1,13,579	928.1	1.88	2,545	1,333	2,165	2,079	550	76
Haryana	98,150	620.5	2.22	3,980	867	3,913	1,891	452	83
Jharkhand	17,085	1,044.5	1.10	2,083	1,049	1,772	792	--	--
Karnataka	1,77,469	1,566.5	1.36	2,406	658	1,717	998	486	94
Kerala	1,59,075	2,897.1	0.18	2,873	982	2,855	530	1,078	85
Madhya Pradesh	1,37,752	1,309.2	1.57	2,899	1,006	2,285	898	416	58
Maharashtra	1,68,481	1,372.5	1.34	1,600	944	1,330	1,249	316	89
Odisha	58,776	1,466.7	0.95	2,198	562	1,933	840	559	56
Punjab	1,09,201	573.2	3.62	4,478	1,018	4,457	1,514	652	82
Rajasthan	1,53,215	662.2	2.73	2,077	676	1,500	1,432	619	76
Tamil Nadu	3,86,482	1,130.6	0.75	3,591	648	2,968	2,458	378	107
Telangana	1,12,763	1,270.6	1.00	3,644	1,010	3,265	1,805	468	86
Tripura	3,200	1,772.8	0.49	2,990	768	2,811	845	264	55
Uttar Pradesh	2,12,716	760.2	0.73	2,536	1,050	2,869	1,000	366	82
West Bengal	1,06,996	1,558.8	0.76	3,160	873	2,998	1,167	520	80
India	**24,69,860**	**1,257.0**	**1.08**	**2,832**	**865**	**2,387**	**1,261**	**445**	**83**

$ Includes Union Territories # Target for Agriculture and allied activities

State	Consumption of fertilizer per hectare cropped area (kg)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area	Net area sown per cultivator (ha)^{SS}	Percentage of net area sown to total geographical area	Cropping intensity	Number of livestock per 100 persons	Percentage of forest cover^{+} to total geographical area	Percentage of tree cover^{++} to total geographical area
Reference Year/ Date	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2019)	(2021)	(2021)
	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
Hill State								
Uttarakhand	140.3	56.6	0.4	11.1	163.1	39.47	45.4	1.9
Arunachal Pradesh	0.0	18.6	0.8	2.9	139.1	76.86	79.3	1.2
Assam	67.6	14.4	0.7	35.0	140.9	52.42	36.1	2.1
Himachal Pradesh	62.9	23.7	0.3	9.5	168.6	60.23	27.7	1.2
Manipur	31.5	15.8	0.7	17.6	100.0	17.66	74.3	0.8
Meghalaya	0.0	34.8	0.5	12.0	120.8	62.94	76.0	3.1
Mizoram	6.1	14.1	0.6	6.9	142.1	30.03	84.5	2.1
Nagaland	0.8	16.0	0.5	16.0	120.4	25.63	73.9	2.2
Sikkim	0.0	10.0	0.7	10.9	181.8	41.13	47.1	0.5
Other State								
Andhra Pradesh	231.9	53.4	1.8	37.1	121.4	65.03	18.3	2.9
Bihar	220.1	76.4	0.7	53.8	144.6	30.31	7.8	2.5
Chhattisgarh	132.9	37.6	1.2	34.3	123.2	54.83	41.2	4.0
Delhi	253.3	63.8	0.7	14.8	263.6	1.80	13.1	9.9
Goa	21.9	20.1	4.1	34.3	113.4	8.57	60.6	6.6
Gujarat	115.2	68.9	1.8	49.5	151.8	39.27	7.6	2.8
Haryana	209.3	99.1	1.5	81.7	181.8	24.37	3.6	3.2
Jharkhand	109.4	15.8	0.4	17.3	133.8	62.61	29.8	3.6
Karnataka	148.7	41.3	1.7	58.2	132.1	43.89	20.2	3.9
Kerala	65.8	22.2	3.0	52.2	124.3	8.26	54.7	7.3
Madhya Pradesh	88.2	56.1	1.6	51.3	189.9	49.02	25.1	2.6
Maharashtra	121.9	N A	1.3	53.9	155.1	26.93	16.5	3.9
Odisha	117.5	29.9	1.1	27.8	115.6	40.20	33.5	3.2
Punjab	251.4	97.5	2.1	81.7	192.5	23.50	3.7	2.3
Rajasthan	58.7	43.2	1.3	53.0	151.4	72.96	4.9	2.6
Tamil Nadu	177.9	61.3	1.2	37.7	129.3	32.28	20.3	3.4
Telangana	203.9	69.6	1.8	50.2	142.7	87.40	18.9	2.5
Tripura	39.8	23.6	0.9	24.3	191.0	32.85	73.6	2.2
Uttar Pradesh	183.3	80.5	0.8	66.8	175.2	30.00	6.2	3.1
West Bengal	150.4	65.9	1.0	59.5	194.3	38.54	19.0	2.6
India$^{\$}$	**136.0**	**54.9**	**1.2**	**42.9**	**155.4**	**39.98**	**21.7**	**2.9**

SS Number of cultivators is based on Census 2011 N A Not Available

\+ All Lands, more than one ha. in area, with a tree canopy density of more than 10 per cent irrespective of ownership and legal status, it also includes orchards, bamboo and palm. ++It comprises of tree patches outside the recorded forest area exclusive of forest cover and less than the minimum mappable area (one ha)

State	Annual Survey of Industries				Annual Survey of Industries			
	Factories (no.)	Workers ('000)	Gross Output per Worker ('000)	Net Value Added per Worker ('000)	Factories (no.)	Workers ('000)	Gross Output per Worker ('000)	Net Value Added per Worker ('000)
Reference Year/ Date	(2020-21)				(2021-22)			
	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)
Hill State								
Uttarakhand	**2,988**	**314**	**7,039**	**1,462**	**2,978**	**336**	**6,865**	**1,412**
Arunachal Pradesh	109	2	3,172	356	211	3	3,478	(-)706
Assam	5,354	216	3,582	779	5,480	195	5,695	1,055
Himachal Pradesh	2,677	139	8,960	2,078	2,665	153	9,894	2,112
Manipur	204	5	991	162	218	6	1,118	172
Meghalaya	163	10	6,263	979	186	10	8,633	1,327
Mizoram	206	1	543	100	208	1	724	186
Nagaland	192	5	945	186	191	5	1,175	199
Sikkim	84	18	11,292	4,850	84	19	12,646	5,191
Other State								
Andhra Pradesh	16,937	529	8,346	1,063	16,925	550	9,620	1,171
Bihar	3,367	106	6,631	704	3,289	110	8,447	1,023
Chhattisgarh	4,143	184	9,934	1,318	4,397	199	12,826	1,718
Delhi	3,174	69	6,149	737	3,007	63	6,873	882
Goa	720	58	8,644	2,248	695	62	9,612	2,281
Gujarat	29,497	1,568	9,541	1,239	29,766	1,656	12,973	1,520
Haryana	11,638	820	7,186	799	11,294	888	8,344	1,056
Jharkhand	2,862	150	9,214	1,824	2,879	174	11,978	2,505
Karnataka	14,235	768	6,853	1,243	14,302	840	8,991	1,582
Kerala	7,886	248	5,741	758	7,712	242	8,205	948
Madhya Pradesh	4,914	298	9,522	1,297	5,010	322	10,801	1,647
Maharashtra	26,059	1,395	8,987	1,452	26,350	1,549	10,757	1,800
Odisha	3,246	231	11,891	1,793	3,204	270	17,337	3,062
Punjab	13,089	545	4,686	656	13,131	618	6,027	775
Rajasthan	9,886	476	7,499	1,204	10,237	520	9,301	1,363
Tamil Nadu	39,393	2,046	4,182	633	39,512	2,173	5,339	739
Telangana	15,342	665	3,977	837	13,251	708	4,606	883
Tripura	680	19	931	190	682	20	1,045	163
Uttar Pradesh	16,503	898	6,380	889	17,481	1,045	7,553	1,011
West Bengal	9,863	521	6,716	891	9,727	565	8,049	1,035
India$	**2,50,454**	**12,595**	**6,994**	**1,061**	**2,49,987**	**13,610**	**8,764**	**1,285**

$ Includes Union Territories

Percentage of employed persons#		Unemployment Rate#		Labour force participation Rate#		Percentage of employed persons@		Unemployment Rate@		Labour force participation Rate@	
Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban
(2021-22)						(2022-23)					
	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
Hill State											
Uttarakhand	**32.3**	**7.0**	**10.6**	**42.3**	**36.1**	**43.5**	**32.3**	**3.9**	**6.9**	**45.3**	**34.7**
Arunachal Pradesh	30.1	6.9	12.0	37.9	34.2	49.3	37.0	3.9	10.9	51.3	41.5
Assam	35.6	3.2	9.4	39.4	39.3	29.9	39.6	1.5	6.1	30.4	42.2
Manipur	31.3	9.5	7.7	32.4	33.9	35.3	36.1	4.5	5.3	36.9	38.1
Meghalaya	35.0	1.5	8.9	39.8	38.5	42.1	35.8	5.0	12.3	44.3	40.8
Mizoram	34.9	4.0	7.2	40.0	37.6	42.6	38.5	1.2	3.5	43.1	39.9
Nagaland	33.5	7.5	14.6	46.5	39.2	47.6	40.5	2.9	8.6	49.1	44.3
Sikkim	45.1	1.3	3.0	61.0	46.4	64.6	46.9	2.2	2.2	66.1	48.0
Other State											
Andhra Pradesh	37.6	3.5	6.3	51.8	40.2	49.7	39.4	3.3	6.5	51.4	42.2
Bihar	26.3	5.5	10.3	27.0	29.3	30.4	27.9	3.6	7.7	31.5	30.2
Chhattisgarh	40.5	1.6	7.2	51.2	43.6	55.1	41.4	1.5	7.8	55.9	44.9
Delhi	32.9	3.9	5.3	35.6	34.8	27.4	35.3	10.2	1.7	30.5	35.9
Goa	33.5	12.5	11.6	39.0	37.9	34.4	38.8	11.3	8.7	38.7	42.5
Gujarat	39.6	1.5	2.8	48.5	40.8	52.2	40.7	1.4	2.2	53.0	41.6
Haryana	33.0	9.0	8.9	35.0	36.2	33.4	35.5	5.8	6.5	35.5	37.9
Himachal Pradesh	43.3	3.6	8.7	59.3	47.4	60.8	39.3	3.5	15.1	63.0	46.3
Jharkhand	32.7	1.2	6.1	46.3	34.9	44.1	31.0	0.9	6.3	44.6	33.1
Karnataka	37.4	2.3	5.0	45.1	39.4	45.9	40.4	1.5	4.2	46.6	42.2
Kerala	37.2	9.0	10.3	46.4	41.4	43.6	38.4	6.5	7.6	46.6	41.6
Madhya Pradesh	36.5	1.3	4.9	48.5	38.4	51.1	37.0	0.8	4.8	51.5	38.9
Maharashtra	39.0	2.5	5.0	48.3	41.0	49.2	39.8	2.2	4.6	50.3	41.7
Odisha	34.9	5.4	10.5	42.6	39.0	45.5	38.0	3.6	6.2	47.2	40.5
Punjab	38.8	6.6	6.1	41.2	41.3	39.9	39.4	6.2	6.0	42.5	41.9
Rajasthan	32.3	2.9	10.8	44.8	36.2	46.1	34.7	3.4	8.5	47.7	37.9
Tamil Nadu	40.8	4.2	5.7	49.7	43.2	47.3	39.6	3.8	5.1	49.2	41.7
Telangana	37.3	3.1	6.9	51.3	40.1	50.1	36.6	2.8	7.8	51.6	39.7
Tripura	36.0	3.1	4.3	42.5	37.6	44.5	41.1	1.1	3.0	45.0	42.4
Uttar Pradesh	30.7	2.1	6.7	37.0	32.9	39.3	31.4	1.6	6.5	40.0	33.6
West Bengal	40.5	3.1	4.4	43.5	42.4	45.1	41.7	1.5	3.8	45.8	43.3
India#	**36.6**	**3.3**	**6.3**	**42.2**	**39.0**	**42.3**	**37.7**	**2.4**	**5.4**	**43.4**	**39.8**

Data based on Annual Report- Periodic Labour Force Survey, (July 2021-June 2022)

@ Data based on Annual Report- Periodic Labour Force Survey, (July 2022-June 2023)

State	Economic Census				Installed capacity of electricity per lakh population* (MW)	Per capita generation of electricity* (kwh.)
	No. of establishments per lakh population	Employment in establishment per lakh population	No. of establishments per lakh population			
Reference Year/ Date	6th Economic Census (2013)		5th Economic Census (2005)		(31-03-2023)	(2022-23)
	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)
Hill State						
Uttarakhand	**3,908**	**10,416**	**3,534**	**8,020**	**31.79**	**927.28**
Arunachal Pradesh	2,632	7,873	2,395	9,199	9.31	15.98
Assam	6,505	12,669	3,416	7,667	1.59	68.44
Manipur	8,942	15,936	4,189	9,443	1.67	2.74
Meghalaya	3,558	9,755	3,328	9,694	11.18	315.60
Mizoram	5,239	11,140	5,303	11,856	5.96	50.50
Nagaland	3,080	8,179	1,694	8,341	1.61	50.36
Sikkim	6,096	14,950	3,227	11,415	135.83	6,140.24
Other State						
Andhra Pradesh	8,558	17,329	5,413	12,592	45.00	1,297.60
Bihar	1,640	3,116	1,358	2,516	0.31	2.29
Chhattisgarh	3,029	7,286	2,808	6,675	58.02	2,910.90
Delhi	5,214	17,988	4,766	22,367	12.54	337.59
Goa	6,622	19,792	4,901	15,209	4.77	11.62
Gujarat	6,573	15,897	4,443	11,171	56.49	1,122.98
Haryana	4,595	12,767	3,641	9,803	21.23	1,033.90
Himachal Pradesh	6,005	14,235	4,184	10,304	53.43	1,846.40
Jharkhand	1,936	4,406	1,694	3,974	6.35	397.83
Karnataka	4,715	11,696	4,542	11,352	40.67	981.44
Kerala	10,043	20,711	8,395	17,164	9.07	270.74
Madhya Pradesh	2,964	6,262	2,617	6,001	21.48	864.37
Maharashtra	5,462	12,914	4,055	10,853	29.70@	1,066.29#
Odisha	4,977	10,287	4,705	9,526	16.54	792.85
Punjab	5,454	13,145	4,154	10,473	32.74	1,531.55
Rajasthan	4,223	9,136	3,164	6,938	42.30	1,232.40
Tamil Nadu	6,971	16,210	6,821	15,481	37.71	842.83
Telangana	5,964	15,818	3,786	13,145	39.58	1,269.27
Tripura	6,445	10,997	5,571	11,344	3.24	133.54
Uttar Pradesh	3,345	7,066	2,204	4,466	8.02	375.15
West Bengal	6,470	13,041	4,929	11,761	8.63	511.89
India$	**4,832**	**10,846**	**3,776**	**9,109**	**30.09**	**1,169.94**

$ Includes Union Territories   * provisional

@ MAHAGENCO, Tata power Co. Ltd, Adani Electricity Mumbai Ltd. , MEDA, Central Electricity Authority

MAHAGENCO, MAHADISCOM, Tata power Co. Ltd. Adani Electricity Mumbai Ltd, Central Electricity Authority

State	Annual per capita ultimate consumption of electricity* (kwh.)				Motor vehicles per lakh population* (no.)	Total road length per hundred sq.km of area (km)	Railway route length per hundred sq. km of area (km)
	Total	Domestic	Industrial	Agriculture			
Reference Year/ Date	(2022-23)				(31-3-2020)	(31-3-2019)	(31-3-2023)
	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)
Hill State							
Uttarakhand	1,165.88	306.47	597.65	36.10	25,551	129	0.65
Arunachal Pradesh	374.59	152.19	140.90	0.04	15,082	66	0.01
Assam	281.21	136.31	47.56	2.03	12,493	509	3.28
Manipur	263.45	161.85	13.96	1.83	11,495	145	0.25
Meghalaya	515.72	163.07	276.05	0.04	11,180	179	0.04
Mizoram	400.31	250.78	10.88	0.86	22,095	77	0.01
Nagaland	309.24	185.78	32.85	0.01	23,845	228	0.15
Sikkim	708.12	176.50	415.28	0.00	8,040	172	0.00
Other State							
Andhra Pradesh	1,185.26	328.62	413.57	177.47	24,888	108	2.44
Bihar	240.79	127.56	34.75	30.00	8,095	317	4.13
Chhattisgarh	1,014.64	215.44	436.55	228.91	23,817	78	0.88
Delhi	1,609.19	856.69	146.48	1.89	58,258	1,090	12.38
Goa	2,869.71	870.80	1,443.83	23.64	93,746	505	1.87
Gujarat	1,744.24	248.44	1,041.44	302.34	38,669	127	2.52
Haryana	1,837.82	509.84	643.20	339.48	29,336	114	3.94
Himachal Pradesh	1,472.75	351.51	858.88	12.20	23,216	132	0.56
Jharkhand	672.66	137.84	417.77	3.78	13,242	102	3.32
Karnataka	982.84	219.56	221.41	315.25	39,200	187	1.89
Kerala	695.24	348.55	145.53	11.02	40,054	669	2.70
Madhya Pradesh	817.45	207.67	162.91	321.41	21,328	118	1.69
Maharashtra	1,196.80	259.90	467.20	297.51	30,482	207	1.90
Odisha	688.32	174.38	350.39	14.57	20,012	196	1.89
Punjab	1,909.77	571.60	642.07	450.42	37,489	294	4.50
Rajasthan	987.02	184.48	265.10	381.02	24,392	92	1.78
Tamil Nadu	1,350.60	398.65	516.28	185.23	42,089	208	3.10
Telangana	1,811.39	367.63	464.10	583.79	34,327	125	1.78
Tripura	279.56	155.16	12.30	13.37	13,600	430	2.53
Uttar Pradesh	492.88	222.67	20.90	88.27	15,206	184	3.65
West Bengal	592.40	201.07	222.60	16.34	11,153	320	4.66
India[$]	**916.04**	**255.67**	**302.46**	**176.58**	**24,046**	**165**	**2.09**

*provisional

State	Teledensity		Total Internet Subscribers per 100 population	Literacy percentage[††]		
	Wireline	Wireless		Male	Female	Total
Reference Year/ Date	As on 31st December, 2023			(2011)	(2011)	(2011)
	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)
Hill State						
Uttarakhand	**2.85**	**103.38**	**81.89**	**87.40**	**70.01**	**78.82**
Arunachal Pradesh	1.11	79.45	54.82	72.55	57.70	65.38
Assam	0.88	71.50	52.28	77.85	66.27	72.19
Manipur	1.86	73.26	65.78	83.58	70.26	76.94
Meghalaya	1.74	76.22	60.24	75.95	72.89	74.43
Mizoram	3.15	110.13	96.96	93.35	89.27	91.33
Nagaland	1.34	74.04	73.30	82.75	76.11	79.55
Sikkim	0.81	120.69	98.94	86.55	75.61	81.42
Other State						
Andhra Pradesh	6.39	79.47	65.46	74.77	59.96	67.35
Bihar	0.40	54.40	40.85	71.20	51.50	61.80
Chhattisgarh	1.16	66.77	53.90	80.27	60.24	70.28
Delhi	18.02	167.41	162.52	90.94	80.76	86.21
Goa	3.73	156.31	144.59	92.65	84.66	88.70
Gujarat	2.00	90.67	75.67	85.75	69.68	78.03
Haryana	2.25	116.41	94.88	84.06	65.94	75.55
Himachal Pradesh	2.08	118.03	86.51	89.53	75.93	82.80
Jharkhand	0.83	60.86	48.09	76.84	55.42	66.41
Karnataka	4.75	97.37	83.70	82.47	68.08	75.36
Kerala	3.92	117.90	93.99	96.11	92.07	94.00
Madhya Pradesh	1.43	66.36	54.62	78.73	59.24	69.32
Maharashtra	3.91	98.48	85.45	88.38	75.87	82.34
Odisha	1.06	74.93	53.59	81.59	64.01	72.87
Punjab	3.82	107.55	86.86	80.44	70.73	75.84
Rajasthan	1.17	80.77	63.08	79.19	52.12	66.11
Tamil Nadu	3.58	100.02	78.71	86.77	73.44	80.09
Telangana	3.20	106.15	91.53	75.04	57.99	66.34
Tripura	1.05	77.35	52.14	91.53	82.73	87.22
Uttar Pradesh	0.72	68.73	52.90	77.28	57.18	67.68
West Bengal	1.41	80.25	62.25	81.69	70.54	76.26
India[$]	**2.28**	**82.95**	**67.03**	**80.88**	**64.63**	**72.98**

$ Includes Union Territories †† The literacy rates related to the population aged seven years and above

State	Gross Enrolment Ratio				Gender Parity Index			
	Elementary Level (Std I –VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)	Elementary Level (Std I-VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)
Reference Year/ Date	(2021-22)				(2021-22)			
	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)
Hill State								
Uttarakhand	113.15	89.85	78.77	41.80	1.04	1.02	1.04	1.09
Arunachal Pradesh	109.87	66.51	53.71	36.50	1.03	1.05	1.09	0.90
Assam	109.86	74.48	40.04	16.90	1.07	1.20	1.11	1.09
Manipur	117.58	75.99	69.85	35.40	1.04	1.04	1.00	1.01
Meghalaya	155.65	85.12	45.96	25.40	1.07	1.24	1.34	1.24
Mizoram	137.52	93.36	61.30	32.30	1.01	1.10	1.15	1.06
Nagaland	87.33	62.22	35.83	18.80	1.07	1.16	1.18	1.28
Sikkim	92.89	89.07	64.20	38.60	0.96	1.07	1.27	1.21
Other State								
Andhra Pradesh	100.13	85.38	56.70	36.50	0.98	0.98	1.06	0.93
Bihar	96.23	64.94	35.88	17.10	1.02	1.06	1.02	0.92
Chhattisgarh	95.85	78.30	68.11	19.60	1.00	1.08	1.17	1.23
Delhi	121.15	111.24	95.01	49.00	1.05	1.02	1.09	1.03
Goa	91.10	82.96	73.66	35.80	1.04	1.06	1.07	0.99
Gujarat	92.36	75.16	48.19	24.00	1.04	0.94	0.98	0.90
Haryana	103.19	94.74	75.54	33.30	1.00	0.97	1.01	1.22
Himachal Pradesh	106.14	94.10	94.08	43.10	1.02	1.01	1.03	1.33
Jharkhand	97.04	68.41	46.44	18.60	1.01	1.06	1.07	1.01
Karnataka	107.09	94.73	56.60	36.20	1.00	1.00	1.08	1.01
Kerala	101.02	97.85	85.04	41.30	0.99	0.99	1.08	1.44
Madhya Pradesh	88.66	69.95	51.33	28.90	0.99	0.96	0.98	0.94
Maharashtra	**104.31**	**93.65**	**71.48**	**35.30**	**1.02**	**0.98**	**0.98**	**0.90**
Odisha	95.36	80.36	43.58	22.10	1.00	1.01	1.09	0.88
Punjab	109.61	95.06	82.02	27.40	1.00	1.01	1.02	1.19
Rajasthan	101.78	79.23	70.33	28.60	1.00	0.92	0.90	0.97
Tamil Nadu	98.75	95.59	81.45	47.00	1.01	1.00	1.11	1.01
Telangana	110.21	94.06	64.84	40.00	1.00	1.01	1.06	1.08
Tripura	109.11	81.25	56.28	20.70	1.04	1.08	1.15	0.89
Uttar Pradesh	98.07	69.26	50.65	24.10	1.04	0.92	0.92	1.02
West Bengal	108.45	88.20	62.00	26.30	1.01	1.12	1.31	1.03
India[$]	**100.13**	**79.56**	**57.56**	**28.40**	**1.02**	**1.00**	**1.02**	**1.01**

State	Drop- Out Rates						Pupil -Teacher Ratio			
	Primary Level (Std I-V)		Upper Primary Level (Std VI-VIII)		Secondary Level (Std IX-X)		Primary Level (Std I-V)	Upper Primary level (Std VI-VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher secondary Level (Std XI-XII)
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls				
Reference Year / Date	(2021-22)						(2021-22)			
	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)
Hill State										
Uttarakhand	0.97	0.51	2.99	2.36	5.37	4.63	18	16	11	16
Arunachal Pradesh	9.26	9.24	4.82	8.44	11.20	12.25	11	8	10	19
Assam	6.84	5.17	10.10	7.61	19.78	20.66	21	14	11	20
Manipur	13.54	12.96	5.95	5.21	1.35	1.21	13	10	9	15
Meghalaya	11.08	8.58	12.04	9.40	23.28	20.37	20	13	11	19
Mizoram	7.08	5.58	3.78	1.64	13.06	10.83	15	7	9	14
Nagaland	5.57	4.49	4.64	3.36	18.92	16.19	11	7	10	17
Sikkim	2.90	0.48	0.00	0.00	14.55	9.48	6	8	8	11
Other State										
Andhra Pradesh	0.00	0.00	1.72	1.50	17.52	14.97	25	15	10	31
Bihar	0.00	0.00	4.03	5.21	19.48	21.42	53	23	54	62
Chhattisgarh	0.96	0.58	4.84	3.33	11.50	8.05	20	18	14	16
Delhi	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	3.71	33	32	27	21
Goa	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	5.45	26	15	9	18
Gujarat	0.00	0.00	4.23	5.76	19.39	15.89	30	24	29	28
Haryana	0.00	0.00	0.25	0.19	6.68	4.94	25	19	12	14
Himachal Pradesh	0.00	0.00	0.62	0.53	1.96	0.90	15	8	6	10
Jharkhand	2.36	1.14	3.70	4.00	9.68	8.94	29	25	34	57
Karnataka	0.00	0.00	1.10	1.06	16.16	13.02	22	17	17	28
Kerala	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	4.06	27	21	14	21
Madhya Pradesh	3.24	2.91	8.63	9.01	10.55	9.67	24	17	22	30
Maharashtra	**0.04**	**0.00**	**1.47**	**1.60**	**10.81**	**10.61**	**25**	**26**	**20**	**38**
Odisha	0.00	0.00	8.04	6.53	29.22	25.24	17	15	18	35
Punjab	1.60	0.95	8.67	7.13	18.27	15.96	25	19	10	17
Rajasthan	3.80	3.30	4.43	4.20	7.78	7.49	25	13	10	18
Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	2.52	19	14	12	21
Telangana	0.00	0.00	3.40	2.87	14.49	12.94	20	13	9	28
Tripura	1.16	0.95	4.75	4.26	8.53	8.15	18	19	13	15
Uttar Pradesh	2.40	2.98	1.25	4.65	9.45	10.01	28	25	26	38
West Bengal	9.07	8.15	0.00	0.00	18.37	17.66	26	28	16	27
India[$]	**1.55**	**1.35**	**2.74**	**3.31**	**12.96**	**12.25**	**26**	**19**	**17**	**27**

\$ Includes Union Territories

State	Percentage of female Teachers	Life expectancy at birth (years)		Birth rate	Death rate	Infant Mortality Rate@
		Male	Female			
Reference Year/ Date	(2021-22)	(2016-20)		(2020)	(2020)	(2020)
	(115)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)
Hill State						
Uttarakhand	**55.00**	**67.5**	**73.9**	**16.6**	**6.3**	**24**
Arunachal Pradesh	48.52	N A	N A	17.3	5.7	21
Assam	41.01	67.3	68.6	20.8	6.2	36
Manipur	54.31	N A	N A	13.3	4.3	6
Meghalaya	58.42	N A	N A	22.9	5.3	29
Mizoram	47.12	N A	N A	14.4	4.2	3
Nagaland	55.56	N A	N A	12.5	3.7	4
Sikkim	60.02	N A	N A	15.6	4.1	5
Other State						
Andhra Pradesh	50.53	69 .1	72 .2	15.7	6.3	24
Bihar	40.27	69.7	69.2	25.5	5.4	27
Chhattisgarh	47.90	63.5	66.8	22.0	7.9	38
Delhi	73.51	74.1	77.7	14.2	3.6	12
Goa	80.51	N A	N A	12.1	5.9	5
Gujarat	53.88	68.1	73.2	19.3	5.6	23
Haryana	62.52	67.3	73.0	19.9	6.1	28
Himachal Pradesh	51.88	70.3	77.5	15.3	6.8	17
Jharkhand	39.50	70.5	68.9	22.0	5.2	25
Karnataka	58.23	67.9	71.9	16.5	6.2	19
Kerala	79.44	71.9	78.0	13.2	7.0	6
Madhya Pradesh	47.11	65.5	69.5	24.1	6.5	43
Maharashtra	48.41	71.6	74.3	15.0	5.5	16
Odisha	46.45	69.1	71.4	17.7	7.3	36
Punjab	75.23	70.8	74.5	14.3	7.2	18
Rajasthan	39.66	67.1	71.7	23.5	5.6	32
Tamil Nadu	75.03	71.0	75.5	13.8	6.1	13
Telangana	60.59	68.7	71.4	16.4	6.0	21
Tripura	34.95	N A	N A	12.6	5.7	18
Uttar Pradesh	45.68	65.3	66.7	25.1	6.5	38
West Bengal	43.62	71.1	73.6	14.6	5.5	19
India[1]	51.3	68.6	71.4	19.5	6	28

N A Not available
@ Infant mortality rates for smaller States and Union Territories are based on three years period 2018-20

State	Under five Mortality Rate	Neo-natal Mortality Rate	Total Fertility Rate	Maternal Mortality Ratio	Mean age at effective marriage (females)	Percentage of children fully immunized (0-5 years)
Reference Year / Date	(2020)	(2020)	(2020)	(2018-20)	(2020)	(2017-18)
	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)
Hill State						
Uttarakhand	26	17	1.8	103	23.4	70.5
Arunachal Pradesh	N A	N A	N A	N A	N A	41.3
Assam	40	19	2.1	195	22.9	46.1
Manipur	N A	N A	N A	N A	N A	75.1
Meghalaya	N A	N A	N A	N A	N A	52.0
Mizoram	N A	N A	N A	N A	N A	73.4
Nagaland	N A	N A	N A	N A	N A	12.8
Sikkim	N A	N A	N A	N A	N A	65.1
Other State						
Andhra Pradesh	27	17	1.5	45	22.5	73.6
Bihar	30	21	3.0	118	22.2	48.1
Chhattisgarh	41	26	2.2	137	21.6	65.2
Delhi	14	9	1.4	N A	24.4	47.8
Goa	N A	N A	N A	N A	N A	59.7
Gujarat	24	16	2.0	57	23.6	59.6
Haryana	33	19	2.0	110	23.3	72.1
Himachal Pradesh	24	13	1.5	N A	24.1	72.0
Jharkhand	27	17	2.4	56	21.0	61.7
Karnataka	21	14	1.6	69	22.8	72.8
Kerala	8	4	1.5	19	23.4	62.8
Madhya Pradesh	51	31	2.6	173	21.8	58.4
Maharashtra	**18**	**11**	**1.5**	**33**	**23.7**	**58.6**
Odisha	39	28	1.8	119	22.0	66.8
Punjab	22	12	1.5	105	24.4	61.8
Rajasthan	40	23	2.4	113	22.9	57.3
Tamil Nadu	13	9	1.4	54	23.5	57.5
Telangana	23	15	1.5	43	23.0	70.1
Tripura	N A	N A	N A	N A	N A	39.6
Uttar Pradesh	43	28	2.7	167	22.5	54.6
West Bengal	22	14	1.4	103	21.0	66.2
India$	**32**	**20**	**2.0**	**97**	**22.7**	**59.2**

$ Includes Union Territories NA Not Available

State	Crimes against children (no.)	Number of fair price / ration shops per lakh population[#]	Percentage of population Below Poverty Line	Percentage of households having access to latrine facility	Human Development Index (HDI)	Human Development Index (HDI)	Multi-dimensional Poverty Index (MDPI)
Reference Year/ Date	(2022)	(2022-23)	(2011-12)	(2011)	(2020)	(2021)	(2019-21)
	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)
Hill State							
Uttarakhand	1,706	77	11.26	66.9	0.681	0.672	0.041
Arunachal Pradesh	143	127	34.67	65.2	0.674	0.665	0.059
Assam	4,084	93	31.98	66.8	0.606	0.597	0.086
Manipur	120	84	36.89	89.3	0.687	0.678	0.034
Meghalaya	496	141	11.87	65.7	0.651	0.643	0.133
Mizoram	135	101	20.40	93.4	0.697	0.688	0.024
Nagaland	35	82	18.88	83.5	0.679	0.670	0.066
Sikkim	159	192	8.19	88.7	0.711	0.702	0.011
Other State							
Andhra Pradesh	3,308	56	9.20^	52.0^	0.639	0.630	0.025
Bihar	8,122	39	33.74	24.2	0.578	0.571	0.160
Chhattisgarh	6,177	45	39.93	26.0	0.614	0.605	0.070
Delhi	7,468	9	9.91	96.7	0.740	0.730	0.014
Goa	184	31	5.09	83.6	0.761	0.751	0.003
Gujarat	4,964	21	16.63	59.6	0.646	0.638	0.050
Haryana	6,138	32	11.16	70.2	0.701	0.691	0.031
Himachal Pradesh	740	70	8.06	70.3	0.713	0.703	0.020
Jharkhand	1,917	61	36.96	23.0	0.597	0.589	0.131
Karnataka	7,988	30	20.91	55.0	0.676	0.667	0.031
Kerala	5,640	39	7.05	96.2	0.762	0.752	0.002
Madhya Pradesh	20,415	28	31.65	30.0	0.604	0.596	0.090
Maharashtra	20,762	43	17.35	66.0	0.698	0.688	0.033
Odisha	8,240	26	32.59	23.4	0.605	0.597	0.070
Punjab	2,494	57	8.26	80.5	0.703	0.694	0.020
Rajasthan	9,370	33	14.71	35.7	0.647	0.638	0.065
Tamil Nadu	6,580	45	11.28	54.3	0.695	0.686	0.009
Telangana	5,657	45	-	-	0.656	0.647	0.024
Tripura	220	49	14.05	88.5	0.637	0.629	0.056
Uttar Pradesh	18,682	33	29.43	37.0	0.600	0.592	0.103
West Bengal	8,950	20	19.98	61.4	0.633	0.624	0.050
India[$]	**1,62,449**	**39**	**21.92**	**50.2**	**0.642**	**0.633**	**0.066**

As on 31st March, 2024 ^ including Telangana

स्त्रोत– सांख्यिकी डायरी 2022–23, सांख्यिकी सार 2021, अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड, आर्थिक सर्वेक्षण महाराष्ट्र वर्ष 2023–24, आर्थिक सर्वेक्षण हि०प्र० वर्ष 2023–24.

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

(नियोजन विभाग)

उत्तराखण्ड सरकार

37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013

दूरभाष / फैक्सः 0135–2712604

ई–मेलः dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in

वेबसाइटः www.des.uk.gov.in